खण्ड-231, अंक-2
शुक्रवार, 4 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(25 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२३–१२७
प्रश्नोत्तर	१२७–१६०
बद्रीनाथ तथा गंगोत्री तीर्थ मार्ग पर चलने वाली बसों के आपरेटर्स द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१६०–१६३
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ४४—लेखन-सामग्री और मुद्रण (विचारोपरान्त पारित) ..	१६३
अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (जारी)	१६१–१६८
विभिन्न समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	१६८
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (जारी)	१६८–२१२
नत्थियां	२१३–२२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिनकिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, शिक्षक श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघबार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री

महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसादसिंह, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती

सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः--मंत्री परिषद के निम्नलिखित सदस्य भी उपस्थित थेः--

१. श्री हरगोविन्दसिंह
२. श्री शिवप्रसाद गुप्त

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ मई, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर में गंगा की धारा बदलने से प्रभावित आबादी का पुनर्वासन

*१--**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में गंगा की एक नई धारा के बहाव तथा कटाव के परिणाम स्वरूप लगभग २५ गांवों में रहने वाले लगभग १० हजार ग्रामीण बे घरबार हो रहे हैं ? उनके लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--कानपुर में गंगा की धारा के दक्षिण की ओर झुकने से केवल ३ ग्रामों में सब निवासी एवं और २ गांवों के आंशिक आबादी के घर गिर गये थे। ६१२ व्यक्तियों वाले ११५ परिवार इस तरह से प्रभावित हुए थे जिनको गांव समाज तथा अन्य व्यक्तियों की भूमि पर बसा दिया गया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इससे कितने एकड़ भूमि पर लगी हुई फसल प्रभावित हुई जो नष्ट हो गई ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन कटाव में थी उसपर फसल लगी हुई थी या नहीं ?

श्री हुकुर्मासिंह विसेन---हमने सिर्फ आबादी की इंक्वायरी की है ।

श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गांव समाज की जमीन पर बसाने के सिलसिले में सरकार की ओर से क्या सहायता की गई है ?

श्री हुकुर्मासिंह विसेन---अच्छी साइट दे दी गई है, वह बनायेंगे ।

श्री नर्रासिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---राजस्व मंत्री बतायेंगे कि किन-किन गांव समाजों में ६१५ व्यक्तियों को बसाया गया है ?

श्री हुकुर्मासिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है ।

नैपाल समीपस्थ क्षेत्रों में निर्माण-कार्यों के लिए सुझाव

*२---**श्री नर्रासिंहनारायण**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री राज्य के नैपाल से सटे हुये जिलों के उत्तरी भाग में सरहद के समीपस्थ सड़कों तथा यातायात के साधनों को सुधारने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)---उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत जितनी सड़कों का निर्माण हो सकता है उनका निर्माण-कार्य किया जा रहा है ।

श्री नर्रासिंहनारायण---इस बात को देखते हुये कि नैपाल से लगे हुये गोरखपुर और बस्ती जिलों के सरहदी इलाकों में इस समय घटनायें हो रही हैं और आतंक छाया हुआ है, क्या वहां पर सड़कों की विशेष योजना सरकार बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल---सरकार के सामने यह विचार रहता है कि कहां पर आवश्यकता है । ज्यों-ज्यों धन उपलब्ध होता जायगा त्यों-त्यों सरकार विचार करेगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नैपाल से सटे क्षेत्र में इस समय कौन-कौन से निर्माण कार्य-चालू हैं ?

श्री गनेशीलाल---५-६ जिले सरहद से जुड़ते हैं इसलिये वह एक बड़ी भारी लिस्ट है ।

श्री उग्रसेन---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं रोजाना यह देख रहा हूं कि क्वेश्चन आवर में आप दस-दस बार व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत देते हैं, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है और मेरा आग्रह है कि इस प्रथा को आप कृपा करके बन्द करदें ।

श्री अध्यक्ष---आप अपने साथियों को समझा सकते हैं ।

श्री उग्रसेन---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मूल प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । कम से कम इतनी सूचना तो उनके फाइल में मौजूद रहनी चाहिये ही थी । श्रीमन्, बिहार के स्पीकर ने इस पर प्रिविलेज का नोटिस मंत्री के ऊपर दिलवा दिया....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---सीमावर्ती गांव के लिये क्या सरकार अन्य निर्माण-कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त अनुदान के लिये लिखा-पढ़ी करेगी ?

श्री हुकुर्मासिंह विसेन---जरूरत पड़ने पर इस पर विचार कया जा सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण---इस बात को देखते हुये कि केन्द्रीय सरकार ने सरहदी इलाकों में ४ करोड़ पये की योजना बनाई है जिसके अनुसार सरहद की तमाम सड़कों के सुधार करने की बात है, तो क्या प्रान्तीय सरकार ने भी कोई सड़कों को ठीक करने की योजना भेजी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो सड़कें बन रही हैं उनसे अपना काम चलेगा नहीं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---नैपाल और भारत का संबंध बहुत ही मधुर है, अच्छा है । इसे देखते हुये इन सुझावों पर सरकार स्पष्ट इंकार करने की कृपा करेगी कि किसी प्रकार से खतरे की बात नैपाल की सीमा पर भारत को नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मधुर संबंध के बाद यह सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---भारत और नैपाल के संबंध बहुत मधुर हैं और होना चाहिये, मगर चूंकि आजकल कुछ थोड़ा-सा सन्देह हो गया है कुछ कारणों से, और नैपाल और भारत की सीमा चाहे पीलीभीत में हो या लखीमपुर-खीरी, बहराइच या गोरखपुर और बस्ती में हो, वहां यातायात के साधनों की सुविधा सरकार और अधिक करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूरत पड़ने पर विचार किया जायगा ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, नियमों में इस बात का प्रावीजन है कि कोई सदस्य माननीय सदस्य से भी प्रश्न पूछ सकता है । इस समय माननीय झारखंडेराय जी से प्रश्न करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---आप नोटिस देकर ही प्रश्न कर सकते हैं ।

हसाइन कस्बा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*३---**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार को ज्ञात है कि १/२ मई की रात को हसाइन कस्बा, जिला अलीगढ़ में भयंकर आग लग गयी और उसमें आठ मवेशी जल कर मर गये तथा ४५ दुकानें और ६५ मकान जलकर खाक हो गये ?

श्री बृजबिहारी---जी हां ।

*४---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार इस अग्निकांड से जिन व्यक्तियों की क्षति हुई है उनको कुछ आर्थिक सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी---पीड़ित व्यक्तियों को निम्नलिखित सहायता दी गई :---

	रु०
अहेतुक सहायता	१०,०००
हाउस सबसिडी	१५,०००
आपत्तिकालीन तकावी	१०,०००
गृह निर्माण के लिये तकावी	१५,०००
योग ..	५०,०००

*५---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार इस अग्निकांड की एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ?

श्री बृजबिहारी---इस अग्निकांड का विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१३ पर)

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को बधाई देते हुये मैं यह पूछ सकता हूं कि जहां आवश्यकता हो वहां ५० पये से अधिक ग्रेचुइटी देने की इजाजत या आदेश वह तहसीलदार को देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने नेकराम जी से कहा था कि अगर वह बतला देंगे तो हम मुनासिब कार्यवाही करेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार जांच करावेगी कि फायर ब्रिगेड हसाइन में ३ बजे रात में पहुंचा और ८ बजे तक उसने आग बुझाने का कार्य नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब यह आग लगाई गयी तो वहां ४०,५० गुंडे मौजूद थे जिन्होंने गांव में नकब लगाया और उनमें से २ आदमी पकड़े गये ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय नेकराम जी को मुझसे ज्यादा इत्तला मालूम होती है । कार्यवाही के लिये मैं सूचना चाहूंगा ।

श्री ऊदल---फायर ब्रिगेड ८ बजे तक आग नहीं बुझा सका, तो क्या इसकी जांच कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमको इसकी सूचना ही नहीं है ।

***६---श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कुमाऊं में नवीन मोटर सड़कों का निर्माण

***१---श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९६० से लेकर मार्च, १९६२ के बीच कुमाऊं में कौन-कौन नई मोटर सड़कें बन रही हैं ?

श्री गनेशीलाल---जनवरी, १९६० से लेकर मार्च, १९६२ के बीच कुमाऊं में नई मोटर सड़कें जिन पर निर्माण-कार्य हुआ उनकी सूची माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१४-२१५ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार---कई अवसरों पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त दलों के लगभग ४४ विधायकों ने सरकार से बारेछीना-बैरीनाग सड़क के बारे में कहा था तो सरकार ने इस सड़क का कोई भाग बनाना क्यों नहीं आरम्भ किया ?

श्री गनेशीलाल---नोटिस चाहिये । इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---कल इसी रोड के बारे में उन्होंने कहा था कि अल्मोड़ा जिले की सड़क का सर्वे शुरू हो गया है और इस समय कहते हैं कि सूचना नहीं है । तो इस भिन्नता का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---वह सूचना इस समय नहीं है, कल थी ।

गाजीपुर और वाराणसी जिलों की डिमार्केशन लाइन

*२--**श्री कमलार्सिह यादव** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार ने कोई demarcation line गाजीपुर और वाराणसी जिले के लिये तय करने के लिये कोई कदम बढ़ाया है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न २ यह है कि क्या सरकार ने कोई डिमार्केशन लाइन गाजीपुर और वाराणसी जिले के लिये तय करने के लिये कोई कदम उठाया है ? इसके उत्तर में आज दिया गया है कि वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही है । यह प्रश्न कि डिमार्केशन लाइन के बारे में कोई कदम उठाया है या नहीं, इसका उत्तर क्यों नहीं आ सकता ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--गाजीपुर और वाराणसी दोनों जिलों से हालात मालूम करने होंगे, इस वजह से हम कोई डैफीनिट जवाब इस समय नहीं दे सकते । जैसे ही सूचना आ जावेगी सदन के सामने पेश कर दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष--सिर्फ इतना ही पूछा है कि कोई कदम उठाया है या नहीं । इसमें कोई समय नहीं लगना चाहिये । पिछली बार भी ११ मई को या किसी तारीख को यह स्थगित किया गया था । हमारा ख्याल यह है कि....

श्री हुकुर्मासिह विसेन--इसे परसों तक मुल्तवी कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके परसों तक इसका उत्तर दे दीजिये ।

[तारांकित प्रश्न २ माल मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में भूमि का कटाव

*३--**श्री कमलार्सिह यादव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले बन्दोबस्त (१८८२) में गाजीपुर जिले के पटना कुसई, खरौना, हथौड़ा गौरी और तेतारपुर का रकबा कितना था और इस वक्त नदी के कटाव के बाद कितना रकबा है ?

श्री बृजबिहारी--पिछले बन्दोबस्त (१८८२) में इन गांवों का रकबा ३१३० एकड़ था जो नदी के कटाव के बाद २९२१ एकड़ रह गया है।

श्री कमलार्सिह यादव--पिछली बार मैंने प्रार्थना की थी कि दोनों का सम्बन्ध एक साथ है, इसलिये स्थगित किया गया था ?

श्री अध्यक्ष--इसके सम्बन्ध में आप पूछ लीजिये।

श्री कमलार्सिह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के बारे में यह रकबा पूछा गया है उनका अलग-अलग कितना रकबा था और कितना कट कर हुआ है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--पटना ३२३ एकड़ पूरा है। कुसाई ३२० एकड़ में २२६ एकड़, खरौना ४४६ एकड़ में ३३१ एकड़, पयारे ६५८ एकड़ में ६५८, गौरी ७८६ एकड़ में ७८६ है और तेतारपुर में ५९७ एकड़ में ५९७ है। इस प्रकार ३१३० एकड़ और २९२१ एकड़ होता है।

श्री कमलार्सिह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कटा हुआ रकबा किस जिले में गया है और इसका लगान कौन वसूल करता है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं लेकिन वाराणसी में होगा।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार इस बात को सूचना मानकर इसकी इन्क्वायरी कराने की कृपा करेगी और सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कहा कि वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही है। वह जवाब तो मैं जरूर रखूंगा। बाकी के लिये अगर हमारे मित्र नोटिस देंगे तो हम उसके लिये भी प्रयास करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—जब गाजीपुर और बनारस की डिमार्केशन लाइन का सरकार को पता नहीं है तो यह कैसे मालूम हो गया कि रकबा बनारस में गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कहा कि सम्भवतः बनारस में चला गया।

जौहरपुर के किसानों की हस्तगत भूमि का लगान वापस करने का आश्वासन

*४—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम जौहरपुर, तहसील बरेली में कुछ कृषकों की भूमि फैक्टरी के लिये ३ वर्ष हुये, हस्तगत की गयी थी परन्तु वहां कोई फैक्टरी नहीं लगी ? कृषकों को मुआवजा मिलने के बाद भी उनसे लगान बराबर वसूल किया जाता है ?

श्री बृजबिहारी—ग्राम जौहर पुर, तहसील बरेली में ३ वर्ष पूर्व जो भूमि कृषकों से हस्तगत की गयी थी वह फैक्टरी स्थापित करने के लिये नहीं वरन् गवर्नमेंट पोलीटेकनिक कालेज के निर्माण के लिये ली गई थी तथा कालेज निर्माण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हो रही है। जिन कृषकों से मुआवजा देने के बाद लगान ले लिया गया है उनका रुपया वापस किया जायगा अथवा दूसरी भूमि के लिये जो मालगुजारी देय है उसमें मुजरा किया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रकार की गलती होने का कारण क्या था ? इसमें जो जांच की गयी उसके फलस्वरूप कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कम्पेन्सेशन देने के बाद रिकार्डस् में अमलदरामद नहीं था। अब उसके लिये रेवेन्यू बोर्ड ने आर्डर कर दिया है कि इस संबंध में इन्क्वायरी की जाय और जिसकी गलती हो उसको तदारुक किया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—इस प्रकार के नाम खारिज न किये जाने की घटनायें दिन प्रति दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं तो उस तरफ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इस आक्षेप को कि साधारण तौर से ऐसा होता है, मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री गेंदासिंह—इस प्रकार की जो जमीनें ले ली गयी थीं उनकी मालगुजारी वसूल करने के लिये लोगों के वारंट, कुर्की और गिरफ्तारी जारी किये गये और कई लोग गिरफ्तार करके तहसील में लाये गये। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि रुपया तो वापस कर दिया जायगा लेकिन उस गिरफ्तारी के बदले में गिरफ्तार कौन होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह गलत है कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ था। कुछ आदमियों को साइटेशन जारी हुआ था। बाकी और कोई कोर्सिव मेजर अख्तियार नहीं किये गये।

श्री उग्रसेन—जिस फैक्ट्री के लिये यह जमीन ली गयी थी वह क्यों नहीं अभी तक बनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह जमीन पोलीटेक्निक स्कूल बनाने के लिये ली गयी थी। गवर्नमेंट आफ इंडिया के स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक उसके एस्टीमेट तैयार किये गये। अब उसके लिये टैन्डर्स इन्वाइट किये जा रहे हैं। टैन्डर आ जाने पर वह काम शुरू किया जायेगा।

श्री ऊदल---अभी मंत्री जी ने बताया कि फैक्ट्री के नाम दाखिल खारिज नहीं किया गया और किसानों से लगान वसूल किया गया। तो इस बीच में जो किसानों को फसल का नुक्सान हुआ उसको यह सरकार देगी अथवा गलती करने वाले अधिकारियों से दिलाया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कंपेन्सेशन देने के बाद इसका सवाल नहीं उठता। जो लगान उनसे वसूल हो गया है वह या तो उनको वापस कर दिया जायगा अथवा मालगुजारी में मुजरा कर दिया जायगा।

पहाड़पानी-धुनाघाट मोटर मार्ग का आंशिक निर्माण

*५---**श्री खुशीराम** (जिला पिठौरागढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहाड़पानी (नैनीताल) से धुनाघाट (अल्मोड़ा) मोटर मार्ग कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---इस मार्ग का पहाड़पानी गजार हिस्सा लगभग १ साल में पूर्ण हो जायगा। गजार से तीन मील आगे का कार्य इस साल स्वीकृत किया जायेगा और आशा की जाती है कि यह अगले तीन सालों में पूर्ण हो जायगा। इस सड़क के शेष भाग के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

वाराणसी तहसील के कुछ गांवों में कन्या पाठशालाओं की इमारतें न होना

*६---**श्री ऊदल**---क्या सरकार तहसील वाराणसी में गांव अनेई, ताड़ी, कठिरांव परगना पन्द्रह गांव सिंधोहा बाजार परगना कोल असला लड़कियों के स्कूलों की इमारत बनाने की कोई व्यवस्था कराने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)---जी नहीं।

श्री ऊदल---क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इन तीनों स्थानों पर लड़कियों के स्कूल खोले जायं तो सरकार मदद देगी। जमीन तो दी गयी लेकिन ४ साल हो गये इमारत नहीं बनी, क्या सरकार उस पर इमारत बनायेगी ?

श्री अजीज इमाम---असल में स्कूलों के भवनों की सारी जिम्मेदारी अन्तरिम जिला परिषदों की है अतः इनके भवनों की जिम्मेदारी भी संबंधित परिषद् पर है।

श्री कल्पनार्थसिंह---अन्तरिम जिला परिषद् को सरकार की तरफ से बहुत से अनुदान दिये जाते हैं तो क्या सरकार स्कूलों की इमारत के लिये कोई खास धन उनको देने की कृपा करेगी ?

श्री अजीज इमाम---असल में मास्टरों की जो तनख्वाह व डी०ए० में वृद्धि हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट ने अपने सर ले ली है और वे सारे पैसे गवर्नमेन्ट खुद देती है। इस तरह से अन्तरिम जिला परिषदों का पैसा शिक्षा के सिलसिले में काफी बचता है। इसकी जिम्मेदारी जिला परिषद् के ऊपर है और इस बचत से जिला परिषद् वहां भवन स्कूलों के लिये बनवा सकती है।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि केन्द्र से भी बालिकाओं के लिये जूनियर हाई स्कूल की अध्यापिकाओं के आवासगृह के लिये ग्रान्ट मिलती है, तो उस कोष से कम से कम वहां की अध्यापिकाओं के रहने के लिये आवास गृह बनवाने की वे कृपा करेंगे ?

श्री अजीज इमाम---इस बजट में गवर्नमेन्ट ने खासतौर से अध्यापिकाओं के लिये आवास गृह बनवाने का प्राविजन रखा है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इसके बनवाने की जिम्मेदारी अन्तरिम जिला परिषद् की होती है लेकिन जब सरकार ने इस सदन में आश्वासन दिया था तो उस आश्वासन को पूरा करने का क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री अजीज इमाम--इसका प्रयास हो रहा है कि जो मास्टरों की तनख्वाह बचती है अन्तरिम जिला परिषद् के शिक्षा कोष में उसे अंतरिम जिला परिषद् इन भवनों पर खर्च कर सकती है ।

श्री ऊदल--सरकार ने आश्वासन दिया था, इसलिये सरकार को उसके लिये रुपये देने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--शिक्षा मंत्री जी, प्रश्न यह है कि सरकार भवन बनवाने के लिये अनुदान देती है या नहीं ? अगर देती है तो सरकार उन भवनों के बनवाने की तरफ ध्यान देगी ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जैसा कि हमारे सभा सचिव ने बतलाया, इस बजट में इमारतों के लिये हमने कुछ प्रोविजन रखा है और नये जो प्राइमरी स्कूल खुल हैं उन स्कूलों की अध्यापिकाओं के रहने के लिये भवन बनवाने की जिम्मेदारी परिषद् के ऊपर है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये वे रुपये गवर्नमेन्ट ने उनके हाथ में छोड़ दिये हैं जो रुपये कि उनको देने पड़ते थे वेतन-वृद्धि में । तो इसलिये यह ख्याल किया जाता है कि जिला परिषद् उस काम को करेगी । मैं यह भी बतला दूं कि कोशिश यह की जा रही है कि वहां की जनता इन स्कूलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और जो कुछ खराबी है स्कूलों के भवनों में, उनके पूरा करने में वह मदद दें ।

असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर्स के पदों पर जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का निर्वाचन

*७--**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का कोई ऐसा जी० ओ० है जिसके आधार पर एस० डी० आई० के १० प्रतिशत रिक्त स्थानों की पूर्ति जूनियर व हाई स्कूलों के क्वालीफाइड प्राध्यापकों में से की जाय ?

श्री अजीज इमाम--जी नहीं । केवल जूनियर हाई स्कूलों के प्राधानाध्यापकों से ।

*८--**श्री रामसुन्दर शास्त्री**--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ में उक्त जी० ओ० के आधार पर प्रत्येक रोजन में साक्षात्कार के पश्चात् एक सिलसिलेवार लिस्ट तैयार की गई थी ? यदि हां, तो उस लिस्ट के आधार पर अब तक कितनी व कितने प्रतिशत नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री अजीज इमाम--जी हां, सूची तैयार की गई थी परन्तु निर्वाचन पद्धति के सम्बन्ध में निर्णय न लिये जाने के कारण चुनाव नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--क्या शिक्षा मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जी० ओ० कब का है, निर्वाचन पद्धति के सम्बन्ध में अब तक निर्णय लिये जाने में विलम्ब का क्या कारण है और कब तक इस पर निर्णय लिया जा सकेगा ?

श्री अजीज इमाम--उपरोक्त जी० ओ० सन् १९४५ में हुआ । उसके बाद सन् ५५ में डाइरेक्टर महोदय ने कुछ आदमियों को चुन कर पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा कि वह अपनी स्वीकृति उस पर दे दें, लेकिन उस पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह लिखा कि दो तीन कारण हैं जिनकी वजह से इस पर स्वीकृति नहीं दी जा सकती है । इस समय तीन तरह के जूनियर हाई स्कूल्स हैं । एक तो जिला परिषद् का है, एक गवर्नमेंट द्वारा खुला हुआ है,

और एक एडेड स्कूल है। इसलिये इन तरह के जूनियर हाई स्कूलों के स्थानों को मालूम करना बहुत मुश्किल है और दूसरी वजह यह है कि एडेड स्कूलों में उनके कैरेक्टर रोल के जो कागज होते हैं उन पर पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरा भरोसा नहीं है कि किसी हद तक वे सही तैयार किये जाते हैं, इन्हीं सब वजहों से पब्लिक सर्विस कमीशन ने गवर्नमेंट को लिखा कि यह तकर्ररी हैं वे कमीशन से की जायं और सरकारी हस्तक्षेप उसमें न किया जाय। इस बारे में बराबर कमीशन को लिखा जा रहा है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है इसीलिये अभी कुछ नहीं हो सका है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो सूची तैयार की गई है और अगर चुनाव पद्धति स्वीकार भी हो जाय तो जिन की उम्र ज्यादा हो गई है वह इस निर्वाचन पद्धति से कैसे लाभ उठा सकेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर---ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी तो गवर्नमेंट सहानुभूति पूर्वक उनके मामलों को देखेगी।

श्री चन्द्रजीत---सन् ५५ में सब से पहले यह प्रश्न सरकार और कमीशन के बीच में पैदा हुआ था, तो सात साल हो गये यह विलम्ब किस की तरफ से हो रहा है क्या इस पर मन्त्री महोदय प्रकाश डालेंगे?

श्री अजीज इमाम---उस वक्त से इस वक्त तक गवर्नमेंट बराबर पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख रही है लेकिन वह अपने स्टैंड से नहीं हट रहे ह और गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है इसलिये देर हो रही है।

फूलपुर टाउन एरिया को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क देना

*९---**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर, जिला आजमगढ़ टाउन एरिया के बीच से होकर जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क को अब तक पिच रोड न बनाने का कारण क्या है?

श्री गनेशीलाल---धन की कमी। अब यह सड़क टाउन एरिया को हस्तांतरित की जा रही है और इसके सुधार का उत्तरदायित्व टाउन एरिया पर होगा।

*१०---**श्री दौलतलाल**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लगभग २ वर्ष पहले जिलाधीश, आजमगढ़ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को पिच रोड बनाने के लिये लिखा था और कुछ पत्थर की गिट्टियां भी इस कार्य हेतु एकत्रित की गई थीं?

श्री गनेशीलाल---जी हां।

श्री दौलतलाल---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क को बनाने के लिये जो ठेका दिया गया था वह टेन्डर द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो जो गिट्टी जमा की गई थी उसके लिये कितना रुपया दिया गया?

श्री गनेशीलाल---पहले यह नीति थी कि इस सड़क को बनाया जाय लेकिन बाद में सरकार ने चूंकि यह सड़क टाउन एरिया के बीच से निकलती थी इसलिये एक बाईपास बनाया गया और उसके बाद सरकार ने नीति बनाई कि उस बाईपास को टाउन एरिया को हस्तांतरित कर दिया जाय और अब उस को बनाने की सारी जिम्मेदारी टाउन एरिया की है।

श्री दौलतलाल---श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि जिलाधीश के अनुरोध पर जो सड़क के निर्माण के लिये ठेका दिया गया और उसके अनुसार गिट्टी इकट्ठा कराई गई उसके लिये कितना रुपया दिया गया?

श्री गनेशीलाल---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह---ऐसी कौन सी आवश्यकता महसूस हुई कि जिससे उक्त सड़क टाउन एरिया को हस्तांतरित करने की आवश्यकता पड़ गई ?

श्री गनेशीलाल---बाद में यह पालिसी सरकार की हो गई कि जहां पर बाईपास बन रहा है तो वह दोनों को मिलाने वाली बीच की सड़क टाउन एरिया को हस्तांतरित की जाय।

श्री नरसिंहनारायण---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी गिट्टी ली गई थी और वह किस रेट पर ली गई थी ?

श्री गनेशीलाल---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सड़क पी० डब्ल्यू डी० में कब ली गई थी और वह कितने मील लम्बी है ?

श्री गनेशीलाल---श्रीमन्, इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल करता हूं कि यह सड़क घोसी से कितनी दूर है ?

(हंसी)

श्री उग्रसेन---मंत्री जी बतायेंगे कि जो गिट्टी वहां एकत्र की गई थी वह विरोही की गिट्टी थी या गया की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं मालूम कौन सी है।

भरथना तहसील के लेखपालों की मांगें

*११---**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)---क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की भरथना तहसील में चकबन्दी लेखपालों को तो पांच रुपया मासिक नई स्वीकृत वृद्धि मिल गई है परन्तु नियमित (regular) लेखपालों को अब तक क्यों नहीं मिली है ?

श्री बृजबिहारी---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२---**श्री सहदेव सिंह**---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों की जो एक रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वह इटावा जिले की भरथना तहसील के लगभग एक तिहाई लेखपालों को गत लगभग चार साल से नहीं प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री बृजबिहारी---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३---**श्री सहदेव सिंह**---क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा जिले की भरथना तहसील में दो या तीन साल से काम करने वाले लेखपाल तो स्पष्ट रिक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और स्थायी होने जा रहे हैं जब कि सात या आठ साल से काम करने वाले लेखपाल अस्थायी तौर पर अस्थायी रिक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने लेखपाल हैं और इस अनियमितता का क्या कारण है ?

श्री बृजबिहारी---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सहदेवसिंह---मन्त्री जी बतायेंगे कि इन प्रश्नों को दिये १ महीने से अधिक हो गये, एक बार स्थगित भी हो चुके हैं, फिर क्या कारण है जो सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी डिटेल बहुत हैं। मैंने कल ही कलेक्टर को रिमाइन्ड किया है कि वह इसको ऐक्सपेडाइट करें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि कल बिहार असेम्बली के स्पीकर ने कहा कि प्रश्नों का उत्तर न देना ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है। आपने स्वतः अखबार में पढ़ा होगा। तो आप भी थोड़ी सी कड़ाई कीजिये।

श्री अध्यक्ष---आज एक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बात हो चुकी है और उसके पहले भी मैंने मन्त्रि मन्डल को सूचना दे दी है कि अगर एक मर्तबा से अधिक कोई प्रश्न स्थगित होगा तो उसकी सूचना पहले से मेरे पास आ जायगी कि क्यों स्थगित हो रहा है। तो उस सम्बन्ध में मैं स्वतः देख रहा हूं।

श्री काशीनाथ---यह प्रश्न क्यों स्थगित किया गया क्या इसकी सूचना आपके पास आ गई है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बहराइच व खीरी जिलों की सीमा

*१४---**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच व खीरी की सीमा निर्धारण का कार्य सन् १९५८ से १९६२ तक हुआ था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ था।

*१५---**श्री रामचरण शाह** (अनुपस्थित)---क्या सीमा पर हदबन्दी के निशान मौजूद हैं और सीमा का नक्शा कब तैयार किया गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दोनों जिलों की सीमा पर नदी कौड़ियाला व घाघरा बहती है। कुछ जमीन जिला बहराइच की जिला खीरी में भी है जिसकी सीमा ग्रामों के सरहद पर गड़े हुए तूदाजात व सिहद्दाजात से मालूम होती है।

नक्शा बन्दोबस्ती जिससे जिले की सरहद ज्ञात होती है १३४६ फसली के बन्दोबस्त एवं १३६१-६२ फसली के रिकार्ड आपरेशन में (verify) किया गया था।

माध्यमिक शिक्षकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का आश्वासन

*१६---**श्री चन्द्रजीत**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत फरवरी में राज्य के माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से कोई प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्री से मिला था? यदि हां, तो किन मांगों के सम्बन्ध में और सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में अभी तक क्या किया है?

श्री अजीज इमाम---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि फरवरी के मध्य में नहीं तो बजट प्रस्तुत होने के पहले हमारे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मण्डल शिक्षा मन्त्री जी से मिला था और खास तौरस हमं ाई भत्ते के सम्बन्ध में मांग की थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जारही है?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्न तो यह पूछा गया था कि मुख्य मन्त्री जी से कोई डेलीगेशन मिला कि नहीं ? इसके जवाब में कहा गया कोई इस तरह का डेलीगेशन नहीं मिला। अब आपका प्रश्न यह है कि शिक्षा मन्त्री से मिला कि नहीं, मुझसे मिलते रहे हैं। अब कोई खास बात आप पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं। मेरे पास इस वक्त पूरी सूचना नहीं है क्या-क्या बात उन्होंने की, लेकिन अगर चाहेंगे तो सूचना दे सकूंगा।

श्री चन्द्रजीत---यदि सभी मांगों के बारे में नहीं बता सकते तो जो मुख्य मांग उनकी मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में थी और जिस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री बाहर कभी वक्तव्य भी दे चुके हैं, तो मन्त्री जी बतायेंगे कि मंहगाई भत्ता उनको सरकार कब तक देने जा रही है और किस रेट से ?

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। मन्त्री जी कह रहे हैं कि जिस विशेष बात के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहें और उन्हें याद होगी तो बता देंगे। तो आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत---मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में खास तौर से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मन्त्री जी, मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में कोई डेलीगेशन आपसे मिला था ? अगर मिला था तो उसकी क्या मांग थी ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैंने बजट के दौरान में यह कहा था कि इस बजट सेशन के पहले कोई न कोई निर्णय सरकार लेगी और मैं आशा करता हूं कि वह संतोषजनक ही साबित होगा। अब मैं कोई तारीख नहीं बता सकता, लेकिन बजट सेशन अब खत्म होने वाला है इससे पहले ही कोई न कोई निश्चय हो जायगा और उसकी विज्ञप्ति भी निकल जायगी।

वाराणसी में मादक वस्तुओं की दूकानें

*१७---**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)---क्या आबकारी मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका की सीमा के अन्दर कितनी शराब (देशी) तथा भांग, गांजा की दूकानें किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा उक्त दुकानों का नीलाम क्रमशः १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३ में अलग-अलग कितने रुपयों में हुआ ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---वाराणसी नगरमहापालिका की सीमा के अन्दर १३ शराब, १३ भांग तथा ४ गांजा की दूकानें हैं। यह दूकान किन-किन स्थानों पर स्थित है तथा वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ व १९६२-६३ में इन दूकानों से नीलाम द्वारा कितना धन प्राप्त हुआ का ब्योरा क्रमशः संलग्न नक्शा नं० १ व २ में दिया गया है।

*१८---**श्री गिरधारीलाल**---क्या आबकारी मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त दूकानों में उपरोक्त सालों में प्रत्येक लाइसेन्सी ने अलग-अलग कितनी गैलन शराब बेयर हाउस से ली तथा उसकी कीमत लाइसेन्सी ने अलग-अलग कितना रुपया जमा किया ?

डाक्टर सीताराम---उपरोक्त वर्षों में आबकारी गोदाम वाराणसी से उक्त दूकानों को दी गई शराब की निकासी मय कीमत जो लाइसेन्सियों ने अदा की, क्रमशः संलग्न नक्शा नं० ३ व ४ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१६ पर)

*नक्शे छापे नहीं गये।

*१९—श्री गिरधारीलाल—क्या आबकारी मन्त्री को मालूम है कि वाराणसी नगर महापालिका की सीमा के अन्दर शराब की सभी दूकानें दिन रात खुली रहती हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि १९५९ में बंगालीटोला की दूकान ६८,२०० रुपये की नीलाम हुई थी और उस वर्ष उस पर ८,३११ गैलन शराब बिकी थी, लेकिन जब वह दूकान १९६०-६१ में १ लाख की नीलाम हुई तब उस दूकान पर केवल ६,३२४ गैलन शराब बिकी ? तो इस कमी का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—इसका नियम यह है ड्यूटी फालोज कंजम्प्शन। जब ६८ हजार पर दूकान नीलाम हुई थी १९५९-६० में तो उसकी ड्यूटी कम थी। यही कारण था कि वहां पर शराब की ज्यादा खपत हुई। लेकिन जब १९६०-६१ में १ लाख १५ हजार पर दूकान गई तो साढ़े ६ हजार गैलन की निकासी हुई यानी कंजम्प्शन डाउन हो गया। लेकिन टोटल इनकम जो थी वह ज्यादा हो गयी।

श्री कल्पनाथसिंह—वनारस जिले के उक्त दूकानदार के खिलाफ अवैध गांजा शराब की बिक्री का कोई आरोप माननीय मन्त्री के पास प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

डाक्टर सीताराम—एक्साइज ऐक्ट के सेक्शन ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ और ७१ के अन्तर्गत यदि कोई अवैध व्यापार करता है तो नियमों के अन्तर्गत जिलाधीश, एस० डी० एम० तहसीलदार, एस० पी०, डी० एस० पी०, इंस्पेक्टर आफ पुलिस, थाने का इंचार्ज और एक्साइज स्टाफ को पावर है कि उसको पकड़ें। इस प्रकार की शिकायत जैसा माननीय सदस्य ने कहा सरकार के पास कोई नहीं है।

श्री गिरधारीलाल—क्या सरकार को निर्धारित समय के बाद भी दूकानें खुली रहने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

डाक्टर सीताराम—निर्धारित समय ३ बजे से १० बजे रात तक का है। माननीय सदस्य उसी शहर के विधायक हैं। सरकार के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य को कलेक्टर, एस० पी०, एक्साइज स्टाफ से कहना चाहिये और वे इसके ऊपर उन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे जिनका कि मैंने पिछले प्रश्नों के उत्तर में जिक्र किया है।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—क्या सरकार जनता की मांग के अनुसार वाराणसी में शराबबन्दी करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी का तो यह प्रश्न नहीं है। १६ अप्रैल, १९६२ के प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में वाराणसी के बारे में पूरी बात बतला चुका हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय आबकारी मंत्री जी का ध्यान इस समाचार की तरफ गया है कि वाराणसी में शराबबन्दी के लिये आचार्य विनोबा भावे के शिष्य आमरण अनशन कर रहे हैं और इसको देखते हुये क्या वे बनारस शहर में शराबबन्दी की बात सोचेंगे ?

डाक्टर सीताराम—आमरण अनशन की इत्तला सरकार के पास कोई नहीं है।

श्री गेंदासिंह—जो इत्तला माननीय मंत्री जी ने सदन की मेज पर रखी है क्या उसके अनुसार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस में पहले वर्ष में जो तालिका में है उसमें कितनी शराब और गांजा की खपत थी और जो आखिरी वर्ष गुजरा है उसमें कितनी हुई है ?

डाक्टर सीताराम--लाइसेंस फीस तो सौ फीसदी बढ़ी, लेकिन कन्जम्मन सिर्फ १२ फीसदी बढ़ा पिछले सालों के मुकाबले में। कहने का मतलब यह है कि मद्यनिषेध की नीति को दृष्टि में रखते हुये बनारस में शराब की खपत पिछले सालों के मुकाबले में सन् १९६१-६२ में कम हुई।

अस्थायी प्रसार अध्यापक

*२०--**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में इस समय कुल कितने प्रसार अध्यापक (Extensio Teachers) कार्य कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--२,४२८।

*२१--**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के समस्त प्रसार अध्यापक अभी तक अस्थायी हैं ? यदि हां, तो क्या उनके स्थायीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

आचार्य जुगलकिशोर--ये अध्यापक अभी तक अस्थायी हैं। इनके स्थायीकरण का प्रश्न सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

कासिमाबाद-सिधागर घाट सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*२२--**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में थाना कासिमाबाद से ग्राम दुर्गा स्थान होती हुई जो सड़क सिधागर घाट को जाती है और टोंस नदी पार करके यह सड़क कस्बा रसड़ा, जिला बलिया को जाती है अभी तक कच्ची है, क्या सरकार के पास इस सड़क को पक्का कराने की कोई योजना है ?

श्री गनेशीलाल--जिला गाजीपुर में कासिमाबाद-सिधागर घाट सड़क को पक्की करने की कोई योजना नहीं है। जिला बलिया में सिधागर घाट-रसड़ा सड़क को पक्की करने की योजना है।

श्री रघुवीर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वह पहला स्थान है जहां पर ब्लाक खण्ड खोला गया था और वह वही सड़क है जो कि करीब २० मील तक गाजीपुर रोड से मिला दी गयी है और पक्की कर दी गयी है और यह ५ मील सड़क कच्ची है....

श्री अध्यक्ष--आपका प्रश्न बहुत लम्बा हो रहा है।

श्री रघुवीर--जिसको आपने यह जवाब दिया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं है तो इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल--श्रीमन्, अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना में धन कहीं और से मिल सकेगा तो अवश्य कोशिश की जायगी।

श्री झारखंडेराय--इस बात को देखते हुये कि यह सड़क महत्त्व की है और पूर्वी अंचल को दो जिले गाजीपुर और बलिया को जोड़ने वाली है और इसके २० मील पक्के हो चुके हैं, केवल ५ मील कच्चे रह गये हैं क्या इस पांच मील को पक्का कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल--इस समय धनाभाव के कारण ऐसा मुमकिन नहीं है।

श्री रघुवीर--आपने जो यह रसड़ा से सड़क मंजूर की है वह कब तक पक्की हो जायगी और इस सड़क के पक्की हो जाने के बाद टोंस नदी और सिधागर घाट-कासिमाबाद वाली सड़क का कितना फासला रह जायगा ?

श्री गनेशीलाल---श्रीमन्, जहां तक सड़कों के पक्की करने का प्रश्न है यह ६ मील लम्बी सड़क है और ५,४३,५०० रुपये का ऐस्टीमेट इसी बजट में शामिल है। बजट पास होने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस सड़क के पक्का करने की मांग की गई है वह और जो कच्ची सड़क है ५ मील की वह और जो २० मील हो चुकी है ये तीनों एक ही सड़क को मिलाती हैं? क्या इसकी जांच कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, इसमें जांच का कोई सवाल नहीं है अगर ऐसा होगा तो कर दी जायगी। यदि नहीं होगा तो नहीं हो सकती है?

श्री अवधेशकुमार सिनहा---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर धन कहीं से उपलब्ध हो जायगा तो कौन-कौन से जराये हैं जिनसे धन उपलब्ध हो जायगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*२३---**श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद)---[हटा दिया गया।]

कानपुर जिले में वर्षा तथा ओला पीड़ितों को सहायता

*२४---**श्री शिवनार्थसिंह** (जिला कानपुर)---क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि दिनांक २९ मार्च, १९६२ को कानपुर जिले के अन्तर्गत तहसील पुखरायां व तहसील डेरापुर में भीषण तूफान व उपलवृष्टि से कितने गांव प्रभावित हुये, कितने सौ बीघा खड़ी फसल नष्ट-भ्रष्ट हुई? कितने व्यक्तियों की जानें गईं और कितने जानवर मरे?

श्री बृजबिहारी---दिनांक २९ मार्च, १९६२ को जिला कानपुर की तहसील भोगनीपुर तथा डेरापुर में वर्षा तथा उपल-वृष्टि नहीं हुई। दिनांक २७ मार्च, १९६२ की वर्षा तथा उपलवृष्टि से तहसील भोगनीपुर में ४३ ग्रामों में लगभग १५,२२६ एकड़ एवं तहसील डेरापुर के ११ ग्रामों में २,५०३ एकड़ भूमि की फसल पर प्रभाव पड़ा। उक्त दोनों तहसीलों में वर्षा, उपलवृष्टि के कारण पेड़, दीवाल तथा छत गिरने से ३ मनुष्यों तथा १ पशु की मृत्यु हुई।

*२५---**श्री शिवनार्थसिंह**---क्या किसी सरकारी अधिकारी ने मौके पर जाकर परिस्थिति का निरीक्षण किया? और न कोई तत्कालिक सहायता ही पहुंचाई गई? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है?

श्री बृजबिहारी---सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और १,००० रु० की अहेतुक सहायता तथा ५०० रु० की तकाबी क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को दी गयी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार मालगुजारी में छट भी दी जावेगी।

श्री शिवनार्थसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा हुआ और किस तारीख को किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एस० डी० ओ० तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल आदि सभी ने किया। तारीख मैं नहीं बता सकता।

श्री नरसिंहनारायण---मंत्री जी इसको देखते हुये कि जो क्षति हुई है वह बहुत अधिक है और मनुष्यों तथा जानवरों की जानें भी गई हैं और जो सहायता पहुंचाई गई है वह बहुत कम है, इसलिये विशेष सहायता पहुंचाने की योजना पर विचार कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लास का कम्पेंसेशन देना असम्भव है। ऐसे समय पर फौरी तकलीफ को रफा करने के लिये हम सहायता देते हैं और वह हमने दी है?

लखीमपुर–मोहम्मदी सड़क पर गोमती के पुल का निर्माण

*२६––श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)––क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखीमपुर–मोहम्मदी सड़क पर स्थित गोमती नदी का पुल निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ हुआ और कब पूर्ण होगा ?

श्री गनेशीलाल––फरवरी, १९६० में प्रारम्भ हुआ। मार्च, १९६३ तक पूर्ण होने की आशा की जाती है।

*२७––श्री छेदालाल चौधरी––क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुल के अभाव में हर साल अस्थायी काम चलाऊ पुल निर्माण करने और बिगाड़ने में कितना धन व्यय होता है ?

श्री गनेशीलाल––लगभग ३०० रुपये।

श्री छेदालाल चौधरी––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब अस्थायी पुल बिगाड़ दिया जाता है तो जनता को गोमती पार कराने की क्या व्यवस्था है ?

श्री गनेशीलाल––जनता नावों से पार करती है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुपालन पूरक अनुदान

*२८––श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत मार्च मास में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को किस आधार पर उप-शिक्षा निदेशक (अर्थ) प्रयाग, के विभाग से अनावर्तक अनुपालन पूरक अनुदान (Additional maintenance (deficit) grant (non-recurring) दी गई है ?

श्री अजीज इमाम––उपलब्ध धनराशि, विद्यालयों की मांग तथा शिक्षा संहिता की धारा ३०८ के आधार पर पूरक अनुदान बांटा गया।

श्री कृष्णपालसिंह––क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उपलब्ध धन कुल कितना था और मार्च में कितना बांटा गया ?

श्री अजीज इमाम––इसमें नोटिस की जरूरत होगी।

किशोरी रमन इंटर कालेज, मथुरा के प्रिंसिपल की नियुक्ति के खिलाफ श्री बी० के० शर्मा का पत्र

*२९––श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)––क्या सरकार बतायेगी कि श्री बी० के० शर्मा, वकील, मथुरा का ३ अप्रैल, १९६२ का कोई शिकायती-पत्र किशोरी रमन इन्टर कालेज, मथुरा के प्रिंसिपल की नियुक्ति के खिलाफ डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस शिकायती-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री अजीज इमाम––जी हां।

यह शिकायती पत्र जांच के लिये भेज दिया गया है, इसलिये संप्रति इसकी प्रति सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा––क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक जांच हो जायगी ?

श्री अजीज इमाम––यहां से भेज दिया गया है। वहां से जैसे ही आ जायगा वैसे ही उस पर निर्णय कर दिया जायगा।

श्री उग्रसेन––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायती-पत्र आया है उसमें मुख्य-मुख्य कौन सी शिकायतें थीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---शिकायतें यह लिखी गयी हैं कि गुप्ता की जो नियुक्ति हुई है वह अनियमित रूप से हुई है। यह भी संकेत किया गया है कि सम्भव है कि वह अनियमितता जो हुई है उसको गवर्नमेंट पूरी तरह से गौर न करे, उनको स्वीकृति दे दी, इस खयाल से कि गुप्ता ने शिक्षा मंत्री के चुनाव के अवसर पर अपने विद्यार्थियों से मदद दी थी। इस सिलसिले में मैं जरूर कहूंगा कि बहुत गलत बात है। यह उनकी नियुक्ति हुई जुलाई में और चुनाव हुए हैं जनवरी फरवरी में। इस बीच में हमारे पास कोई आवेदन-पत्र कहीं से नहीं आया है। डिप्टी डाइरेक्टर ने जो आदेश दिया वह अपने ही तरह से दिया है। हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं आयी है। इस प्रश्न के आने के बाद ही हमको मालूम पड़ा है कि यह अनियमितता हुई है। हमने डिप्टी डाइरेक्टर को बुलाया है सब पत्रों को लेकर, कि हम को बतलायें कि मामला क्या है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डाइरेक्टर महोदय ने स्वीकृति का आदेश किस तारीख को दिया?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी मुझे सूचना नहीं है।

जालौन जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

*३०---**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)---क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि जिला जालौन में दिनांक ४/५ मार्च, १९६२ को ओले गिरने से करीब १०६ गांवों की फसल को बहुत क्षति हुई है?

श्री बृजबिहारी---कुल १०७ प्रभावित ग्रामों में से केवल ४० ग्रामों में फसल को अधिक क्षति हुई है।

*३१---**श्री विजयसिंह**---यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की मालगुजारी तथा कोआपरेटिव बैंकों के कर्जे की किस्तों व नहर की आबपाशी की वसूली तत्काल मुल्तवी कराने की कृपा करेगी?

श्री बृजबिहारी---४५,०६३ रु० ४८ नये पैसे की मालगुजारी की वसूली मुल्तवी कर दी गई है। कोआपरेटिव बैंकों के द्वारा दिये गये कर्जे की किस्तों की वसूली की मुल्तवी उन बैंकों के द्वारा ही की जा सकती है। नहरों से सिंचित २६ ग्रामों में २३,४४८ रु० ३० नये पैसे की सिंचाई कर की छूट दे दी गई है।

श्री विजयसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक्स को इस कर्ज की अदायगी की मुल्तवी के लिए सरकार ने उनको कोई आदेश दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माल विभाग ने कोई आदेश नहीं दिया।

संस्कृत पाठशालाओं के प्रधान निरीक्षक को गलत यात्रा भत्ता लेने पर दंड

*३२---**श्री केसरीप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ से सन् १९५८ ई० के बीच प्रदेश की संस्कृत पा शालाओं के प्रधान निरीक्षक द्वारा यात्रा के गलत भत्तों के बनाने तथा अन्य आरोपों की जांच के लिये सरकार द्वारा किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की नियुक्ति हुई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उस ट्रिब्यूनल की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

नोट---तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आचाय जुगलकिशोर---केवल यात्रा के गलत भत्तों के बनाने की जांच के लिये मामला ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यनल को सौंपा गया। रिपोर्ट सदन में रखना जनहित में उपयुक्त नहीं है।

*३३---**श्री केसरीप्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अधिकारी को सरकार ने कौन सा दंड दिया ?

आचार्य जुगलकिशोर---दंड का ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१६ पर)

*३४---**श्री केसरीप्रसाद**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त अधिकारी इस समय शिक्षा विभाग के किस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक के पद पर।

छाता तहसील में अतिवृष्टि से क्षति

*३५---**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा तहसील छाता में अतिवृष्टि के कारण जो फसलें नष्ट हुई हैं और कुओं का पानी खराब हो गया है उसके सम्बन्ध में क्या शिकायत सरकार के पास आई है क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री जी ने उक्त शिकायत के उत्तर में सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश मार्च, सन् १९६२ में दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अब तक की गई कार्यवाही का विवरण देने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार

*३६---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के आध्यापकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में अन्तर का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---सेवा प्रतिबन्ध (Service Condition) की भिन्नता।

*३७---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते में से ५० प्रतिशत भत्ते के धन को केन्द्रीय सरकार से मिलने का आश्वासन मिला है ? यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को मंहगाई भत्ता देने में क्यों टाल-मटोल कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में बातें चल रही हैं।

*३८---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार को ज्ञात है कि देश के अन्य प्रान्तों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को १५ रु० से ४० रु० प्रतिमास तक महंगाई भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। इस प्रदेश में भी १०० रु० तक वेतन पाने वाले अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है और इसको बढ़ाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

राजकीय कन्या हाई स्कूल, रामनगर में फीस

*३९---**श्री उमाशंकर** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामनगर वाराणसी में एक राजकीय कन्या पाठशाला करीब तीन वर्षों से चल रही थी जिसमें दसवीं कक्षा तक कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी ?

आचार्य जुगलकिशोर--जुलाई, १९५९ से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोला गया जिसमें तभी से कक्षा ८ तक की शिक्षा हो रही है, कक्षा ६ तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । कक्षा ७ और ८ में केवल ५० नये पैसे अंग्रेजी पढ़ाई की फीस ली जाती थी ।

शैक्षिक सत्र १९६१-६२ से इस स्कूल का उच्चीकरण हाई स्कूल स्तर पर हो गया जिसके फल स्वरूप कक्षा ७ से कक्षा १० तक शिक्षा संहिता के अनुसार छात्राओं से अध्ययन एवं अन्य शुल्क प्राप्य हो गया ।

*४०--**श्री उमाशंकर**--अगर हां, तो क्या यह सही है कि गत मास से उक्त विद्यालय के छात्राओं की गत जुलाई मास से फीस वसूल की जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्राप्य शुल्क की मांग फरवरी, १९६२ में की गई और मार्च से फीस वसूल हो रही है ।

*४१--**श्री उमाशंकर**--अगर हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर में निहित है ।

*४२--**श्री किसुना** (जिला देवरिया)--[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बरसठी-रामपुर तथा कठवतियां-रामपुर सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*४३--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में बरसठी स्टेशन से रामपुर बाजार तक अन्तरिम परिषद् की सड़क सरकार पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा पक्की कराने के लिये योजना बना चुकी है ? यदि हां, तो कितने दिनों के अन्दर ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*४४--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में रामपुर ब्लाक के अन्तर्गत श्रमदान द्वारा बनवाई गई सड़क कठवतियां से रामपुर तक पक्की कराने के लिये सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने दिनों में पक्की हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*४५-४६--**श्री भीखालाल**--[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न १०६-१०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, अमरोहा में इंटर क्लास शुरू करना

*४७--**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, अमरोहा, में इन्टर क्लास शुरू करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । १९६३-६४ में ।

*४८--**श्री शराफत हुसैन रिजवी**--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उपरोक्त स्कूल के विद्यार्थियों के लाने-ले जाने के लिये जो बस अमरोहा भेजी गयी थी वह क्यों वापस कर ली गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--बस नहीं दी गई । अतः वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*४९--**श्री शराफत हुसैन रिजवी**--क्या उपरोक्त स्कूल के लिये भविष्य में बस भेजने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर--राजकीय कन्या विद्यालयों को बस देने की एक योजना है, परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस स्कूल को कब तक बस दी जा सकेगी ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा कुछ परीक्षार्थियों को आगरा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की सूचना

*५०--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण बी० ए०, एल-एल० बी०, व एम० ए० के लगभग ३०० छात्र परीक्षा में बैठने से इस वर्ष वंचित हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल ३१ अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुये हैं जिनमें २१ प्रार्थना-पत्र आगरा विश्वविद्यालय ने तथा १० गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अस्वीकृत किये ।

*५१--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि आगरा विश्वविद्यालय का कहना है कि उनका अधिकार-क्षेत्र समाप्त हो गया और गोरखपुर विश्वविद्यालय में चला गया है और वहां कुछ विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४/५ के अधीन गोरखपुर विश्वविद्यालय बन जाने के पश्चात् उक्त क्षेत्र में आगरा विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र नहीं रहा । अतः जो विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय से पार्ट टू की परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें आज्ञा भी दी गई है । आगरा तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के समझौते के अनुसार अभ्यर्थी १९६३ ई० तक आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ सकते हैं ।

*५२--श्री ऊदल--क्या मरकार को पता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ३०० परीक्षार्थियों को इसी मार्च में सूचना दी है कि वे सन् १९६३ में आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ सकते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है और इन विद्यार्थियों के परीक्षा में बैठने का क्या प्रबन्ध करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--केवल ३१ व्यक्तियों को सूचित किया है कि वे १९६३ की परीक्षा में आगरा विश्वविद्यालय से बैठें ।

परीक्षा लेना केवल विश्वविद्यालय का कर्तव्य है सरकार इस संबन्ध में कुछ नहीं कर सकती ।

[२५ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

परमेठ के पास गांगी नदी पर पुल की आवश्यकता

*४--श्री रामसुन्दर शास्त्री--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के अन्तर्गत करन्डा परगने का सदर मुकाम गाजीपुर बरसात के ४ महीने उस क्षेत्र से कटा रहने के कारण परमेठ के पास गांगी नदी पर पक्के पुल के सिलसिले में सरकार उक्त पुल के निर्माण के बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--पुल के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

बाढ़ क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफ करने का कथित आदेश

*५--श्री रामसुन्दर--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर सन् १९६१ से प्रदेश के किन-किन बाढ़-पीड़ित जिलों के पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफ करने-हेतु आदेश जारी किये गये थे तथा कितना-कितना प्रदान किया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर--कोई आदेश नहीं दिया गया ।

*६--श्री रामसुन्दर--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदत्त धनराशियों में से कितनी-कितनी धनराशियां व्यय की गईं और शेष व्यय न होने का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल इंटर कालेज, कादम्बरी, कानन पिडरा, वाराणसी

*७--श्री ऊदल--क्या सरकार नेशनल इन्टर कालेज कादम्बरी, कानन पिडरा, वाराणसी में एग्रीकल्चर विभाग खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं, क्योंकि प्रबन्धक की ओर से तत्सम्बन्धी कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

*८--श्री ऊदल--क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त कालेज को अब तक कितना रुपया बिल्डिंग ग्रान्ट व लाइब्रेरी के लिये दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सन् १९६१-६२ में ३००० रु० का भवन अनुदान दिया गया है । पुस्तकालय के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

*९--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि पिडरा कालेज में सन् १९५९ से ६१ तक अनट्रेन्ड प्रिंसिपल को रक्खा गया था और तनख्वाह ट्रेन्ड प्रिंसिपल को दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । श्री भागवत त्रिपाठी ने, जो ट्रेन्ड नहीं थे, इस संस्था में १-४-१९५९ से अक्तूबर, १९६१ तक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया । विभाग द्वारा इस नियुक्ति पर आपत्ति की गई, परन्तु प्रबन्धक ने उसकी अवहेलना की और उन्हें ट्रेन्ड प्रधानाचार्य के पद का वेतन देते रहे ।

*१०-१२--श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत "रोड गैंग्स" कर्मचारियों का वेतन दर

*१३--श्री मैनेजर (जिला बलिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड गैंग्स कर्मचारियों के वेतन दर निश्चित करने के क्या सिद्धान्त हैं और यह दरें कौन-कौन अधिकारी तय करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--वेतन दर साधारणतया निकट बाजार दर के हिसाब से निश्चित की जाती है ।

द्वितीय भाग--अधीक्षण अभियन्ता ।

*१४--श्री मैनेजर--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि उनके विभाग के "रेगुलर गैंग्स" के कर्मचारियों को गजटेड छुट्टियां नहीं दी जाती हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को छुट्टी दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--यह सही नहीं है । इन कर्मचारियों को वर्ष में १० दिन की छुट्टियां दी जाती हैं ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

*१५--श्री मैनेजर--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ताओं ने "वर्क चार्ज के अन्तर्गत रोड गैंग्स" कर्मचारियों के वेतन दर निश्चित किये हैं ? यदि हां, तो पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के कौन-कौन से खंड में वेतन दर निश्चित किये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---मुख्य अभियन्ता ने सारे राज्य के लिये मेट, बेलदार और मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन दर निश्चित किये हैं । इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता अपने-अपने खंडों में वेतन दर स्थानीय बाजार दर के अनुसार निश्चित करते हैं ।

*१६---श्री रामसुन्दर शास्त्री---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

परसीपुर--महराजगंज, कालिकाधाम--कछवा सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१७---श्री गयाप्रसाद---क्या सरकार जिला वाराणसी में परसीपुर से महराजगंज १२ मील तक की सड़क को पक्की कराने को सोच रही है ?

*१८---क्या सरकार वाराणसी जिले के कालिका धाम से कछवा रोड को पक्की कराने का विचार कर रही है ?

*१९---क्या सरकार कालिका धाम के पास वरना नदी पर एक पुल बनवाना चाहती है?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

फरेंदा तथा सदर तहसीलों में चकबंदी

*२०---श्री नर्सिंहनारायण---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तहसील के काश्तकारों ने फरेन्दा तहसील में बाढ़ की स्थिति को देखते हुये चकबन्दी न कराने हेतु जिला अधिकारियों तथा माल मंत्री के पास पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---जिला अधिकारियों को इस संबंध में कुछ पत्र प्राप्त हुये थे उन पर जांच करके समुचित कार्यवाही की गई । एक प्रार्थना पत्र सरकार को भी प्राप्त हुआ था जिसे चकबन्दी आयुक्त के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

*२१---श्री नर्सिंहनारायण---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तथा सदर तहसीलों में चकबन्दी के कितने मुकदमें इस समय विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१७ पर)

*२२---श्री नर्सिंहनारायण--क्या माल मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फरेन्दा तहसील में जो चकबन्दी स्टाफ काम कर रहा है उसमें कितने जौनपुर जिले के रहने वाले है और कितने कर्मचारी गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों के है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ २१७ पर)

*२३-२४---श्री वैजूराम (जिला सीतापुर)---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२७---श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)---[८ जून,१९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८-२९---श्री राजदेव (जिला देवरिया)---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

चन्द्रप्रताप सिंह, कानूनगो महराजगंज सर्किल के विरुद्ध शिकायत

*३०--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में महराजगंज कानूनगो सर्किल पर १ जनवरी सन् १९६१ से ३० सितम्बर ,१९६१ तक कौन कौन कानूनगो रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल श्री चन्द्रप्रतापसिंह।

*३१--श्री उमाशंकर--क्या यह सच है कि उक्त कानूनगो ने अपने कार्यकाल में अपने लेखपाल को मिलाकर जनता के खेतों पर काबिज वर्ग ९ लिखवा लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ?

रायबरेली जिले में ओलाग्रस्त फसल की मालगुजारी में छूट

*३२--श्री रतिपाल (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में पिछली उपलवृष्टि से फसल को कितनी हानि हुई है और सरकार ने प्रभावित किसानों को क्या सहायता पहुंचायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पिछली उपल वृष्टि से ६२ गावों में फसल को हानि हुई जिसकी मात्रा रुपये में ६ नये पैसे से ८७ नये पैसे तक रही। उन क्षतिग्रस्त खातों में जिनमें नियमानुसार मालगुजारी मे छूट मिल सकती है, छूट दी जायेगी।

*३३--श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

पब्लिक विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल, सराय हरखू को अनुदान देने पर विचार तथा श्री कैलाश शर्मा अध्यापक का राजा बाजार खडडा से शिकायती पत्र

*३४--श्री यादवेन्द्र दत्त--क्या सरकार बतायेगी कि पब्लिक विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल, सराय हरखू ,जौनपुर के मैनेजर का पत्र ग्रांट पाने हेतु ४ अप्रल, १९६२ को सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। इस संस्था को अनुदान देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*३५--श्री यादवेन्द्रदत्त--क्या सरकार बतायेगी कि श्री कैलाश शर्मा, सहायक अध्यापक, श्री गांधी किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजा बाजार खडडा, देवरिया का शिकायतीपत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। आवश्यक जांच की जा रही है।

*३६-३७--श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--[६ टे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३८--श्री केसरीप्रसाद--[२४ मई, १९६२ को प्रश्न १४७ के अन्तर्गत उतर दिया जा चुका है।]

आदर्शनगर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*३९—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिले में आदर्शनगर स्थान में आग लगने से ८० घर जल गये हैं तथा प्रायः १ लाख की हानि हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अग्निकांड में केवल ४८ घर जले तथा अनुमानतः ६४,५०० रुपये की हानि हुई।

*४०—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो सरकार ने पीड़ित लोगों की सहायता हेतु क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—पीड़ित असहाय व्यक्तियों को ५९५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में तुरन्त बांटे गये। तकावी देने के लिये नियमानुसार कार्यवाही हो रही है।

*४१—श्री सहदेवसिंह—[६ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ को महंगाई भत्ते के लिये आश्वासन

*४२—श्री रामचन्द्र विकल तथा कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ यू० पी० के पदाधिकारियों को उन्होंन उनके महंगाई भत्ते तथा वेतन के सम्बन्ध में कोई लिखित आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो कब और क्या ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ को मुख्य मंत्री जी द्वारा २० जनवरी, १९६२ को लिखा गया था कि संघ की महंगाई वृद्धि विषयक मांग पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और अपने साधनों के अन्तर्गत जो कुछ कर सकती है अवश्य करेगी।

माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम अभी सन् १९५९ में ही बढ़ाये गये हैं। अतः उस पर कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४३—४५—श्री कमलासिंह यादव—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६-४७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[५ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ५५-५६ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिकियां गांव समाज की भूमि पर अवैधानिक अधिकार

*४७—श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकियां तहसील बांसडीह में गांव समाज की कितनी भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिकियां गांव समाज में ५८·८७ एकड़ भूमि निहित है।

*४९—श्री जगरनाथ—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त गांव समाज में एक बहुत बड़ा जंगल भी है जिसको चन्द व्यक्तियों ने अवैधानिक ढंग से अपने अपने नाम से लिखा लिया है और आज भी जंगल के रूप में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस गांव समाज की भूमि में २९.९७ एकड़ जंगल है। अवैधानिक ढंग से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २२९ बी के अन्तर्गत जूडिशियल आफिसर बांसडीह के फैसले के पश्चात् कुछ व्यक्तियों ने अपने नाम भूमिधरी तथा सीरदारी में दर्ज करा लिये है। यह क्षेत्र आज भी जंगल के रूप म है ?

*५०—श्री जगरनाथ—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त जंगल में सैकड़ों मवेशी इस समय भी चरते है तथा मजदूर लकड़ी बेच कर गुजर कर रहे है ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार अवैधानिक ढंग से लिखवाये गये व्यक्तियों का नाम उक्त जंगल से खारिज कराने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिकिया गांव के जंगल में पास पड़ोस के अन्य ग्रामों की मवेशियां चरती हैं । सूखी लकड़ी का उपयोग मजदूर आदि करते हैं । सेक्रेटरी भूमि प्रबन्धक समिति सिकिया की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त भूमिधरी एवं सीरदारी दर्ज होने के आदेशों के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति सिकिया की ओर से तजवीज सानी किया गया है और मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

संस्कृत पाठशालाओं के प्रधान निरीक्षक को गलत यात्रा भत्ता लेने पर दंड

*५१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत पाठशाला उत्तर प्रदेश के कोई इंस्पेक्टर गलत टी० ए० वसूल करने के कारण पिछले दो वर्षों से मुअत्तल थे ? यदि हां, तो उनके अपराधों की जांच कराई गई या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, जांच कराई गयी ।

*५२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—यदि उपरोक्त जांच इंस्पेक्टर के अपराधों की जांच हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ ? क्या वह मार्च, १९६२ में reinstate हो गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—इन्सपेक्टर दोषी पाये गये और उचित दंड के साथ मार्च, १९६२ में reinstate कर दिये गये ।

*५३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या उक्त इंस्पेक्टर के अपराधों की जांच के सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन अथवा शिक्षा संचालक महोदय से भी राय मांगी गयी थीं ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा संचालक ने अपराधों की प्रारम्भिक जांच की और राय दी कि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय । विचारोपरान्त मामला Administrative Tribunal को सौंप दिया गया । अन्तिम निर्णय से पहले लोक सेवा आयोग से राय लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

*५४—५५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री काशीनाथबहादुर (जिला बस्ती) तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]—

*५६—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—[हटा दिया गया ।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव द्वारा पिक-अप का अनियमित प्रयोग करने की शिकायत

*५७—श्री रामायण (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्तमान सचिव जब अपने से पद पर कार्य कर रहे है तब से उन्होंने कार्यालय से अपने निवास स्थान तथा अपने निवास स्थान से कार्यालय आने जाने में राजकीय पिकअप का अनियमित रूप से उपयोग किया ? क्या राजाज्ञानुसार यह स्वीकृत है कि सचिव सरकारी वाहन का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिये कर सकते है ? इसके पूर्व जो सचिव रहे उन्होंने कितनी बार इस प्रकार से राजकीय पिक-अप का प्रयोग किया ?

आचार्य जुगलकिशोर--माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्तमान सचिव के विरुद्ध अनियमित रूप से राजकीय पिकअप प्रयोग करने के संबंध में शासन के पास कोई शिकायत नहीं आई है। कोई भी सरकारी अधिकारी वाहन का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिये वाहन विभाग की राजाज्ञा में दिये गये नियमों के अनुसार उपयोग कर सकता है। वर्तमान सचिव के पूर्व सचिव के विरुद्ध भी शासन के पास कोई शिकायत नहीं आई थी।

*५८-५९--**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

आंशिक खाते की चकबन्दी पर पूर्ण व्यय लेना

*६०--**श्री रामकिशोर**--क्या माल मंत्री बताने की अनुकम्पा करेंगे कि जिन ग्रामों में चकबन्दी हो रही है वहां यदि किसी खातेदार के किसी खाते के कुछ अंश को चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है और उसी के शेष अंश का अलग कर दिया गया है तो क्या सरकार ने पूरे खाते पर चकबन्दी व्यय लगाने के आदेश दे रक्खे है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। खाता ही एक व्यवस्थित इकाई है जिसको रेवेन्यू रिकार्डस में परम्परागत मान्यता प्राप्त है। चकबन्दी के अन्तर्गत कुल क्षेत्र के आधार पर यथा सम्भव संहित (Cowpactness) पर बल दिया जाता है। ऐसी दशा में यद्यपि किसी खाते का कोई खेत या अंश विशेष चकबन्दी के योग्य नहीं समझा जाता और चकबन्दी से अलग कर दिया जाता है तब भी पूरा खाता प्रभावित समझा जायेगा। खाते के अंशों का विलगांव करके चकबन्दी व्यय इसलिये निर्धरित नहीं हो सकता।

*६१--**श्री रामसुन्दर शास्त्री**--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६२--६३--**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६४--**श्री चन्द्रबली**--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

तेतारपुर ग्राम में आग लगने से क्षति

*६५--**श्री सूरजलाल** (जिला गोंडा)--क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम तेतारपुर, परगना, तहसील उत्तरौला, जिला गोंडा में हाल ही में आग लगी थी? यदि हां, तो कितने घर जले और बचाव हेतु उजड़ गये? सरकार उनकी मदद के लिये क्या कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त ग्राम में ३ अप्रैल, १९६२ को आग लगी थी जिससे कि १० व्यक्तियों के घर जले। बचाव हेतु कोई घर नहीं उजड़ा। पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी अतः उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं थी।

*६६-६८--**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)--[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

विद्यालय निरीक्षक वर्ग के अर्दलियों का काम

*६९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--(क) क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्यालय निरीक्षक वर्ग के अर्दलियों से कितने घंटों तक और किस प्रकार का कार्य लिया जाता है?

(ख) क्या छुट्टी में और ड्यूटी के बाद कार्य करने के लिये उन्हें ओवर टाइम या एवजी छुट्टी की सुविधा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(ग) इस विषय में कोई नियम है या नहीं?

आचार्य जुगलकिशोर---विद्यालय निरीक्षक वर्ग के अर्दलियों को कार्यालय में कार्य करने का समय १० बजे से ५ बजे तक है। उन्हें अधिकारी के साथ दौरे पर भी जाना होता है। दौरा के काल में कार्य करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। राजकीय कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार के चौथे वर्ग के कर्मचारियों का कार्य उन्हें करना होता है।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है।

(ग) जी नहीं ।

*७०-७२---**श्री मुन्नूसिंह**---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३-७५---**श्री जे०पी० मिश्र** (जिला हरदोई)--- [८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६-७८---**श्री रामसिंह** (जिला सहारनपुर)---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सठियांव चकबंदी केन्द्र अधिकारियों के विरुद्ध श्री पुरुषोत्तम पाठक के शिकायती पत्र

*७९---**श्री सुरजन** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मुहम्मदाबाद गोहना चकबन्दी सेंटर छपरा उमरपुर कोइलरी तथा सत्यांव में कुल कितने उजुरदारी (तनाजा) के मुकदमे जनवरी, १९६२ से १५ अप्रैल सन् १९६२ तक कायम किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूचना एकत्र की जा रही है।

*८०---**श्री सुरजन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बल्लीपुर पो० सठियांव, जिला आजमगढ़ के पुरुषोत्तम पाठक ने दिनांक २७ मार्च १९६२ को सर्व-माननीय माल मन्त्री मुख्य मन्त्री डाइरेक्टर, चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश जिलाधीश तथा जिला चकबन्दी अधिकारी को सठियांव चकबन्दी सेंन्टर के अधिकारियों के विरुद्ध आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उन आवेदनपत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम बल्लीपुर पोस्ट सठियांव जिला आजमगढ़ में श्री पुरुषोत्तम पाठक द्वारा चकबन्दी आयुक्त तथा अल्प निम्न स्तरीय अधिकारियों को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही। सरकार को भी श्री पाठक द्वारा प्रेषित दिनांक २६-३-६२ का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्र की प्रतियां चकबन्दी आयुक्त आदि को भी प्रेषित की गई थीं इसलिये उस पर सचिवालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

माध्यमिक शिक्षकों को महंगाई भत्ता देने पर विचार

*८१---**श्री पूरनलाल** (जिला हरदोई)---क्या सरकार (शिक्षा मन्त्री) यह बतायेंगे कि हाल में माध्यमिक सेकेंडरी हायर स्कूल के अध्यापक संघ द्वारा गरानी भत्ता सरकार स्कूलों के बराबर करने की जो मांग की गई थी; क्या उस पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह विषय मन्त्रि परिषद् की एक उप समिति के विचाराधीन है।

शाहाबाद–पिहानी सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*८२—श्री पूरनलाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला हरदोई शाहाबाद में पिहानी जाने वाली कच्ची सड़क को पुख्ता कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब और कितने मील ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*८३—श्री मन्नालाल—[८ जून, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*८४–८५—श्री जगदीशप्रसाद—[८ जून, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

फरीदपुर–बीसलपुर सड़क व ढकनी घाट का पुल बनाने की प्रार्थना

*८६—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में फरीदपुर से बीसलपुर जाने वाली सड़क व उसके अन्तर्गत बहिगल नदी पर ढकनी घाट के पुल का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है और उसका निर्माण कब तक हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इस सड़क व पुल का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं किया गया था ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*८७—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बख्शी तालाब के निकट नार्मल स्कूल की नई इमारत

*८८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व बख्शी का तालाब, बढ़ेली, लखनऊ ने नार्मल स्कूल के निर्माण हेतु ६०,००० रुपये की लागत से जमीन खरीदी तथा लगभग ३ लाख रुपये की लागत से स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९५७ में लखनऊ जिले में बख्शी के तालाब के पास एक नार्मल स्कूल के भवन निर्माण के लिये ८४,५१४ पये १० आने की लागत की भूमि खरीदी गई थी। लगभग २,१६,००० रुपये की लागत से स्कूल के इमारत बनी ।

*८९—श्री गिरजाप्रसाद—क्या यह सच है कि सरकारी योजना के अनुसार सिसेंडी में ६०० रुपये माहवर के किराये की बिल्डिंग में चल रहे नार्मल स्कूल को उक्त निर्मित भवन में स्थानान्तरण करना था, क्योंकि किराये की बिल्डिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार मखदूश है तथा डायरेक्टर, शिक्षा विभाग के स्थानान्तरण के लिये आदेश भी किया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह सही है कि सिसेंडी में एक नार्मल स्कूल किराये की इमारत में है जिसका मासिक किराया ६०० रुपये है। इस स्कूल को नये बने हुये बख्शी के तालाब की सरकारी, इमारत में स्थानान्तरण करने का विचार था। इस सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर आदेश भी जारी किये गये थे। किन्तु यह सही नहीं है कि सिसेंडी की इमारत खतरनाकहालत में है ।

*९०—श्री गिरजाप्रसाद—यदि हां, तो कई वर्षों से उक्त नार्मल स्कूल का स्थानान्तरण क्यों रुका हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर---कई वर्षों से स्थानान्तरण रुकने का प्रश्न नहीं है। इमारत पिछले वर्ष में ही बन पाई। प्रयोग में लाने के पूर्व कुछ सुविधायें की व्यवस्था नितान्त आवश्यक थी जो अब भी पूरी नहीं हो पाई है। इसी बीच सरकार के एक अन्य विभाग को, जिसकी आवश्यकता को प्राथम्य दिया गया, इस इमारत की जरूरत आ पड़ी। गत वर्ष जब से इमारत बनी इस आवश्यकता का विचार किया गया। १० मई, १९६२ को बजट के वाद विवाद के उत्तर में इस सम्बन्ध में मैंने कहा था कि दो नार्मल स्कूलों को सिसेंडी और निगोहां से स्थानान्तरण करके इस इमारत में लाया जायगा। किन्तु इसके बाद ही ऐसा आवश्यकता आन पड़ी है कि शिक्षा विभाग को इस इमारत को सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तान्तरण करने के लिये विचार करना पड़ रहा है जिससे नार्मल स्कूलों को इस इमारत में लाने की योजना को कदाचित स्थगित करना पड़े।

देवरिया जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*९१---**श्री किसुना**---क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद के तहसीलवार किन किन गांवों में आग की घटनायें जनवरी, १९६२ से मार्च, १९६२ के अन्दर हुई हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्रामों के नाम की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २१८ पर)

*९२---**श्री किसुना**---सरकारी सहायता कितनी दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पीड़ित व्यक्तियों में १,५९० रुपये आहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया।

*९३-९५---**श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर** (जिला गढ़वाल)---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में जमुना पर शेरगढ़ पुल का निर्माण

*९६---**श्री लखीसिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम शेरगढ़ क्षेत्र छाता जिला मथुरा के घाट पर जमुना का पुल बनाने का इरादा है? यदि हां, तो उक्त पुल के बनाने की कार्यवाही कब पूरी होगी?

श्री गिरधारीलाल---शेरगढ़, जिला मथुरा में जमुना नदी पर एक पीपे का पुल बनाया जा रहा है जिस पर कार्य आरम्भ हो गया है। दूसरा भाग लोहे की कमी के कारण पुल के निर्माण में विलम्ब हो रहा है। यह बतलाना सम्भव नही कि यह पुल कब तक पूरा हो जायगा।

*९७-९८---**श्री लखीसिंह**---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

एस०एस०ई०एस० ग्रेड के अस्थायी अध्यापक

*९९---**कुंवर श्रीपाल**---क्या सरकार बतायेगी कि क्या S.E.S. (L.T.) से स्पेशल सर्वडिनेट (S.S.E.S.) ग्रेड की पदोन्नति के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्रति वर्ष चुनाव होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं।

एस० एस० ई० एस० ग्रेड के पदोन्नति विषयानुसार होता है। विभिन्न विषयों में रिक्तियां उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र चुनाव करने कर प्रयत्न किया जाता है, अतएव प्रत्येक विषय का चुनाव प्रति वर्ष होना सम्भव नहीं है।

*१००--कुंवर श्रीपाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय कितने अध्यापक १० वर्ष से अधिक समय से S.S.E.S. ग्रेड में अस्थाई रूप में (Officiating) कार्य कर रहे हैं ? तथा विभाग ने अभी तक उनको स्थायी नहीं किया ?

आचार्य जुगलकिशोर---९ सहायक अध्यापक हैं जो स्थायी रिक्तियों के अभाव में स्थायी नहीं हो सके।

एस० डी० आई० के चुनाव में परिगणित जाति के हेडमास्टर

*१०१---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एस० डी० आई० पद के लिये सन् १९५४ से अब तक कितनी बार हेड मास्टर कैटेगरी और कितने बार डाइरेक्ट चुनाव हो चुके हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---हेड मास्टर कैटेगरी से १ बार १९५५ में । डायरेक्ट ४ बार, १९५५, १९५७, १९५९ तथा १९६२ में।

*१०२---श्री माताप्रसाद---क्या शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् १९५४ ई० में हेड मास्टर कैटेगरी में एस० डी० आई० के लिये कुल कितने व्यक्ति चुने गये उसमें परिगणित जाति के कितने थे ?

आचार्य जुगलकिशोर---हेडमास्टर कैटेगरी से १९५५ में कुल १३ व्यक्ति एस० डी० आई० पद के लिये चुने गये थे जिनमें १ परिगणित जाति के थे।

*१०३---श्री माताप्रसाद---क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ ई० में हेडमास्टर कैटेगरी से एस० डी० आई० के चुनाव के लिये परिगणित जाति के कितने व्यक्ति बुलाये गये और उनकी योग्यतायें क्या थीं ?

आचार्य जुगल किशोर---परिगिणित जाति के तीन हेडमास्टर बुलाये गये थे जिनकी निम्न योग्यतायें थीं---

(१) हाई स्कूल एच० टी० सी०, साहित्य रत्न।

(२) हाई स्कूल, एच० टी० सी०।

(३) इन्टर एच० टी० सी०, साहित्य रत्न।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कानपुर जिले में सड़कों व पुलों का निर्माण

*१०४---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लम्बी सड़क पक्की की जावेगी तथा कुल कितने नदियों के पुल बनेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---चालू योजना के अन्तर्गत १४९८ मील पक्की सड़कों तथा ८६ पुलों का निर्माण होगा। नई योजना के अन्तर्गत ५८२ मील पक्की सड़कों तथा ४६ नये पुलों के निर्माण का प्राविधान किया गया है जिसमें से २४० मील लम्बी सड़कें व १६ पुल योजना काल में पूर्ण होंगे ।

*१०५---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में से उपरोक्त सड़कों व पुलों में से कानपुर जिले में कितने मील लम्बी सड़क पक्की की जावेगी व कितने पुल नदियों पर निर्मित किये जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—चालू योजना के अन्तर्गत ६ मील ३ फर्लांग पक्की सड़क व १ पुल का निर्माण होगा। नई योजना के सीमित आकार होने के कारण कानपुर जिले में किसी नई सड़क व नये पुल के निर्माण या प्राविधान नहीं किया गया है।

*१०६—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का सड़क व पुलों, का प्रारूप तैयार करते समय कानपुर जिले की नियोजन समिति ने इस विषय में क्या सिफारिश की थी ?

श्री गिरधारीलाल—जिला नियोजन समिति कानपुर की इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश सरकार को प्राप्ति नहीं हुई है। अन्तरिम जिला परिषद कानपुर ने ११ सड़कें, जिनकी कुल लम्बाई १५३ मील है, तथा ४ पुलों के निर्माण की सिफारिश की थी।

*१०७—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिसवां-बहराइच सड़क पर पुल तथा बिसवां-महमूदाबाद सड़क बनाने की प्रार्थना

*१०८—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बिसवां–बहराइच रोड जिला सीतापुर पर केवानी, और गुबरिया और चौका नदियों पर कब तक पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इन पुलों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

*१०९—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां-महमूदाबाद सड़क को पक्की बनाने की कोई योजना है और है तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

बुढ़गंगा नदी पर घाटरेत पुल की आवश्यकता

*११०—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा, तहसील अलीगंज में ग्राम बढ़ोला के निकट घाटरेत (रेति घटा) अथवा घाट थाना (थमिघटा) बुढ़गंगा नदी पर पुल बनने की आवश्यकता से वह अवगत है ? यदि हां, तो क्या इसे बनवाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल किसी पक्की सड़क पर नहीं पड़ता है और इस समय पके निर्माण की कोई योजना नहीं है ?

बांदा जिले में केन पर नवीन पुल न बनना

*१११—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन नदी पर कोई पुल बनना तय हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*११२—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त**—यदि हां, तो कब तक बनने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

*११३—**श्री भीखालाल**—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*११४—**श्री चन्द्रजीत**—[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर–इलाहाबाद सड़क पर दोहरीघाट पुल की आवश्यकता

*११५—श्री कल्पनार्थीसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर इलाहाबाद रोड पर दोहरी घाट का पुल तृतीय योजना में है? यदि हां, तो इस पर कब तक काम शुरू होगा। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं। द्वितीय प्रश्न—प्रश्न नहीं उठता। तृतीय भाग—धनाभाव के कारण।

*११६—श्री झिलमिट झिल्लू—[८ जून, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

कमिश्नर, इलाहाबाद मण्डल के विचाराधीन इटावा जिले के सरकारी कर्मचारियों की अपीलें

*११७—श्री सहदेवसिंह—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि इटावा जिले के सरकारी कर्मचारियों की कितनी अपीलें इस समय कमिश्नर, इलाहाबाद मंडल के विचाराधीन हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इटावा जिले के सरकारी कर्मचारियों की २ अपीलें इस समय कमिश्नर इलाहाबाद मंडल के विचाराधीन हैं।

*११८—श्री सहदेवसिंह—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इनमें सब से पहली अपीलें किस सन् की हैं? उनका अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ है और अब फैसला कब तक हो जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह दो अपीलें सन १९५८ तथा १९६१ की हैं। जिलाधीश के दफ्तर से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध न होने के कारण इनका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। जिलाधीश को समय-समय पर कागजात भेजने के लिये स्मरण कराया गया है। उनके उपलब्ध होने पर फैसला हो जायगा।

*११९—श्री रामकिशोर—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी, जौनपुर के विरुद्ध आरोप

*१२०—श्री काशीनाथ—क्या सरकार को पता है कि बदोबस्त अधिकारी चकबन्दी जौनपुर लगातार तीन वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर रह कर चकबन्दी कार्य में किसानों और अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जौनपुर, उक्त जिले में १० जनवरी, १९५९ से कार्य कर रहे हैं। जून, १९६१ तक वह तहसील शाहगंज में रहते थे। उसके बाद तहसील सदर में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ होने के कारण जौनपुर में रह रहे हैं। यह सर्वथा निर्मूल है कि वे किसानों तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

*१२१—श्री काशीनाथ—क्या सरकार को यह भी पता है कि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध आम जनता में शिकायती पैम्पलेट बांटे गये और सरकार के पास भी शिकायतें भेजी गयीं, यदि हां, तो उस पर सरकार की ओर से कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में एक पैम्फलेट प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ आरोप बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जौनपुर के विरुद्ध थे। कुछ शिकायतें सरकार को भी प्राप्त हुई थीं। जांच से सभी आरोप निराधार पाये गये।

*१२२—श्री काशीनाथ—क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अधिकारी का तबादला आम चुनाव से पहिले हुआ था फिर चुनावकाल तक के लिये स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—आम चुनावों से पहले बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जौनपुर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं हुये थे। इस कारण उनके स्थानान्तरण को स्थगित करने का प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले में सई नदी के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१२३—श्री रतीपाल—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में सई नदी की बाढ़ से जो क्षति तटीय निवासियों को हुई है उनको क्या सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—रायबरेली जिले में सई नदी की बाढ़ से पीड़ित तटीय निवासियों को निम्नलिखित सहायता दी गई—

	रुपये
(१) अहेतुक सहायता	८,७१४
(२) गृह निर्माण हेतु सहायता	२४,०००
(३) तकावी (आपत्ति बीज तथा गृह निर्माण)	९५,०००
(४) बाढ़ पीड़ित विद्यार्थियों को छात्र-वृतिका	२,६७३
(५) मालगुजारी में छूट	७३,७६०.२७
(६) लगान में छूट	२१२.३९

नागरिया यादवान के अग्नि-पीड़ितों को सहायता का आश्वासन

*१२४—श्री सहदेवसिंह—क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि गत मास इटावा जिले की भरथना तहसील के ग्राम नगरिया यादवान (मौजा बेलहर) में खलिहान में आग लग गई थी जिसमें लगभग सात हजार रुपये का अनाज का चारा जलकर राख हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों की कोई सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी हां, उक्त अग्निकांड में अनुमान ११,४०१ रुपये का अनाज व चारा जल गया।

पीड़ित व्यक्तियों में ३८५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया। तकावी देने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मालगुजारी व अन्य सरकारी करों की वसूली रोक दी गई है। तथा क्षति का विवरण तैयार किया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुकूल छूट दी जायगी।

माध्यमिक शिक्षकों का मंहगाई भत्ता सम्बन्धी कथित पत्र

*१२५—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार के पास माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से ऐसा कोई पत्र आया है कि यदि माध्यमिक शिक्षकों को महंगाई भत्ता न दिया गया तो संघ कोई सक्रिय कदम उठाने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*१२६—श्री राजेन्द्रसिंह—[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न १०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२७-१२९—श्री शिवसम्पति शर्मा—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फूलपुर तहसील के कछार क्षेत्र में लगान माफी की प्रार्थना

*१३०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में बाढ़ एरिया (कछार) का लगान दो किस्तों के बजाय एक ही किस्त में वसूल कर लिया जाता है जबकि पहले दो किस्तों में वसूली हुआ करती थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*१३१—श्री बंशीलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जब नदी में बाढ़ आ जाया करती थी उस साल लगान की एक किस्त छूट दे दिया जाया करती थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। मालगुजारी की छूट केवल उन जोतों तथा खातों में दी जाती है जिनमें क्षति ५० नं० पै० या इससे ऊपर होती है।

सहसवान-गुन्नौर सड़क पर महावा नदी के पुल की आवश्यकता

*१३२—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में सहसवान-गुन्नौर सड़क पर महावा नदी पर पक्का पुल तीसरी पंचवर्षीय योजना में है यह कब तक तैयार होगा?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल तृतीय पंचवर्षीय योजना में अभी सम्मिलित नहीं है।

*१३३—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

*१-४—श्री गनेशचन्द (जिला मैनपुरी)—[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया.....

श्री अध्यक्ष—आप यहां बैठे थे। हम लोग आपको वहां देख रहे थे। खैर, अब तो वह निकल गया।

बद्रीनाथ तथा गंगोत्री तीर्थ-मार्ग पर चलने वाली बसों के आपरेटर्स द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई सूचनायें बद्रीनाथ और गंगोत्री तीर्थ-मार्गों के सम्बन्ध में आयीं हैं। माननीय झारखंडे राय जी का तो कामरोको प्रस्ताव है....।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार का प्रश्न है कृपया उसकी नोटिस ले लें।

श्री अध्यक्ष---माननीय झारखंडेराय, माननीय रघुवीरराम, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद, माननीय उग्रसेन और माननीय चन्द्रजीत यादव, ये चार पांच सूचनायें आयी हैं। माननीय झारखंडे राय की जो सूचना है उसको मैंने कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो नहीं लिया है, नियम ५२ के अन्तर्गत ले लिया है। और यह सबकी और जितनी सूचनायें आयी हैं, मैंने वह सब सम्बन्धित मंत्री महोदय के पास भेज दी हैं। मंत्री महोदय बता सकेंगे कि कब इसके सम्बन्ध में वह अपना वक्तव्य देगें ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ट्यूजडे को वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो मैं पढ़ दूं जो आया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अंग्रेजी तब बोली जाती है जब हिन्दी का शब्द न मिले, जब उसका पर्यायवाची हिन्दी में न मिले।

एक सदस्य---अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने भी सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। जो सूचना है वह इस प्रकार है---

बद्री नाथ और गंगोस्त्री तीर्थ मार्ग पर चलने वाली प्रायः ४० बसों के आपरेटर्स ने कम्पनी के नियंत्रण से अपनी गाड़ियां वापस ले ली हैं और हड़ताल करदी है। उनकी शिकायत है कि टेहरी-गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन के प्रबन्धकों ने उनकी कमाई नहीं दी है। आपरेटर्स को सारी परिस्थिति की जानकारी करा दी है।

प्रायः एक हजार तीर्थ यात्री टेहरी में पड़े हैं, जो गंगोत्री से लौट रहें थे। हरद्वार तथा ऋषिकेश में भी सैकड़ों तीर्थ यात्री पड़े हैं।

भूख हड़ताल की भी धमकी दी जा चुकी है।

सारी स्थिति गंभीर है। इस पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।

इसी प्रकार टम्बेश्वरी प्रसाद जी का जरा विस्तृत है लेकिन विचार समान इसी प्रकार के हैं।

तो मंगलवार २९ तारीख को माननीय मंत्री जी बयान देंगे।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---एक दफा ५२ का मैंने भी दिया था।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---एक विशेषाधिकार का प्रश्न था....

श्री कल्पनार्थसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक विशेषाधिकार का प्रश्न था और वह विशेषाधिकार का प्रश्न एजेन्डे के तीसरे नम्बर पर आना. चाहिये था। दूसरी बात मुझे निवेदन करनी है कि मैंने एक दफा ५२ दिया है। आप कामरोको प्रस्ताव को दफा ५२ मे स्वीकार कर लेगें तो जो दफा ५२ दिये जायेगें उनका क्या हस्र होगा।

श्री अध्यक्ष---अब आप माननीय कल्पनाथ जी, बैठिये।

श्री कल्पनार्थसिंह---मैं बैठ रहा हूं, लेकिन आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं व्यवस्था दे रहा हूं। एक मर्तबा, दो मर्तबा, कई मर्तबा सदन के समक्ष यह निवेदन किया है कि नियम ५२ के अन्तर्गत केवल एक ही सूचना स्वीकार की जाती है। उसको स्वीकार करने के पश्चात् यह प्रश्न ही नहीं किया जा सकता कि मेरे दफा ५२ का क्या हुआ तो एक मैंने स्वीकार कर लिया है जिसको मैंने दूसरी सूचनाओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण समझा। इसलिये अब कृपया यह प्रश्न न उठाया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न किया था वह यह था....

श्री अध्यक्ष---अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री कल्पनार्थसिंह---जो मैं कह रहा हूं उसको तो, श्रीमन्, सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो कहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह--मैं यह कह रहा था कि जो प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में आये उसको कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में लेना उचित था मगर जो प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में आये उनको नियम ५२ के अन्तर्गत लेना उचित नहीं था। उन प्रस्तावों को भी यदि नियम ५२ के अन्तर्गत लिया जाता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को दिया जाने वाला महत्व के प्रश्न पूछने का अधिकार छीना जा रहा है। इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---सदन ने अपने नियमों के द्वारा वह अधिकार दिया है, कि एक दिन में नियम ५२ के अन्तर्गत एक ही सूचना स्वीकार की जाय। मैंने एक सूचना स्वीकार कर ली है। अगर आप समझते हैं, या कोई अन्य माननीय सदस्य यह समझता है, कि उससे अधिक होनी चाहिये तो नियम में परिवर्तन कराये। मैं स्वयं उन नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---एक दूसरा प्रस्ताव मेरे पास प्रिविलेज के सम्बन्ध में आया है। उसको मैं देख रहा हूं। अगर वह प्रिविलेज के लायक होगा तो मैं सदन के समक्ष रखूंगा और अगर नहीं होगा तो नहीं रखूंगा। लेकिन अभी मुझे उसके ऊपर विचार करना है।

श्री नरसिंहनारायण---श्रीमन्, मेरी भी एक सूचना अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के अन्तर्गत थी। उसके जवाब यहां पर मंत्री जी के आने पर मुझे मिले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह परम्परा इस सदन की है कि जब प्रश्नों के जवाब मंत्री जी देने खड़े हों उसी समय वे जवाब भेजे जायं।

श्री अध्यक्ष---आप मुझसे बात कर लीजियेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, मुझे आपकी व्यवस्था से सन्तोष नहीं हुआ है। इसलिये मैं फिर यह प्रश्न करना चाहता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की किस धारा के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत परिवर्तित हो सकता है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास ४, ५ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आई थीं और जिस विषय को मैंने स्वीकार किया है उसमें कई सूचनायें थीं। उसी विषय पर झारखंडेराय जी की थी। टम्बेश्वरी प्रसाद जी की भी उसी विषय पर थी। इसके अलावा और सूचनायें थीं जिनमें उग्रसेन जी की भी थी लेकिन मैंने उसी को स्वीकार किया है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरी शिकायत दूर नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था लेकिन तब भी दूर नहीं हुई है। हमारा हक खत्म हो गया है। मैंने दरख्वास्त भी दी, लेकिन फिर भी हमारी शिकायत दूर नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ से मिल लीजियेगा, लेकिन आप नहीं आये ।

१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४४—लेखन-सामग्री और मुद्रण

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२९,९७,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—इस पर विवाद नहीं होगा, अतः मैं यह सदन के समक्ष रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२९,९७,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री फूलसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,०३,०७,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,८१,४५,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री के बजट पर मुख्य मंत्री आंकड़े बजट में तो छपे ही हैं, पर एक पुस्तिका भी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बांट दी गयी है । मैं इस सदन का बहुत समय उन सब चीजों को दोहराने में लेना मुनासिब नहीं समझता, तब भी मोटे तौर से दो तीन बातों को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

इंडस्ट्री में हम लगातार तरक्की करते जा रहे हैं । पहले योजना काल में इंडस्ट्री की मद में ६ करोड़ रुपया खर्च हुआ था, दूसरी योजना में १२ करोड़ खर्च हुआ और तीसरे प्लान में यह रकम बढ़ कर २० करोड़ हो गयी । इसके अलावा टेक्निकल एजूकेशन पर पहले प्लान में १ करोड़ ४२ लाख खर्च था दूसरे में १ करोड़ ७६ लाख हो गया और तीसरे प्लान में यह ७ करोड़ हो जाने वाला है । इसी प्रकार फल संरक्षण पर भी दूसरे प्लान में २८ लाख रुपया खर्च हुआ था और तीसरे प्लान में यह रकम बढ़ा कर ४९ लाख हो जायगी । इसी तरीके से अगर सालवार खर्च को देखा जाय तो १९६१, १९६२, १९६३ में मुतवातिर बढ़ोत्तरी होती गयी है । सन् १९६०–६१

[श्री फूलसिंह]

में, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल था, और स्वाभाविक तरीके से आखिरी साल में काफी रुपया खर्च हुआ करता है, लेकिन उस पर भी जो रकम आखिरी साल में खर्च हुई वह करीब ५ लाख उससे ज्यादा खर्च हुई और इस साल के बजट में उससे भी ज्यादा रकम रखी गयी है । यह तीनों रकमें ६, ७ और ९ करोड़ की हैं । तो इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार का ध्यान खास तौर से उस तरफ है ।

यहां इंडस्ट्री की चर्चा करते समय बहुत-सी उन बातों की चर्चा करना भी आवश्यक है जो बजट में नहीं आती हैं । मसलन हैवी इंडस्ट्री और मीडियम इन्डस्ट्री पर इस प्लान में काफी रुपया खर्च करने का इमकान है । यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि पहले प्लान में सेन्ट्रल सेक्टर से उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं था । दूसरे प्लान में अन्त में कुछ योजनायें बनीं और अब तीसरी प्लान म काफी बड़ी-बड़ी योजनायें सेन्ट्रल सेक्टर की मार्फत होने जा रही हैं । उनमें एक योजना ज्वालापुर में हैवी इलैक्ट्रिकल्स की होगी जिस पर करीब ३० करोड़ रुपया खर्च होने का शुरू में ख्याल था, लेकिन अब कुछ और ज्यादा होगा । एन्टी बायोटिक प्लान्ट भी हम ऋषिकेश में लगाने जा रहे हैं जिसमें करीब २० करोड़ रुपया खर्च होगा । गोरखपुर में फर्टी-लाइजर फैक्टरी कायम होगी जिसमें २० करोड़ रुपया खर्च होगा । एक डीजेल आयल इंजिन फैक्टरी बनारस में खोल रहे हैं जिस पर शुरू में तो १२/१३ करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन वह स्कीम १०० करोड़ के लगभग की है । तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेन्ट्रल सेक्टर से काफी बड़ी तरक्की इन्डस्ट्री की मद में हमारे यहां होने वाली है ।

पब्लिक सेक्टर में भी हमारे यहां काम हुआ है । सीमेंट फैक्टरी की अकसर यहां चर्चा हुई है । सफेद सीमेंट आदि बनाने की भी हमारी योजना है और वह भी उसमें जल्दी बनने लगेगा । आपको जो प्रिसीजन इन्सट्रूमेन्ट फैक्टरी है उसमें तो कई गुनी तरक्की हुई है और वह कई सालों से काफी मुनाफा दे रही है । इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इस प्रदेश में हम इन्डस्ट्री लगाने जा रहे हैं । इन्डस्ट्री ऐक्ट के मातहत पहले प्लान में जितनी फैक्टरीज रजिस्टर्ड हुई थीं उनकी संख्या करीब २,००० के थी । दूसरे प्लान के आखिर तक उनकी संख्या २,६०० तक पहुंची और वह संख्या अब बढ़ कर ३,००० से ऊपर हो गयी है । नयी फैक्टरियों को जो लाइसेन्स दिये जा रहे हैं उनमें यह बात देखने की है कि करीब ४५ करोड़ रुपये की फैक्टरीज हैं, जिनको लाइसेन्स मिल गये हैं और जो पब्लिक सेक्टर में लगेंगी जिन पर इस साल से रुपया खर्च होगा । इसके अलावा और भी ५० करोड़ के करीब फैक्टरीज प्राइवेट सेक्टर में लगाने जा रहे हैं । तीसरे प्लान में हमारा जितना टारगेट था उसमें से करीब ९०–९५ करोड़ अभी पूरा होने जा रहा है । तो इस तरह से हमारे प्रदेश में फैक्टरियों की लगातार तरक्की हो रही है ।

इस समय हम ज्यादातर तवज्जह स्माल स्केल इंडस्ट्री की तरफ दे रहे हैं । उसके आकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको अन्दाजा होगा कि जितना रुपया हैवी और मीडियम इन्डस्ट्रीज के लिये प्रोवाइडेड है उसका कई गुना रुपया स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये रखने जा रहे हैं । इसी तरह से देश और प्रदेश की तरक्की के लिये इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि टैक्निकल एजूकेशन पर काफी रुपया खर्च हो । तो मैं आकड़े दोहराता नहीं हूं । आप आकड़े देखेंगे तो मालूम होगा कि टैक्निकल एजूकेशन पर भी काफी तरक्की हो रही है ।

स्माल स्केल इंडस्ट्री में कुल दो चीजों की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं । एक तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का । दूसरे प्लान के अन्त में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की योजना शुरू हुई और ५ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, २ बड़े, २ औसत दर्जे की और दो छोटी, इनकी पहले पहल मंजूरी हुई । उसके बाद इस बात की जरूरत समझी गयी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिये ५ और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स मंजूर की जायं । इसी तरह से पिछड़े हुये पूरब के क्षेत्रों के जिलों के लिये भी ५ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स मंजूर करने की जरूरत समझी गयी । इस तरह से १५ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स सेकेंड प्लान्

में मंजूर हुई थी । मगर उन पर काम बहुत तेजी से नहीं चल सका । अब इस प्लान में वह सब पूरी हो जायंगी ।

इसके साथ-साथ इस प्लान में ४१ के करीब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लगाने की योजना है सरकार की । कोशिश की गयी कि इस प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लगा दी जाय और तरह-तरह की इंडस्ट्रियल एस्टेट लगाने का विचार सरकार के सामने है । चुनांचे हरिजनों के लिये अलग से लगाने की योजना है और कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट की भी बात है । कई बार इस सदन में भी चर्चा हुई कि देहाती क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये इंडस्ट्रियल एस्टेट का रूरल कैरेक्टर भी बढ़ना चाहिये, तो उस तरफ भी काफी ध्यान जा रहा है। जो सदस्य इन चीजों को बहुत गौर से देखते हैं वह जानते होंगे कि सरकार जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाती हैं उसमें एक इलाके को सौ, दो सौ, पांच सौ, एकड़ को डेवलप कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, बिजली और ड्रेनेज का इंतजाम कर दिया, टेलीफोन लगा दिया और वहां सर्विस सेंटर बना दिया और बिल्डिंग की इमारत तैयार कर दी और फिर वह चीजें इंडस्ट्रीज को दे देती है, जिसको कीमत इंडस्ट्रियलिस्ट को कौरन अदा नहीं करनी पड़ती । यह बहुत बड़ी सहूलियत है । लेकिन जैसा कि स्वाभाविक है, ऐसी चीजों की कीमत बढ़ जाती होगी । इसलिये जरूरत समझी गयी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के अलावा इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल साइट्स भी होने चाहिये । जमीन का डेवलपमेंट करके, पानी का इंतजाम करके, बिजली का इंतजाम करके इंडस्ट्रियलिस्टस को मौका दें कि अपनी इमारत खुद बना लें ताकि किफायत जो मुमकिन हो वह हो सके । इस तरह से यह योजना है, जिसमें मैं समझता हूं, देश में काफी उत्थान होगा ।

एक चीज और है । इंडस्ट्रियल एस्टेट के अलावा जो महत्वपूर्ण काटेज इंडस्ट्री है वह हैंडलूम इंडस्ट्री है जिस पर बहुत काफी रुपया खर्च होता है । हैंडलूम इंडस्ट्री में २ लाख के करीब बुनकर सहायता पाते हैं । उसकी बुनियादी बात यह है कि जो बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर बन जाते हैं उनकी मार्फत उन लोगों को सहायता मिलती है यहां काफी माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिनको इस बात का अनुभव होगा कि सोसाइटियां काफी जागरूक नहीं हैं । ये सोसाइटियां इतनी बड़ी संख्या में हैं, मुमकिन है कि कुछ बिलकुल काम न करती हों, सोई पड़ी हों, इसलिये अगर व्यक्तिगत सहायता देना शुरू करते तो दिक्कत होती । इन सोसाइटियों की मार्फत जितने शेयर बुनकर खरीदते हैं उन पर कर्जा मिल सकता है । पहले एक शेयर की कीमत १० रुपया थी, अब १०० रुपया हो गयी है और ७५ फीसदी, यानी १ शेयर पर ७५ रुपया कर्जा मिल सकता है, यानी बुनकरों को आज औजार खरीदने के लिये भी कर्जा मिल जाता है । खड्डी जो कर्घा होता था जमीन पर बैठकर बुनने का, अब उनके बजाय फरमे लगाकर बनाये हैं, उनके लिये भी कर्जा मिला करता है । और ये तीनों अनुदान ७-७ लाख रुपये की हैं । इससे आप अन्दाजा लगायेंगे कि कितनी अच्छी इमदाद बुनकरों को होती है । बुनकरों की उन्नति के लिये पिछले दो तीन वर्ष से एक योजना चली थी पावर लूम्स की । कई साथी उसके लिये चर्चा भी करते हैं । जब पावरलूम की योजना बनी थी तब उसमें यह आशंका थी कि इसके लगने से अनएम्पलायमेंट का प्रश्न बढ़ जायगा । इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको शुरू करने में थोड़ी-सी देर की । फिर भी हमारे प्रदेश में एक साल में २६८ पावर लूम लगे और पिछले साल में ३६३ पावर लूम लगाने की योजना मंजूर की गई थी । अब खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने मान लिया है कि पावरलूम को आगे बढ़ाना उचित नहीं है लेकिन जो रुपया एलाट हुआ था उसको वह वापिस नहीं देंगे । हमारे जो कमिटमेंट हो चुके हैं उनको हानर किया जायगा और जो रुपया बचेगा उसको बुनकरों के फायदे की और मदों में खर्च कर दिया जायगा ।

मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री विभाग में प्रगति होने का श्रेय उसके कर्मचारियों को जाना चाहिये, मैं तो केवल आलोचना का अधिकारी हूं । मैं तो आलोचना सुनूंगा और जो बातें

[श्री फूलसिंह]

काबिले अमल होंगी उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा । मैं समझता हूं कि जो प्रशंसा का काम है उसको आप पर छोड़कर आपके सामने वह बातें रखूं जो कठिनाइयों की हैं इन्डस्ट्रीज का जो भविष्य है उसको उज्ज्वल कहने में सबसे दिक्कत मालूम होती है, कारण यह कि यह मुहकमा कई कठिनाइयों में फंसा है । इंडस्ट्री के लिये कई चीजों की आवश्यकता होती है । रुपये की पहली आवश्यकता है । इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट्स में एक कमेटी है जिसमें उस जिले के मेम्बरान सदस्य होते हैं । यह डिस्ट्रिक्स कमेटी जिले में कुछ रुपया बांटती है । इधर स्टेट लेविल पर भी एक लोन्स एण्ड ग्रान्ट्स कमेटी है, यह भी काफी रुपया लोगों को देती है इंडस्ट्रीज के लिये । इसके बाद यू० पी० स्टेट फाइनेन्स कारपोरेशन है । इसको भी सरकार ने कुछ रुपया दे दिया है जो लिबलाइज्ड लोन स्कीम के मातहत लोगों को दिया जाता है । यह लोन कमेटी १५ हजार से एक लाख तक की मात्रा में लोगों को रुपया देती है । काफी रुपया ६०-७० लाख रुपया इस मद से दिया गया है । इसी तरह से कारपोरेशन की जो चर्चा की उसके पास भी काफी रुपया है । यह २० लाख से एक करोड़ तक कर्जे में लोगों का रुपया देता है । फिर फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया है । यह एक करोड़ से ऊपर की रकम के कर्ज संस्थाओं को देता है । इस तरह से आप देखेंगे कि कर्जा का एक काफी बड़ा क्षेत्र है और काफी संस्थायें हैं जो कर्जा बांटती हैं ।

यह मुमकिन है कि काफी कर्जा जो दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल न होता हो । यह ऐसा प्वाइन्ट है जिस पर मैं आदरणीय सदस्यों का मशविरा चाहूंगा कि इसमें क्या होना चाहिये जिससे एक-एक पाई जो कर्जे में दी जाय उसका सही उपयोग होने लगे । दूसरी दिक्कत यह है कि फारेन एक्सचेन्ज वाला मामला नाजुक है । अब भारतवर्ष में कुछ मशीनरी बनने लगी है फिर भी काफी मशीनरी बाहर से मंगानी पड़ती है जिसके लिये एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है । आप यह जानकर हैरान होंगे कि जितनी हमारी आवश्यकता है उसका बहुत कम हिस्सा हम दे पाते हैं । पार साल ४२ लाख रुपये के ऐसे सर्टिफिटेट्स मंजूर हुये जब कि हमारी आवश्यकता २,९३ लाख रुपये की थी । इसके मानी यह हुये कि जितनी हमारी आवश्यकता थी उसका सातवां हिस्सा हम पा सके । इतना ही नहीं, जो इंडिजिनस आयरन और स्टील है, जो लोहा यहां से हमें प्राप्त होता है, उसकी भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है । उसके लिये हमारी आवश्यकता ९,३३,००० टन की है, लेकिन हमारा साल भर का एलोकेशन १५,००० टन है । यानी पचासवां हिस्सा ही हमें मिल पाता है । उसी प्रकार से कापर में १२ हजार टन की हमारी आवश्यकता है जबकि हमें केवल मिलता है २,९०० टन । जिंक में हमारी आवश्यकता २० हजार टन की और मिल पाता है २,९०० टन । इस प्रकार से उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता है वे चीजें हमें उतनी मात्रा में मिल नहीं पाती हैं । जिससे हम उनको पर्याप्त मात्रा में दे सकें । जाहिर है, अगर शार्ट सप्लाई होगी तो ब्लेक मार्केटिंग और करप्शन बढ़ेगा और ग्राहकों के ज्यादा और सामान के कम होने की वजह से बेईमानी बढ़ सकती है । इस बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से बराबर बातचीत करते रहते हैं । मैं भी इस सिलसिले में दिल्ली गया था ।

सब से बड़ी कठिनाई कोयले और पावर फ्यूल की है । जहां तक बिजली का सवाल है उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से नहीं है इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको काफी हद तक हल कर लिया है । २१ जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिये हैं कि वह २५ किलोवाट तक बिजली इंडस्ट्रलिस्ट्स को दे सकते हैं । हर जिले में ५०० किलोवाट से २,००० किलोवाट तक बिजली रखी गयी है । जिनकी आवश्यकतायें वहां से पूरी नहीं हो सकती हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और विभाग से बिजली दी जाती है ।

परन्तु कोयले की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है । रोजमर्रा नये-नये कारखानें खुलते जा रहे हैं । यह सीधी-सी बात है कि उसके लिये ज्यादा से ज्यादा कोयले की आवश्यकता

होगी लेकिन कोयले का जो हमारा एलोकेशन है वह बहुत कम है। पिछली साल २–३ मदों में हमें २,९०० वैगन कोयला अलाट हुआ था। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग-धंधे करने वाले थे जो अपनी निजी कोशिश से कोयला ले आते थे लेकिन इस साल केन्द्रीय सरकार ने उसको बंद कर दिया है। हमारा कोटा भी अब २,२०० वैगन कर दिया गया है। इधर कोयले की मांग कारखानों में बढ़ती जा रही है उधर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। एक गलती और हो गयी, किसी गलतफहमी से यह हुआ कि कुछ कारखाने ऐसे थे जिनको केन्द्र से सीधे-सीधे कोयला मिलता था लेकिन उनसे भी कह दिया गया कि तुमको भी स्टेट के कोटे में से दिया जायगा। अगर उनको भी हमें कोयला देना पड़ा तो एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी होने वाली है, यह प्रश्न अब इस सदन के सामने है कि वह हमें बताये कि इस सिलसिले में और हमें क्या करना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी इस विषय में बहुत कोशिश कर रहे हैं कोयले के सम्बन्ध में एक बात और है। उसको लाने के सम्बन्ध में कई योजनायें प्रस्तुत की गयीं––इरिया से लाया जाय, अथवा सड़कों से लाया जाय। लेकिन उससे कीमत बढ़ने की बात आती है। इसमें भी आप मशविरा दें कि क्या किया जा सकता है।

हमारे सामने एक समस्या टेकनीकल नो-हाउ की है। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिये हम काफी रुपया खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी समस्या और भी है जिसके लिये हम एक इन्डस्ट्रियल सैल खोलने की योजना बना रहे हैं जहां से लोगों को हिदायतें मिल सकें। इसके द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मशविरा दिया जायगा लेकिन इसके लिये सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार का मशविरा इंडस्ट्रियलिस्ट्स से ऊंचा होना चाहिये। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से हम कम जानते हैं तो हमसे वे पैसा और रा-मेटिरियल ले जायेंगे और मशविरा हमारा नहीं चलेगा, वे अपनी मर्जी से काम करेंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को काम करने में हम अच्छा मशविरा दे सकें कि कहां और किस कारखाने को लगाने से नफा है और किसमें खतरा है। कहीं ऐसा न हो कि लोगों का पैसा बिगड़ जाय।

जब यह प्लानिंग विभाग शुरू किया गया था, उस वक्त प्लानिंग ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गयी थी। आपको याद होगा कि जो पुराने व्यक्ति उस वक्त थे, रोजाना यह समस्या उठती थी कि क्यों बाहर के आदमियों को लाकर इस विभाग में रखा गया है तथा क्यों बाहर के लोगों को इतनी ज्यादा तनख्वाह आदि दी जा रही है? लेकिन सन् १९५७ में जब कि मैं यहां से गया, उस वक्त तक सब चले गये थे, शायद एक दो बाकी रह गये थे। तो शायद इस तरह की जरूरत पड़े कि इस योजना को मजबूत करने के लिये हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन चीज वहां चल सकती है और किस चीज में नफा है ताकि आगे चल कर किसी खतरे का सामना न करना पड़े। इस तरह की बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। इस सम्बन्ध में मैं सदन का और आपका मशविरा चाहूंगा कि आप मुझे सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिये।

इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिये एक चीज की और आवश्यकता है और वह यह कि उनका माल ठीक तरह से बिके। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक अच्छा खासा कदम उठाया है। यू० पी० स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की स्थापना की गयी है जिसके दो काम हैं। एक तो यह कि सरकार की खरीदारी के सम्बन्ध में वह सब इंडस्ट्री को इत्तिला करता रहे। दूसरे यह कि ऐसी चीजें जिनकी मात्रा कम है उनके वितरण की सही व्यवस्था यह संस्था करे। मुझे खुशी है कि बहुत-सी इंडस्ट्री ने अपने को एनलिस्ट कर लिया है। इलाहाबाद की तरफ काफी एनलिस्टमेंट हुआ है। शायद पश्चिम से ज्यादा पूरब की तरफ लोगों ने रजिस्टर्ड कराये हैं, इससे अन्दाजा लगता है कि पूरब में भी इंडस्ट्री की उन्नति हो रही है। ये चन्द बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखीं और बहस के दौरान जो-जो बातें आप रखेंगे उनको मैं नोट करता रहूंगा और जिनका जवाब देने की आवश्यकता होगी उनका

[श्री फूलसिंह]

जवाब भी दूंगा । सब बातों का जवाब देने से तो कोई फायदा भी नहीं क्योंकि हर बात का जवाब निकालना ठीक भी नहीं होता । बहुत-सी इर्रेलिवेंट बातें हो जाती हैं उसके चर्चा करने में, लेकिन यहां पर जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरी यह मांग मंजूर की जायगी ।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—जो चुनाव होने वाला था उसके सम्बन्ध में मुझे एक सूचना देनी है ।

प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति २५ स्थायी समितियों, उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड, लाभ पद विषयक संयुक्त समिति और राज्य स्वास्थ्य परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी के लिये २५ मई, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक का समय निश्चित किया गया था और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो २९ मई, १९६२ को १२ बजे से ५ बजे तक होना नियत किया गया था । अब मंत्री संसद विषयक की प्रार्थना पर उक्त समितियों के लिये नामों की वापसी का समय २८ मई, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक बढ़ा दिया गया है ।

समस्त स्थायी समितियों सम्बन्धी निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक २ जून, १९६२ को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा ।

शेष समितियों एवं निकायों यानी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड, लाभ पद विषयक संयुक्त समिति, राज्य स्वास्थ्य परिषद्, यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज काउंसिल तथा रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के सदस्यों से सम्बन्धित निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ४ जून, १९६२ को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के निर्वाचन . . होंगे ?

श्री अध्यक्ष—४ जून को ।

श्री उग्रसेन—उसी दिन वह भी हो जाते ।

श्री अध्यक्ष—एक ही दिन सब इसलिये नहीं रखे क्योंकि ज्यादा भीड़-भाड़ हो जाती और दिक्कत होती । इस वास्ते स्थायी समितियों के लिये २ जून है और इन दोनों, लोक समिति और प्राक्कलन समिति, के लिये ४ जून रखी है और दोनों दिन १२ बजे २ से ५ बजे शाम तक का समय है ।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (क्रमागत)

†श्री रामायण (जिला देवरिया)—सान्यवर, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान में १ पया की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—दोनों के लिये साथ ही कर दीजिये ।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामायण––जी हां, दोनों अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––पिछड़े तथा विशेष परिस्थिति वाले भागों की उपेक्षा, विभागीय कर्मचारियों के प्रति शासन का अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण, सम्पूर्ण देश में प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े रहना । और गत दो योजनाओं में उद्योग की दिशा में उन्नति न कर पाना आदि विषयों की चर्चा करना ।

श्री अध्यक्ष––सम्पूर्ण अनुदान के विषय में चर्चा करना है तो इसे पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है ?

श्री रामायण––मैं बड़े ध्यान से माननीय उद्योग मंत्री जी का भाषण सुनता रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मैंने सोचा कि सम्भवतः माननीय उद्योग मंत्री जी ने आज के जो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और जो साथ ही उद्योग मंत्री भी हैं यदि उन के भी विचारों को उन्होंने जानने का प्रयास किया होता और इस से पहले भी जो मुख्य मंत्री थे उन के विचारों को भी देखा होता तो शायद हमारे सामने जो उन्होंने एक सुन्दर चित्र उपस्थित किया है उद्योग के क्षेत्र में प्रगति का, वह ऐसा न करते । मैंने समझा था कि हमारे राज्य का यह सब से बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज के पहले के जो हमारे मुख्य हमारे मंत्री थे उन्होंने यह कहा था कि––

"Uttar Pradesh is almost a virgin field for industrialisation. The agrarian bias of its economy can be easily transformed by a proper utilisation of the huge waste products of the sugar industry, its forest and mineral resources and by "blood transfusion" to her biggest industry, the textiles."

मान्यवर, मुझे तो यह ज्ञात है कि हमारे राज्य में कपड़े का धन्धा बहुत पुराना है, उसके संबंध में माननीय सम्पूर्णानन्द ने यह कहा था कि उसमें अब ब्लड ट्रांन्सफ्यूजन की जरूरत है, उस के शरीर में अनीमिया है, रक्त अवशेष नहीं रह गया है और साथ ही उन्होंने यह भी माना था कि––

"Uttar Pradesh, which has the largest population of the States in the country and is the fourth in order of area, is one of the most backward so far as industrial development is concerned."

मान्यवर, आज के मुख्य मंत्री जी जब सिंहासनारूढ़ हुये तो मैंने उनका एक निबन्ध पढ़ा था "वेस्टेड टेन ईयर्स आफ यू० पी०"। उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया था कि हम औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुये हैं और यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तक हम को दी गई है उस में भी उद्योग का अध्याय जहां प्रारम्भ होता है । आयोजकों ने यह कहा है कि देश के औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है । फिर भी माननीय मंत्री हमारे सामने एक बड़ा मनहारी चित्र प्रस्तुत कर रहे थे । मैंने ऐसा समझा, सम्भव है यह चित्र किसी और राज्य का हो या आज जो पुस्तक बटी है "सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क" की इसके रंगों के प्रभाव से शायद वह औद्योगिक क्षेत्र को हरा-भरा देखने लगे हों । इतना ही नहीं मान्यवर, जो कुछ आज विकास हुआ है जिसकी चर्चा मंत्री जी कर रहे हैं मेरा यह दावा है कि वह विकास भी किसी आधार पर नहीं हुआ है, किसी नीति के बल पर नहीं हुआ है । न इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा जो निर्धारित नीति है उस नीति को भी देखने का प्रयास किया और पिछली दो योजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने के लिये जो काम दिया गया था उस काम के सिलसिले में जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी उसको भी जब देखते हैं तो घोर निराशा होती है, बड़ी तकलीफ होती है कि एक ऐसा आदमी जो सदन के सामने वस्तु स्थिति के ऊपर परदा डाल रहा हो कहां तक इस राज्य के औद्योगिक निर्माण का कार्य कर सकेगा । मान्यवर, यदि हमारे यहां कुछ उद्योग खुले भी हैं तो कहां खुले हैं ? क्या उद्योगों को प्रारम्भ करने का केवल उद्देश्य यही है कि पुराने औद्योगिक जो स्थान हैं नगर हैं उन्हीं में उद्योग सीमित किये जायं ?

[श्री रामायण]

मैंने जब केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उद्योग नीति को पढ़ा तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि औद्योगिक विकास का हमारा तात्पर्य यह है कि जो पिछड़े हुए भूभाग हैं जिसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है उन भूभागों में हम उद्योग धंधों के द्वारा भूमि के ऊपर जो जनसंख्या का भार है उसे कम करेंगे। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मंत्री जी को अगर समय न मिला हो तो पुनः उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे :

"Although a number of industries have grown up in some of the so far backward districts, the fact remains that most of the Industrial development has taken place in the already highly industrialised towns of Kanpur, Meerut, Agra, Aligarh, Allahabad, Lucknow, Varanasi, Saharanpur, Muzaffarnagar etc."

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उद्योग के क्षेत्र में यदि सचमुच राज्य को आगे ले जाना है तो हमें बहुत ईमानदारी के साथ वस्तुस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा और यह भी मानना पड़ेगा कि आज समूचे देश में उद्योग की नीति की असफलता के कारण हमारी सबसे बड़ी दुर्गति है। आये दिन सदन में चर्चा होती है, हम जहां थे वहीं हैं बढ़ोत्तरी का सवाल कहां है अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे हैं। क्यों पीछे हैं ? मंत्री जी को स्वयं अपने मन से यह प्रश्न पूछना चाहिये। मैंने देखा कि औद्योगिक तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में यह प्रश्न अन्य राज्यों से सबसे पीछे है तथा पिछले १० वर्षों में जहां कुल देश में प्रति व्यक्ति औसत आय में १७·३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय ज्यों की त्यों बनी रही। यह है आपकी औद्योगिक नीति और उसकी सफलता जिसकी आप चर्चा करते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि और शब्दों की बात जाने दीजिये यदि सचमुच केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित जो उद्योग नीति थी उस नीति के प्रति आप ईमानदार होते तो चीनी उद्योग, जो आपके राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, जिस उद्योग के सम्बन्ध में आपको यह ज्ञात है कि समूचे देश की आधी चीनी करीब-करीब हम तैयार करते हैं, उस उद्योग का उत्पादन क्रमशः कम होता जा रहा है। उसके रा-मैटीरियल को तैयार करने वाले लोग परेशान होते हैं। उसमें काम करने वाले मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होता है। ऐसी स्थिति में इस धन्धे को आपने अपने हाथ में ले लिया होता, क्योंकि जिस समय औद्योगिक नीति निर्धारित की गई थी उस समय कहा गया था कि कुछ क्षेत्रों में सरकार स्वयं उस धंधे को चलायेगी। जो धंधे ऐसे होंगे जो पनपते न होंगे, अपनी इंटेग्रिटी व स्टैन्डर्ड ठीक से कायम न रख सकें, उनको सरकार अपने हाथ में ले लेगी। मन्त्री जी की सेवा में यह निवेदन कर देना चाहता हूं—

"The industrial policy resolution of 1948 lays down that the manufacture of arms and ammunition, the management of the railways and the production and utilisation of atomic energy is to be exclusive responsibility of the State. The industrial field not covered by the above mentioned industries is left open to private enterprise, but the State reserves the power to intervene whenever the progress of an industry under private control is slow or gives cause for dissatisfaction. Control and regulation is intended for 18 specified groups of industries."

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है यह उद्योग जो हमारे राज्य के लिये ही नहीं, बल्कि समूचे प्रदेश के लिये बड़ी महान् कमी की पूर्ति करने वाला उद्योग है, आज ह्रास की ओर जा रहा है। क्यों नहीं आप इस उद्योग के अन्दर राजकीय नियन्त्रण स्थापित करते हैं ? जो पुस्तिका योजना के सम्बन्ध में दी गई है उसमें बतलाया गया है १९५५–५६ में ५३.१ प्रतिशत चीनी हम पैदा करते थे और १९५८ में घट कर ४६.३ रह गयी, १९५९–६० में ५०.४ हो गई। इस तरह से उत्पादन घटा है। कहा यह गया है चूंकि उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थों की कमी है, इसलिये कृषि आदि उद्योग

हमारे लिये बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इसलिये मेरी यह सरकार से स्पष्ट मांग है कि सरकार को तत्काल इस उद्योग को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

जहां तक कपड़े के उद्योग का सवाल है, उसके भी मैं कुछ आंकड़े माननीय मन्त्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं।

१९५६ में ७२,०५० किलोग्राम कपड़ा तैयार होता था जो सन् १९६० में ७१.५७ किलोग्राम रह गया। जूट की हालत यह है कि १९५६ में १९३५ किलोग्राम तैयार होता था जो १९६१ में १८६५ किलोग्राम हो गया। हां, एक चीज में जरूर तरक्की हुई है और उसके लिये माननीय उद्योग मन्त्री जी के साथ-साथ आबकारी मन्त्री जी विशेष बधाई के पात्र हैं, शराब तैयार करने में हमने बड़ी तरक्की की है। ११७६ लिटर शराब सन् १९५६ में हमारे यहां बनती थी और अब हम ७,१६७ लिटर बनाने लगे हैं। बाकी, और चाहे लोहा हो या और कोई चीज हो, हर दिशा में आप पीछे गये हैं। फिर क्यों नहीं आप सच्चाई से यह कबूल कर लेते हैं कि आपकी उद्योग नीति पूर्णतया असफल रही है।

जहां तक विनियोग का प्रश्न है समूचे देश में जहां ८७.४ का ऐवरेज आता है वहां हमारे प्रदेश में केवल ५८ है। अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार की ओर से विशेष परिस्थिति वाले इलाकों की जांच के लिये एक कमेटी बनी थी। वह कमेटी बस्ती जिले में भी गई और वहां जांच करके जो रिपोर्ट उसने दी उसको जब मैं आज पढ़ने लगा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। उसमें साफ लिखा है कि आज जो भी प्रयास इन इलाकों की तरक्की के लिये किये जा रहे हैं इसके बावजूद हमें इस बात में सन्देह है कि १९७१ तक भी ये इलाके आत्मनिर्भर हो पायेंगे। और मैं आप से क्या कहूं, इसी सिलसिले में जब मैं फूडग्रेंस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कहां तो यह होना चाहिये था कि जो लोग आज खेती पर आश्रित हैं उनकी तादाद क्रमशः उद्योगों की ओर की जाय, लेकिन बरखिलाफ इसके हो यह रहा है कि १९०१ में जहां करीब ८१ प्रतिशत लोग देवरिया में खेती पर निर्भर करते थे वहां आज वह आंकड़ा बढ़कर ९३.५ हो गया। जिज्ञासा हुई कि समूचे देश के आंकड़े पढ़ कर देखूं। तो मालूम हुआ कि दूसरे नम्बर पर बस्ती जिला आता है। वहां ९० प्वाइंट कुछ लोग खेती पर आश्रित हैं। तो क्रमशः आपके उद्योग नीति के फलस्वरूप खेती पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। फिर मैं नहीं समझ पाता हूं कि कैसे आप अपनी उद्योग नीति को सफल मानते हैं।

इसी के साथ-साथ जब आप इस अनुदान के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो आपने यह कहा कि हमने प्राविधिक कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिये बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्राविधिक कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था आपने अपनी समझ में चाहे जो कुछ की हो लेकिन योजना बनाने वालों ने स्वयं कबूल किया है कि चाहे तीसरी पंचवर्षीय योजना हो, चाहे चौथी पंचवर्षीय योजना हो, आज टेक्निकल एजूकेशन के लिये आपने जो व्यवस्था की है उसके होते हुये भी जितने आदमियों की आवश्यकता है वह कदापि पूरी नहीं हो सकती। इसलिये मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि टेक्निकल पर-सोनेल को बढ़ाने के लिये टेक्निकल एजूकेशन की फील्ड में आप अधिक उदार नीति बरतने की कृपा करें। लोंस की बात मैं क्या करूं? कानपुर का रहने वाला मैं नहीं हूं। देवरिया का रहने वाला हूं। लेकिन चर्चा होती है और बजट साहित्य में मैं पढ़ता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आपने लोगों को उद्योग-धंधे चलाने के लिये लोंस दिये हैं, परन्तु क्या आपने इस बात का भी कभी पता लगाने की कोशिश की है कि जो पैसा आप किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिये देते हैं उससे वह इंडस्ट्री प्रारम्भ भी होती है या नहीं? यदि सचमुच आप चाहते हैं कि इस राज्य का भला हो तो मैं बड़े दुख और आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी जांच कमेटी बनाइये जो पता लगाये कि पिछले दस सालों में जो इंडस्ट्रियल लोंस दिये गये हैं उनका उपयोग किस प्रकार से हुआ है। लोन किसी धंधे के लिये लिया जाता

[श्री रामायण]

है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे उसका भोजन कर गये। आपके लोन देने के तरीके में ही बुनियादी गलती है। अच्छा हुआ होता अगर आप कर्ज देते समय इस बात की व्यवस्था करते कि जिस साहब को लोन दिया जाता है तो समूची धनराशि किसी बैंक में जमा हो जाती और जब वह साहब बैंक को सन्तुष्ट कर देते कि अमुक धंधे के लिये वे सामान खरीदना चाहते हैं तभी उनको रुपया मिल पाता। यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती तो संभव था कि रुपये का सदुपयोग हो पाता।

अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। आपके उद्योग के संबंध में जो प्रशासन है उसके ही संबंध में नहीं, बल्कि आपकी कल्पना को साकार करने के लिये कुछ लोगों ने एक जांच की थी जो लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़े-बड़े विद्वान थे। उन्होंने लिखा है कि आज जो सरकारी मशीनरी है यह वही है जो पहले यानी अंग्रेजों के जमाने में लगान वसूल किया करती थी। अंग्रेजों के जमाने में जो कानूनगो, तहसीलदार और कलेक्टर थे वे ही आज सेक्रेटरी हो गये हैं। मालगुजारी वसूल करने वाले लोगों से आप नये युग के आदर्शों को चरितार्थ करने की कल्पना करते हैं, यह आपका भ्रम है। पिछली बार जब बजट पर सामान्य विवाद चल रहा था तो माननीय यादवेंद्रदत्त जी दुबे ने चीफ सेक्रेटरी के आदेश की चर्चा कर दी तो हमारे मुख्य मंत्री जी को उस समय बड़ा रोष आया था। उन्होंने यह कहा कि जो लोग इस तरह की बदतमीजी करते हैं, गलत काम करते हैं और जो लोगों को बहकाते हैं तो दोनों को दंडित किया जायगा। उन शब्दों को एक्जैक्ट तो हम नहीं दुहरा सकते हैं, लेकिन जो मेरे मन पर प्रभाव पड़ा उसे मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं।

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और उद्योग-धंधों में लगे हुए कर्मचारी एक खास प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। अगर मैं भूला नहीं हूं तो स्वयं मंत्री जी इलाहाबाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कांफ्रेंस में गये थे और उन्होंने मजबूत संगठन की चर्चा की थी। उनसे भी उसी व्यवहार की आशा की जाती है जो पुलिस कैडेट से की जाती है या मिलिटरी के सिपाही से की जाती है। यदि ऐसी बात आप चाहेंगे तो परिणाम भयावह होगा। मैं प्रदेश के कल्याण की भावना से निवेदन करना चाहता हूं कि सूबे में किसी भी धंधे में लगे हुए मजदूर उत्पादन क्षमता में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। मैंने तो उद्योग के संबंध में साइंटिफिक मैनेजमेंट की चर्चा सुनी थी कि कारखाने में मजदूरों को छुट्टी का क्या हिसाब होना चाहिये, उनके कष्टों को दूर करने की क्या व्यवस्था होनी चाहिये और कारखाने में वैन्टीलेशन किस तरह के हों, ये सारी बातें प्रोडक्शन पर असर डालती हैं। साथ ही साथ मैनेजर का जो व्यवहार होता है वह भी उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। उद्योगों में लगे हुये कर्मचारियों के प्रति आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। उसको ऐक्टिव पार्टनर की शक्ल म दखना होगा। जब तक आप उनको यह स्थान नहीं देंगे, टूटे हुय मन स कदापि वह आपक उत्पादन क कार्यों में सहयोग नहीं कर सकेंगे।

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी कोयले के उद्योग की चर्चा कर रहे थे। इधर के बैठने वालों ने बार-बार कहा कि नदियों के द्वारा कोयला लान की बात सोचिये, लकिन उधर से बराबर इनकार किया गया। आज से कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि केंद्रीय सरकार के एक मंत्री ने कहा कि हमने राज्यों को लिखा है कि नदियों द्वारा कोयला लाने का प्रयास करें। प्रयाग तक, कानपुर तक कितने ही स्थान उत्तर प्रदेश में हैं जहां नदियों द्वारा कोयला पहुंचाया जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने रिवर ट्रांस्पोर्ट पर विचार किया। मेरा दावा है कि नदियों के द्वारा रेल की अपेक्षा ज्यादा सस्ते दामों पर कोयला पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में आपने कदम नहीं बढ़ाया। अगर मैं यह कहूं कि कुछ अधिकारी इंटरेस्टेड थे कुछ लोगों के हितों की रक्षा के लिये, इसलिए ऐसा नहीं हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं यह बात कहता हूं।

मान्यवर, कुटीर उद्योगों की भी आपने चर्चा की। उनमें लगे कारीगरों की बात की, लेकिन क्या कभी आपने यह जानने का प्रयत्न किया कि नाना प्रकार के करीगर, हमारे राज्य में कितने बसते हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। किसी कस्बे में, शहर में, एक ट्रेनिंग सेंटर खोल देते हैं। एक बेचारा कारीगर, जिसके ताल्लुकात गांव के किसानों से हैं, वह अपना काम छोड़ कर वहां कैसे जाय? अगर सचमुच उनका उद्धार करना है तो जिन पाकेट्स में यह लोग रहते हैं वहां पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही उनको नये औजार देने होंगे।

इसके अलावा एक बात मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जहां तक उद्योगपतियों से प्रेम का संबंध है, उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचा देश यह मानता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी अपना कोई सानी नहीं रखते। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उद्योगपतियों के प्रेम से नहीं वरन् उद्योगों के प्रेम से राज्य का भला होने वाला है। जिस कलम से उन्होंने "वेस्टेड टेन इयर्स आफ उत्तर प्रदेश" लिखा था, जिस दृष्टिकोण से उस लेख को लिखा था उसी भावना से अगर राज्य का कल्याण करना चाहेंगे तो उद्योगों के क्षेत्र में काफी उन्नति हो सकती है।

साथ ही साथ, एक बात और कहना चाहता हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि उद्योगीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी आमदनी घट रही है। तीसरी तरफ हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पर कभी आपने विचार किया है? मैंने बार-बार आग्रह किया कि अगर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो आप को छोटी मशीनों की टेक्नालोजी को अपनाना होगा। ठीक है, कुछ मामलों में बड़े उद्योग चलाने पड़ते हैं, लेकिन जापान और स्विटजरलैंड के ढंग की इंडस्ट्री आप गांवों में क्यों नहीं फैलाते? बस, एक आपने चीज देखी है---चरखा चलाओ, अम्बर चरखा बना दिया और सोहन लाल चर्खा बना दिया। जीवन की तमाम उपयोगी वस्तुओं के लिये आप छोटी-छोटी मशीनें क्यों नहीं ग्रामीणों को उपलब्ध कराते हैं जिससे कि थोड़े से पैसे में ग्रामों में उनको लगाकर खेती से बचे हुए समय का उसमें उपयोग वह करें? तो मैं एक टेक्नालोजी को डेवलप करने की बात आपसे करता हूं, छोटे यन्त्र बनाने की टेक्नालोजी की बात आपसे करता हूं। उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। मुझे नहीं कहना चाहिये था इस बात को क्योंकि जो लोग गांधीवाद अर्थशास्त्र के पंडित हैं वह जानते हैं कि गांधी जी ने छोटी मशीन और छोटी जमीन की बात की थी हिन्दुस्तान के कल्याण के लिये, लेकिन मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे देश की प्रगति का सबसे पहला यह रास्ता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ-साथ एम्प्लायमेंट का भी क्वेश्चन हमको हल करना है। एम्प्लायमेंट के फील्ड में निरन्तर हमारे बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपकी आज्ञा से बेरोजगारी के एकाध आंकड़े रखना चाहता हूं। इसके पहले कि हम बेरोजगारी के और पहलुओं पर विचार करें मान्यवर, एक प्रश्न जिधर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह था इन आस्थानों में लगे हुये श्रमिकों का प्रश्न। इस पुस्तिका को ध्यानपूर्वक आप देखने का कष्ट करें। १९५६ में प्रति मास ८ औद्योगिक विवाद होते थे और अब इनकी संख्या बढ़कर १० हो गयी है। मजदूरों के जो झगड़े हैं या उनके जो मुकदमात हैं उनकी तादाद दिन पर दिन आपके राज्य में बढ़ी है। अप्रत्यक्ष इसका प्रभाव उनकी तरक्की के मामले पर पड़ता है। मान्यवर, १९५६ में दो लाख ८१ हजार आदमियों ने अपने नाम दर्ज कराये और १९६१ में नाम दर्ज कराने वाले बेकारों की संख्या ७ लाख ५६ हजार हो गयी। आज ही प्रातःकाल मैंने केन्द्रीय सरकार की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई थी। उसमें भी इस बात को माना गया है कि बेकारों के मामले में समूचे देश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उसका कारण तो बहुत कुछ बताया गया था, लेकिन मैं जहां तक जान पाया औद्योगिक नीति का राष्ट्रीयकरण की तरफ न जाना ही बेकारों की संख्या में वृद्धि का कारण है।

इसके साथ ही मान्यवर, माननीय मंत्री जी यदि इस राज्य की सचमुच उन्नति चाहते हैं तो उन्हें जो समस्या भू-भाग है सबसे पहले उन भू-भागों में राष्ट्रीयकरण की बात सोचनी

[श्री रामायण]

चाहिये । आज जिन धंधों को खोलने की बात है, क्या बताऊं उन धंधों की बात ? पढ़ा मैंने, चुर्क में जो सीमेंट की फैक्ट्री थी वह अब रंगीन किस्म के सीमेंट बनायेगी । हमारे उद्योग मंत्री जो कुछ आर्टिस्टिक होते जा रहे हैं । उन्हें अब काली सीमेंट से नफरत हो गई है, अब सफेद और रंगीन सीमेंट बनाने पर पैसा खर्च किया जायगा । गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोलने की बात कही गई । मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी धंधा प्रारम्भ करने के लिये आपके लिए आवश्यक है कि इस बात का आप पता लगावें कि उसके लिये आवश्यक रा-मैटीरियल उपलब्ध है या नहीं । गोरखपुर में आप ने उर्वरक कारखाने की स्थापना का जो निश्चय किया है वह उस विशेष समस्या वाले भू-भाग के लिये कल्याण की बात थी, लेकिन उसके साथ-साथ वहां पर जो पुराने उद्योग चल रहे हैं जिनमें चीनी का उद्योग है उसके बाई प्रोडेक्ट को खपाने की बात पहले क्यों नहीं की जाती ? उसकी खोई से पेपर क्यों नहीं बनाया जाता ? उसके मोलेसेज से पावर अलकोहल क्यों नहीं तैयार किया जाता ? यह उद्योग-धन्धे उस उद्योग से तैयार किये जा सकते हैं । उस दिशा में आप क्यों नहीं कुछ प्रयत्न करते हैं ? आप कहेंगे कि हमने कुछ यत्न किया है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वह आपका प्रयत्न नहीं के बराबर है । यदि सचमुच इस दिशा में आपको कुछ करना है तो उस इलाके का सही दृष्टि से सर्वे कराना होगा और उद्योग की दृष्टि से सर्वे कराना होगा । उस सर्वे से यह पता लगाना होगा कि किस स्थान पर रा-मैटीरियल मौजूद है । किस प्रकार के कारीगर वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं और कैसे वहां पर उद्योग की समस्या हल की जायगी । यदि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स आप देते चले गये तो सचमुच राज्य का सही विकास न होकर मौजूदा शहरों का विकास हो जायगा । वाराणसी का विकास हुआ है । कानपुर का विकास हुआ है । आगरे का विकास हुआ है, लेकिन देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बुन्देलखंड के जिले और कुमायूं के जो जिले हैं उन जिलों की क्या हकीकत है, इसका आपने कभी पता लगाया ?

औषधि के क्षेत्रों का एक रोज मैंने चर्चा किया था । बहुत से कारखाने इस राज्य में जो दवाइयां बनाया करते थे वह कारखाने क्यों क्रमशः बम्बई की ओर चले गये ? चीनी मिलें कुछ यहां से शिफ्ट होकर दक्षिण भारत की ओर चली गयीं । बार-बार इस बात को कहा जाता है कि यह चीनी मिलें यहां से दक्षिण की ओर चली जायंगी । श्रीमन्, मेरा यह दावा है कि अगर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो जितनी समस्या चीनी मिलों की है वह सारी समस्या हल हो सकती है । आज मिल मालिक जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वह आंकड़े वस्तुस्थिति के निकट कदापि नहीं होते हैं । यह कहा जाता है कि चीनी मिलों में जो आज गिरता हुआ परसेन्टेज है उसका कारण काश्तकार है, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, चीनी का गिरता हुआ परसेन्टेज काश्तकार की वजह से नहीं है, बल्कि सरकार की औद्योगिक नीति की वजह से है । सरकार ने आज तक कोई योजना इस बात की नहीं बनाई कि इन चीनी मिलों के लिये कितना रा-मैटीरियल तैयार होना चाहिये और यह रा-मैटीरियल कैसे इन मिलों को सप्लाई होना चाहिये । आज हालत यह है कि किसी फैक्ट्री में तो जरूरत से ज्यादा गन्ना पड़ा हुआ है और समूचा सीजन बीत जाने के बाद भी वह क्रश नहीं हो रहा है और कई मिलें रा-मैटीरियल के अभाव में बन्द हो गई । तो रा-मैटीरियल का बराबर डिस्ट्रिब्यूशन कैसे हो, इस दिशा में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये । साथ ही रा-मटीरियल पदा करने वाल लोग कैसे सुखी हो सकते हैं इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके राज्य में कुछ जिले ऐसे हैं जिनके लिये मजबूरी है कि वह अपना गन्ना बोयें । मैं देवरिया जिले की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं । देवरिया जिले में प्रत्येक काश्तकार के पास केवल .५ एकड़ जमीन है । यदि वह गन्ना बोता है तो उसको लगभग ३०० रुपया मिल जाता है और यदि वह दूसरी चीज बोता है तो उसको केवल ४०, ५० रुपया मिलता है । इस वजह से वह मजबूर होकर गन्ना ही बोते हैं और उस मजबूरी से सरकार नाजायज फायदा उठाती है । यह बहुत अच्छा नहीं है ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

केवल चीनी मिल ही नहीं, किसी भी धन्धे के लिये रा-मैटीरियल का डिस्ट्रिब्यूशन कैसे हो इसकी स्पष्ट नीति होनी चाहिये। आज जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे चलते हैं उनको रा-मैटीरियल प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत है। सप्लाई आफिस उनको समय से रा-मैटीरियल नहीं देता है। आये दिन आपके पास इस बात की शिकायत आती होंगी। जो छोटे मैनी-पुलेटर्स हैं, छोटे उद्योग-धन्धे चलाने वाले लोग हैं, उनको रा-मैटीरियल समय से मिल सके, इस बात के लिये भी आपको सोचना होगा। अन्त में, मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे जैसे भी संभव हो, इस दिशा में आपको राजनीति से ऊपर उठ कर काम करना होगा। नहीं तो, जैसा मैंने बतलाया, योजना की अवधि समाप्त हो जायगी, फिर भी हम समूचे देश में पिछड़े ही रहेंगे। मेरी समझ में केवल एक धंधा आप सब से बढ़िया चला रहे हैं और उसमें आपने कमाल हासिल किया है। वह है मिनिस्टर बनाने का धंधा जो सब से ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। इसको छोड़ कर मेरी प्रार्थना है कि आप मानव बनाने वाले धंधे में लगें तो शायद इस राज्य का कल्याण हो सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

(प्रस्तुत किये गये माने गये कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२१–२२४ पर)

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि किसी प्रदेश की प्रगति का मापदंड उसकी उद्योग की नीति ही हो सकती है। कुछ निवेदन करने से पहले मैं उद्योग मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस मांग को प्रस्तुत करते समय उन्होंने कोई सुनहरा नक्शा हमारे सामने नहीं रखा, कोई कल्पना की तस्वीर सदन के सामने नहीं रखी, बल्कि वस्तुस्थिति सदन के सामने रखी और उन सारी कठिनाइयों और दिक्कतों को सदन के सामने रखा जो आज प्रदेश के सामने हैं और माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया उनको दूर करने में सहयोग देने के लिये। मान्यवर, वास्तव में मैं अपने मित्र रामायण राय जी के उस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा कि हम प्रगति करने के बजाय उल्टी ओर जा रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये, लेकिन उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना कदाचित् उचित नहीं कहा जा सकता। यदि हम चीनी के, सीमेंट के उत्पादन को देखें, दूसरी फैक्टरियों की तादाद को देखें तो यह मानना पड़ेगा कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ समय में जो विशेष प्रयत्न किये गये, केन्द्र से ज्यादा एलाटमेंट हासिल करने के लिये और विविध दिशाओं में विस्तार के लिये, वे सराहनीय हैं, लेकिन मान्यवर, इस बात से इन्कार करना वास्तविकता से इन्कार करना होगा कि हमारे प्रदेश के उद्योग की स्थिति चिन्ताजनक है, शोचनीय है और वह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। यदि इस ओर सब दलों ने मिलकर ध्यान नहीं दिया तो कदाचित् हम प्रगति की होड़ में पीछे रह सकते हैं। मैं माननीय रामायण राय जी से पूर्णतया सहमत हूं इस विषय में कि हमें राजनीति से ऊपर उठ कर सब के सहयोग से अपनी उद्योग नीति का निर्धारण करना चाहिये। उद्योग नीति में मान्यवर, हमारे देश का माना हुआ सिद्धांत यह है कि हैवी इंडस्ट्री और स्माल और काटेज इंडस्ट्री, यह दोनों ही हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिये आवश्यक हैं। हैवी इंडस्ट्री को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। यहां पर भी हमारे विशेषज्ञों ने इस बात को मान लिया है कि अभी हमें बहुत दिनों तक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों ही का आश्रय लना पड़ेगा, दोनों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मैं बहुत ही संक्षेप में सदन को दृष्टिपात कराना चाहूंगा इन दोनों सेक्टर्स के अन्तर्गत। मैं पब्लिक सेक्टर को पहले लेता हूं।

पब्लिक सेक्टर में यों तो केवल इने-गिने कारखाने ही अभी तक हमारे यहां एलाट हो सके प्रदेश को, लेकिन इन बड़े-बड़े कारखानों के अतिरिक्त हमारे यहां बहुत से छोटे-छोटे कारखाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

प्राइवेट सेक्टर में ऐसे भी हैं जिनकी ओर माननीय सदन का ध्यान नहीं जा पाया है। उनमें सरकार का या तो पूरा हिस्सा है या कहीं थोड़ा हिस्सा है। जैसे रामपुर में ८-१० कन्सर्न्स हैं, बरेली में भी दो हैं। इसी तरह से और जगह भी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जो पब्लिक सेक्टर के कन्सर्न्स हैं उनमें अधिकांश में घाटा हो रहा है। जहां तक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री का सम्बन्ध है उनमें भी उतना लाभ नहीं हो पा रहा है जितना कि उनसे होना चाहिये था। जब हम यह देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में चारों तरफ असफलता ही दिखाई दे रही है, तो हमें उसके कारणों की तरफ भी जाना पड़ेगा। मैं तो समझता हूं कि उसका एक बड़ा कारण यह है कि पब्लिक सेक्टर में जो कारखाने चल रहे हैं उनमें एफीशिएन्सी और अनुभव की कमी है जिसके कारण वे लाभ में नहीं चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनमें एक कमी यह भी है कि उतनी देखरेख नहीं हो पाती जितनी कि आवश्यक है। इसके लिये, इन दिक्कतों को दूर करने के लिये मेरा सुझाव है कि अपने प्रदेश में एक इन्डस्ट्रियल सर्विस कैडर जल्द से जल्द स्थापित होना चाहिये जिसमें हम अपने यहां के अनुभवी कर्मचारियों को शिक्षा दे सकें। दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन की एक विजिलेन्स कमेटी अवश्य नियुक्त करें जो इन पब्लिक सेक्टर में चलने वाले सारे कन्सर्न्स की देखभाल कर सके और उन पर कड़ी निगाह रख सके। खुशी की बात यह है कि केन्द्र में यह मांग स्वीकार हो चुकी है और उन्होंने हाल ही में यह निश्चय किया है कि वे लोक सभा के सदस्यों की एक विजिलेन्स कमेटी नियुक्त करेंगे जो केन्द्र द्वारा चलने वाली अन्डरटेकिंग्स की देख-भाल करेगी।

इसके अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि प्राइवेट सेक्टर में जो कारखाने लगते हैं उनके बारे में कभी-कभी यहां सदन में यह कहा जाता है सरकार द्वारा उनको बड़ी सहायता दी जा रही है। मैं चाहता हूं आप उनके साथ कुछ सहानुभूति रखिये। आज वास्तविकता यह है कि अन्य सूबों के मुकाबले में हमारे यहां उनको सबसे कम सहायता दी जाती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, मैंने जब बरेली की कैम्फर फैक्ट्री के सम्बन्ध में, उनकी समस्याओं को उनके सामने रखा, तो उनके निराकरण का प्रयत्न किया। उसके लिये बरेली की बाबिन फैक्ट्री की जमीन ली जा रही है। उस जमीन पर कब्जा माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयत्न से उनको फौरन मिल गया, लेकिन उसमें आवश्यकता यह होती है कि डाक्युमेंट्स आफ टाइटिल्स उनके नाम ट्रांसफर हों, जिसमें ३-४ महीने लग चुके। इस मामूली दिक्कत और डिल क कारण उनकी सारी प्रगति रुक गयी और जो कर्जा केन्द्र से वह टाइटिल्स के उनके फेवर में एग्जिक्यूट हो जाने के उपरान्त मिल सकता था उससे वह वंचित हो चुके। इस तरह से छोटे-छोटे स्नैक्स हमारे प्राइवेट सेक्टर के लगने में बाधक सिद्ध होते हैं। केन्द्र में जब आप जाइये और वहां के किसी जानकार आदमी से मिलिये तो वह बताते हैं इस फर्क को।

(लाल बत्ती होन पर)

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि संभव हो तो ५ मिनट मेरे समय से अधिक आप दे दें, मुझे अधिक निवेदन करना है। मैं अनुगृहीत हूं।

मेरा ऐसा विश्वास है कि आज प्रदेश में जो भयंकर अनएम्प्लायमेंट की समस्या है उसका एक मात्र उपाय काटेज इंडस्ट्री को प्रगति देना और बढ़ाना है। थर्ड फाइव ईयर प्लान में और उसक अनुसार जो सरकार की योजना बनी है दोनों म इस सिद्धांत को माना गया है और उसक महत्व को स्वीकार किया गया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैवी एलाटमेंट है, लेकिन मैं दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ हुआ वह सराहनीय नहीं कहा जा सकता, संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, बल्कि खेदजनक कहा जा सकता है। हम काटेज इंडस्ट्रीज में एक काम कदाचित् कर सकते हैं कि दो चार करोड़ रुपया या इससे ज्यादा समय-समय पर लोन देना, लेकिन अगर हम कोशिश करें यह देखने की कि हमने कितना टेक्निकल असिस्टेंस और डायरेक्शन दिया है तो हम इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि वह जीरो है, भल ही वह कागजों में दिखाई पड़े।

अभी मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि टेक्निकल नो-हाऊ के लिये वह कोई प्रबन्ध करने जा रहे हैं। मेरी साग्रह उनसे प्रार्थना है कि अगर वह इस धनराशि का उपयोग करना चाहते हैं और काटेज इंडस्ट्री को हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के स्तर पर लाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिये और लोगों की रा-मैटीरियल और टेक्निकल ऐडवाइस से सहायता करनी चाहिय। इस दिशा में सारे डिपार्टमेंट का एप्रोच दुर्भाग्य से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। आज हमारे पड़ोस में पंजाब काटेज इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमसे आगे बढ़ चुका है। हम लोन देते हैं तो हम कोई दान करते हैं इस प्रवृत्ति को हम खत्म करें। मैं तो चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इसका सेक्रेटेरियट बिल्कुल अलग करें और सेक्रेटरी अलग हो। किसी सरकारी अफसर को अगर कोई काम सुपुर्द किया जाता है तो उसकी ओर ही उसका ध्यान होता है। हैवी इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्रीज दोनों को अगर एक सेक्रेटरी डील करता है तो हैवी इंडस्ट्रीज के बोझ से काटेज इंडस्ट्रीज दब जाती है। काटेज इंडस्ट्रीज के संभालने के लिये बहुत सी एजेंसियां हैं। खादी कमीशन बोर्ड, स्टेट खादी बोर्ड, स्टेट डिपार्टमेंट और भी एजेंसीज हैं। तो बड़ी आवश्यकता है कि इनमें कोआर्डिनेशन के लिये कोई कमेटी बने। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिये एक वृहद् उद्योग नियोजन बनाया गया है उसी तरह से काटेज इंडस्ट्रीज के लिये एक गृह उद्योग नियोजन बनाया जाय जो काटेज इंडस्ट्रीज को एक दिशा दे सके, टेक्निकल असिस्टेंस दे सके और नियोजन में सहायक हो सके।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन पांच मिनट की सीमा न रखियेगा.....

श्री उपाध्यक्ष--७ मिनट की सीमा है।

श्री लखीसिंह--माननीय रामायण राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की जिन्दगी उद्योग के ऊपर है। अगर उद्योग-धन्धे चालू नहीं किये गये, केवल चमकीली किताब हमारे सामने आती रही, रंग-बिरंगी किताब सरकार भेजती रही, कागज में कथनी होती रही तो यह प्रदेश की जनता के साथ होली खेलना होगा। हम कहा करते थे कि जब स्वराज्य होगा तो गांवों में छोटे-छोटे उद्योग खोले जायेंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, भूखा नंगा नहीं रहेगा और घर-घर में बिजली लगेगी। लेकिन आज हो क्या रहा है? कपड़ा, बिजली, जूट और चीनी की बड़ी-बड़ी मिलें हैं जिनसे सरकार की सांठ-गांठ रहती है, चुनाव के समय पर खास तौर से। मैं अदब के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अरबपतियों की जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं उनका तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय और जो मुनाफा हो उसका मालिक उत्पादनकर्ता हो, क्योंकि उत्पादनकर्ता ही मुनाफे का भागी होता है। मुनाफे का सारा हिस्सा उत्पादनकर्ता को मिलना चाहिये।

अब मुझे एक बात यह कहनी है कि माननीय मन्त्रीगण, चाहे वे किसी विभाग के क्यों न हों, जब वह सदन में कोई प्रस्ताव रखते हैं, कोई मांग पेश करते हैं तो तरक्की ही तरक्की बताते हैं, लेकिन हमें तो कोई तरक्की दिखाई नहीं देती। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि १९४७ से पहले, कोसी कला एक कस्बा है जो उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध मण्डी है, मथुरा जिले के छाता क्षेत्र कोसी में १३ छोटे-छोटे कारखाने कपास ओटने के चलते थे, लेकिन वे अब चौपट हो गये हैं। पता नहीं प्रगति किस ओर हो रही है। न जाने कानपुर में लखनऊ में अथवा नेहरूजी की राजधानी दिल्ली में हो रही है, लेकिन वह प्रगति छोटे कस्बों में तो कहीं दिखायी नहीं देती है। छोटे-छोटे दूकानदार जो स्वराज्य से आशा लगाये थे कि स्वराज्य आयेगा तो गांधीजी के बाग में फल लगेंगे जो उनको भी मिलेंगे, आज उन लोगों के उद्योग धन्धे चौपट हो रहे हैं।

[श्री लखीसिंह]

कमलापति त्रिपाठी जी अभी कोसी कलां गये थे। वहां से मेरे पास इतना बड़ा पोथा आया हुआ है, उनको इतने अभिनन्दन पत्र वहां से मिले। उन्होंने अपने भाषण में वहां आश्वासन दिया कि कोसी में उद्योग-धंधे खोले जायेंगे। जब जाते हैं तो इसी प्रकार के आश्वासन दे आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है।

मेरी माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि छाता क्षेत्र के १–२ मील पर ही बिजली आ गई है, यदि उसको वहां तक बढ़ा दिया जाय और छोटे-छोटे उद्योगों को दे दिया जाय तो बहुत अच्छा हो। माननीय सदस्य बलिया और देवरिया की बात करते हैं, लेकिन मथुरा में न कोई कपड़े की मिल है, न तेल की मिल है, न सीमेंट का कोई कारखाना है। मथुरा जैसे प्रसिद्ध जिले में छोटे-छोटे मजदूरों के लिये कोई कारखाना नहीं है। वहां दो लाख मजदूर बेकार पड़े हैं और उन सब का भार खेती पर पड़ता है। जब तक गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे नहीं खुलेंगे तब तक गांवों की समस्या हल नहीं हो सकती। वे लोग कानपुर और दिल्ली की मिलों की तरफ ही देखते रहेंगे।

हम लोग जो सरकार को सुझाव देते हैं वे यथार्थ देते हैं, डाक्टर या वैद्य बन कर बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। सरकार की तरफ के कुछ माननीय सदस्य सच्ची बात कहत हैं, लेकिन दबते हैं, दिल तो उनका कहता है कि कुछ नहीं है, थोथा दिखावटी मामला है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर दब जाते हैं जबकि हां और न का सवाल आता है। जो सुझाव मैंने दिये हैं वे इस वजह से दिये हैं कि सोशलिस्ट पार्टी बार बार यह कहती रही है कि ऐसे तो समाजवाद कई प्रकार के हैं, लेकिन अगर असली समाजवाद लाना है जो कि समाजवादी पार्टी का समाजवाद है, तो वह तभी आ सकता है जब कि छोटे-छोटे पुराने उद्योग-धंधे जैसे, तेल के कोल्हू, तेल के धंधे, कपड़े के धन्धे तथा और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बड़े-बड़े गांवों, और छोटे-छोटे कस्बों में खोल कर छोटी-छोटी मशीनों द्वारा उनको प्राथमिकता दी जाय, ताकि बेकारी दूर हो सके।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम पिछली दो योजनाओं में अपने प्रदेश में उद्योग-धंधों के प्रगति को ध्यान में लाते हैं तो यह भी समझते हैं कि इस आय-व्ययक में उसके वास्ते जो रखा गया है उसक लिय माननीय उद्योग मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मैंने श्री रामायण राय जी के व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि इसके अन्दर हमारी वास्तविक दशा को नहीं बतलाया गया है। सभी अच्छे चित्र तो सामने रख दिये गये हैं, लकिन जो खराबी है उसको नहीं बतलाया गया है। प्रदेश में उद्योग की प्रगति असन्तोषजनक है, माननीय रामायण राय जी की इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूं, परन्तु मैं यह भी बतला दूं कि सरकार ने स्वयं उसे तस्लीम किर लिया है, लिखित रूप से सरकार उसे मान चुकी है तृतीय पंचवर्षीय योजना की इस पुस्तिका में। इसमें लिखा हुआ है कि उद्योग-धंधों में उत्तर प्रदेश सारे देश में पिछड़ा हुआ है और यहां उद्योग-धंधों का उत्पादन सूचकांक लगभग स्थिर रहा है जब कि दस वर्ष में देश के अन्दर २६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्रदेश का उत्पादन आगे नहीं बढ़ा और इसमें कोई दो राय नहीं हैं, परन्तु जहां तक अगले चित्र का सवाल है एक बात माननीय रामायण राय जी के ध्यान में होनी चाहिये कि चूंकि पिछली प्रगति हमारी सन्तोषजनक नहीं रही इसलिये अगला चित्र भी अच्छा रखना कोई बुराई की बात है, यह कुछ समझ में बात आई नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश व प्रदेश की कई समस्याओं का समाधान उद्योग-धंधों से ही होता है। सबसे पहली बात यह है कि उससे जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती है, फिर रोजगार की समस्या का समाधान होता है। किसी भी देश या प्रदेश के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में गृह उद्योग बहुत सहयोग देते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों का उल्लेख भी इस आय-व्ययक में किया गया है जो हमें देखने को मिला। यह बहुत ही सन्तोषप्रद बात है।

पिछले कई वर्ष से हम लगातार केन्द्रीय सरकार से इसकी मांग करते रहे, लेकिन बराबर इस राज्य की अवहेलना की गई, हमारी मांग की उपेक्षा की गई और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इस बजट में उद्योगक क्षेत्र के अन्दर कई फैक्टरीज लगाने का उल्लेख है और कई उद्योग शुरू हो रहे हैं और आगे शुरू होंगे। इस सम्बन्ध में एक बात आपके द्वारा सरकार के सामने रक्खूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि स्वीकृति होने के पश्चात्, सर्वेक्षण होने के पश्चात् अधिकारीवर्ग या कर्मचारी वर्ग की तरफ से ऐसे कामों में शिथिलता की जाती है, लेकिन यहां इस पर विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो इसके संचालन करने वाले हैं उनकी तरफ से इसके कार्यान्वयन में किसी तरह की देर न हो। जहां तक लघु-उद्योगों का सम्बन्ध है, उसके विषय में भी मैं आप की आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूं। मेरा अपना यह अनुभव है कि इस प्रदेश में लघु-उद्योग कुछ बढ़े जरूर हैं लेकिन जहां तक सरकारी सहयोग का सम्बन्ध है वह नगण्य सा रहा है और दूसरे शब्दों में यदि मैं यह कहूं कि उसमें सरकारी विभागों द्वारा और कावट ही पड़ी है तो वह अतिशयोक्ति न होगी। अभी आप के सामने माननीय जगदीश शरण जी अग्रवाल ने जाब का जिक्र किया, वास्तव में अगर वहां जाकर देखा जाय और यहां से तुलना की जाय तो यह मालूम ही नहीं होता कि पंजाब और यह प्रदेश एक ही देश के पड़ोस के भाग हैं। हम जानते हैं कि लघु उद्योगों में बहुत ज्यादा जी की आवश्यकता भी नहीं होती और वह अधिकतर किसी के व्यक्तिगत इनिशियेटिव या लोकल इनिशियेटिव पर ही चलते हैं, लेकिन होता यह है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में खास तौर से मैं यह बात कहना चाहता हूं, कि उद्योग खोलने वाला अगर आज रादा करता है किसी उद्योग को जारी करने का तो उसको उसके चलाने में २-२ और ढाई-ढाई साल लग जाते हैं। किसी उद्योग को खोलते वक्त शुरू में ३ काम करने पड़ते हैं, सबसे पहले तो उस उद्योग के लिये लाइसेंस प्राप्त करना होता है, दूसरे उस के लिये कर्जे का प्रबन्ध करना होता है और तीसरे जो रा-मैटीरियल चाहिये उस का प्रबन्ध करना होता है। मैं निवेदन करूंगा कि लघु-उद्योग खोलते वक्त इन ीनों चीजों में से एक न एक चीज के मिलने में दिक्कत पैदा हो जाती है जिस की वजह से देर हो जाती है। एक बार एक कागज जिले से चलता है और २ ढाई महीने बाद एक आपत्ति हो जाती है यहां से कि इसमें यह कमी रह गई है उसको पूर्ति कर के भेजा जाय, उसके आठ दस दिन बाद उसकी पूर्ति कर के भेज दी जाती है और फिर एक मास बाद एक और नई आपत्ति लगकर चली जाती है कि इसमें यह कमी और रह गई है इसकी भी पूर्ति कर के भेजो। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि किसी केस में जितनी भी आपत्तियां हो सकती हैं वे सब एक बार ही लिखकर भेज दी जायं और ठीक करा ली जायं बजाय इसके कि बार-बार समय नष्ट किया जाय तो बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो सकती है और अगर कोई जानबूझ कर बार-बार ऐसा करता है तो उससे जवाब तलब होना चाहिये और उसके वि द्ध ऐक्शन होना चाहिये।

जहां तक गृह-उद्योग का सम्बन्ध है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि रोजगार को बढ़ाने के लिये गृह उद्योग ही एक ऐसा साधन है जो समस्या का समाधान कर सकता है और बेरोजगारी को दूर कर सकता है। बेरोजगारी की समस्या के बारे में अभी माननीय रामायणराय जी कह रहे थे और जो आंकड़े तृतीय योजना में दिये गये हैं उसके अनुसार द्वितीय योजना के आरम्भ में ९ लाख ४६ हजार बेरोजगार यहां थे, उसके बाद ७ लाख ३८ हजार को रोजगार दिया गया और १६ लाख ५९ हजार और दा हो गये और तृतीय योजना में कुल बढ़कर ४० लाख १७ हजार आदमियों को रोजगार की जरूरत होगी और अभी कुल ९ लाख कुछ हजार का ही प्राविजन है, यह बड़ी भयंकर परिस्थिति है। बड़े उद्योगों के लगने से इसके समाधान की अधिक सम्भावना नहीं है इसलिये यहां समाधान केवल गृह उद्योग से ही हो सकता है। इसके लिये काफी पया रखा गया है कोई, उ क्षा की बात नहीं है लेकिन मैं कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूं। एक तो आप जो सर्वे एक लाख रुपये से करा रहे हैं वह बहुत अच्छी चीज है, नैशनल कौन्सिल आफ एकानामिक रिसर्च के द्वारा यह काम होगा। दूसरे आप जो विकास-

[श्री जगदीशप्रसाद]

खंडों में सहायक विकास अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं उद्योग के लिये, मेरा सुझाव है कि रोजगार की समस्या को, और देहात में उद्योग की समस्या को इन्हीं के सिपुर्द किया जाय और वह इस प्रकार से हो कि उनके पास अपने क्षेत्र के आंकड़े हों कि हमारे यहां इतने युवक बेरोजगार हैं, और यह भी आंकड़े हों कि अमुक क्षेत्र में यह उद्योग चल सकता है। यह भी आंकड़े हों कि किन-किन युवकों को उन्होंने सरकार के खर्चे के द्वारा शिक्षा दिलाई और किन-किन युवकों ने अपने खर्चे से शिक्षा ली। उसके बाद उन को एस्टेब्लिश किया जाय, कर्ज व अनुदान दिया जाय। (लाल बत्ती होने पर) अभी दो मिनट और दिये जांय, थोड़ी सी बात और कहनी है। और जब उनको रोजगार में लगा दिया जाय तो उनसे उनका स्थायी सम्बन्ध रहे कि वह उसमें लग गया। एक योजना गांधी जी ने उद्योग के बारे में रखी थी, कुछ अंशों में उसे चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुये। हम छोटे उद्योगों में सहायता दें और ३, ४ साल अगर लाभ न हो तो कुछ उनसे न लें और बाद में उनसे ले लें। जो सहायक अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं यदि वे ठीक तरह से काम लेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और बेरोजगारी भी दूर होगी।

उद्योग के सिलसिले में हमें अपनी नीति के विषय में स्पष्ट और स्थायी होना चाहिये। हमने देखा कि हमारी नीति स्थायी और स्पष्ट नहीं रही। खांडसारी के बारे में मेरा शुरू से यह विचार रहा है, गुड़ और खांडसारी प्रदेश के, विशेष कर पश्चिमी जिलों का बहुत बड़ा गृह व लघु उद्योग रहा है, परन्तु उस बारे में सरकार की ऐसी नीति रही है कि प्रायरिटी जब दी गई कर्जा देने में तो लिख दिया गया कि खांडसरी को कर्जा नहीं दिया जायगा। लाइसेंस, टैक्स हर तरह से उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया बल्कि डिस्करेज किया गया। पावर के सिलसिले में प्रायरिटी में उनको बहुत पीछे डाल दिया गया और आज जब यह परिस्थिति है कि हमने एलान किया कि पावर हमारे पास है और उद्योगों में कोई रुकावट नहीं है, वहां उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध है कि रात में चला सकेंगे, दिन में नहीं चला सकेंगे और अगर समय से १ घंटा भी ज्यादा चल गई तो उनका प्राजीक्यूशन होगा। तो हमारी नीति स्थायी हो। किन्हीं कन्सीडरेशन्स से, मैं यह नहीं कहता क्या कन्सीडरेशन्स हैं, लेकिन कुछ कन्सीडरेशन्स की वजह से मिल वालों को सुविधाएं दी गईं और खांडसारी उद्योग में रुकावट डाली गई।

एक बात अपने जिले के विषय में और कह दूं। मैंने पढ़ा, मुझे मालूम भी था कि अखबारी कागज की फैक्ट्री ८ करोड़ पये की लागत से खुलने जा रही है जिसके लिये लिखा हुआ है बरेली या मुरादाबाद में होगी। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि बरेली को तो आपने वैसे ही कई बड़ी फैक्ट्रीज दे रखी हैं, जैसे सिन्थटिक रबर, काफूर, बाबिन आदि, लेकिन मुरादाबाद नेग-लेक्ट रहा है, इसलिये मैं चाहूंगा कि उस फैक्ट्री को मुरादाबाद में ही दें। इन शब्दों के साथ अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज जिस औद्योगिक विकास की चर्चा की जा रही है और प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है, ऐसे समय में कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो इस औद्योगिक विकास के काल में मिट रहे हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार से कुछ घरेलू उद्योग-धन्धे हैं जो इस नियोजित अर्थ व्यवस्था में समाप्त होते जा रहे हैं। उनमें से आगरे का एक घरेलू उद्योग जूतों का है, जिस उद्योग के कारण आगरे के हजारों परिवार पलते हैं, लेकिन कुछ कारणों से, सरकारी नीतियों के कारण वह उद्योग आज समाप्त होता चला जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी कठिनाई सेल्स टैक्स के कारण पैदा होती है। जूतों के उद्योग में घरों में बैठकर परिवार के सभी सदस्य दिन भर काम करते हैं और शाम को उसे बेचने के लिये बाजार में लाते हैं। तो उनको जगह-जगह बिक्री कर देना पड़ता है। वह उसका हिसाब नहीं रख सकते, कोई व्यवस्था उसकी उनके पास नहीं है जिस वजह से उनका उद्योग समाप्त होता जा रहा है।

यदि सरकार चाहती है कि आगरे के जूता उद्योग को बचाया जाय, जहां ६० लाख जूत प्रति वर्ष बनते हैं, ४० हजार परिवार उस उद्योग से पलते हैं, तो सरकार को चाहिये कि जूते के ऊपर से बहुसूत्री बिक्री-कर को हटा दें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरकार ने ५६ में बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के ५वें चैप्टर में जहां इस बात पर विचार किया है कि उद्योगों के चलने में कौन कौन सी रुकावटें हैं वहां उन्होंने ४७वें पृष्ठ पर यह स्पष्ट कहा है कि यू० पी० में सेल्स टैक्स अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक है और उसके कारण यहां के उद्योगों के पनपने में तमाम बाधाएं उपस्थित होती हैं। आगे उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यहां की जनता की जो क्रय-शक्ति है वह कम होती चली जा रही है। उसी में एक सुझाव है कि यू० पी० में बिक्री कर उसी स्तर पर होना चाहिये जैसे कि सीमावर्ती अन्य राज्यों में है। यदि यह सुझाव माना जाय तो बहुसूत्री बिक्री कर को समाप्त किया जाय और एक सूत्री बिक्री कर को लगाया जाय। मैं समझता हूं कि इससे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे जो इस बिक्री कर के कारण पनप नहीं रहे हैं वे पनप सकेंगे और सरकार जो छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों को बढ़ाना चाहती है, उन्हें बढ़ा सकेगी।

इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि माननीय वित्त मन्त्री और उद्योग मन्त्री उन समस्याओं पर एक साथ बैठ कर विचार कर लें जिनसे उद्योगों में उन्नति होने में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे आगरा में भी एक इंडस्ट्रियल इस्टेट खोली गयी जिसमें लाखों रुपया लगाया गया है। बड़ी-बड़ी फैक्टरियां बनाई गई हैं लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था न होने से वे लोग छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब हम कोई स्टेट बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसके सारे पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिये। लाखों रुपया वहां लगाया गया, फैक्टरीज लगाई गईं, लेकिन वह छोड़ रहे हैं क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यदि वह आगरे में इंडस्ट्रियल स्टेट को पनपाना चाहती है और उद्योग-धन्धों को वहां चलाना चाहती है तो पानी की समुचित व्यवस्था करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

इसके साथ ही मैं एक बात की ओर और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। फर्टिलाइजर फैक्टरी जो पूर्व में खोली जा रही है उसका सर्वे पहले आगरा में हुआ था, लेकिन आगरे का ऐसा दुर्भाग्य है, जहां विश्व के सभी पर्यटक आते हैं ताजमहल के कारण, अगर उसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखा जाय तो जब से स्वराज्य हुआ है आगरे में कोई औद्योगिक विकास सरकार की ओर से नहीं किया गया। वहां कोई कारखाना नहीं खोला गया। कोई सर्वे भी होता है वहां तो आगरे के लोग सोचते हैं कि यहां कोई कारखाना खुलेगा, परन्तु वह राज्य के और क्षेत्रों में चला जाता है। मेरा कहना यह है कि आगरे के महत्व को देखते हुये और राजस्थान की सीमा से मिला होने के कारण निकट भविष्य में कोई सरकारी कारखाना वहां अवश्य खोला जाय।

वहां कुछ बरफ के कारखाने हैं, लेकिन मुनाफाखोरी के कारण लाइसेंस मिलने पर भी वे बन्द रहते हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि ऐसे कौन से कारखाने हैं जो बन्द रहते हैं। अगर बन्द रहते हैं तो उनका लाइसेंस जब्त होना चाहिये, क्योंकि एक ओर तो पूंजीपति लोग सरकार से लाइसेंस लेते हैं और दूसरी ओर मुनाफा कमाने के लिये कारखाने को बन्द रखते हैं।

एक उद्योग है चूड़ी का फिरोजाबाद में, लेकिन कोयले की कमी से वह उद्योग बन्द रहता है और वह अपने उद्योग को सही रूप में चला नहीं पाते हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि चूड़ी के उद्योग को चलाने के लिये, जो भारतवर्ष का माना हुआ उद्योग है और जो आगरा जिले में ही चलता है, फिरोजाबाद को उसकी आवश्यता के अनुसार कोयला दे

[श्री बालोजी अग्रवाल]

ताकि वह देश की मांग को पूरा कर सके। इसके अलावा आगरा जिले में जो ग्लास और बल्ब बनाने के उद्योग हैं उनको उचित सुविधाएं विशेष रूप से कोयला न मिलने के कारण बहुत कठिनाई होती है।

एक ओर और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कर्जा देने के लिये जो व्यवस्था है वह इतनी जटिल है कि एक साधारण आदमी जो एक छोटा-सा कारखाना लेकर बैठता है वह कर्जा नहीं पा पाता है, उसका कारखाना चल पड़ता है, सालों में कर्जा मिलता है, नतीजा यह होता है कि उसका कारखाना बन्द हो जाता है। जूता उद्योग के लिये ३, ४ ५ सौ पया कर्जा दिया जाता है। जूते का कोई भी कारखाना इतने रुपयों में नहीं चल सकता। उनको फरमे बनाने में ही ४-५ सौ पये लग जाते हैं। सरकार चाहे थोड़े लोगों को कर्जा दे, लेकिन इतना तो दे कि लोग उसका उचित उपयोग कर सकें और अपने उद्योग को पनपा सकें। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कर्जा देने की जो जटिल प्रणाली है उसको वह सुगम बनाये।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री कृष्णानन्द राय** (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास था कि कम से कम इस वर्ष के उद्योग अनुदान का सदन के प्रत्येक पक्ष के लोग सहर्ष स्वागत करेंगे, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम और आरम्भिक वर्ष जो है वह हमारे प्रदेश के औद्योगिक युग का प्रारम्भिक वर्ष कहा जा सकता है। कोई भी क्षेत्र आप लें, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, चाहे सहकारी क्षेत्र हो या केन्द्रीय सरकार का क्षेत्र हो, तृतीय पंचवर्षीय योजना के इस प्रारम्भिक काल में इतनी सुनहरी प्रगति हुई है कि मुझे आश्चर्य होता है जब कभी-कभी उधर के लोग कह दिया करते हैं कि सरकार की औद्योगिक नीति असफल रही है। मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्टरी और लखनऊ की प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी राजकीय क्षेत्र की प्रगति का उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक वर्ष केन्द्रीय सरकार की इस घोषणा के साथ आरम्भ हुआ है कि चार बड़ी-बड़ी फैक्टरियां जिनमें लगभग ८ हजार व्यक्ति काम करेंगे खुलने जा रही हैं जिनमें एक तो गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्टरी है, दूसरी बनारस की डीजल फैक्टरी, तीसरी ऋषिकेश की ऐंटीबायटिक्स फैक्टरी आदि हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, जिससे पब्लिक सेक्टर की बहुत उन्नति होगी।

जैसा कि मैंने श्रीमान् से निवेदन किया, मैं १९६०-६१ को अपने प्रदेश के औद्योगीकरण का आरम्भिक युग मानता हूं। इसलिये मेरा सरकार से और विशेषतौर से मुख्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे अपने प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में भी कुछ विचार करें। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो पुस्तिका हम लोगों को बांटी गयी हैं उसमें एक जगह लिखा है---

"In the realm of industrialisation the role of State Government is simply promotional. The State Government has no programme of industrialisation itself. The State Government has to depend on initiation of private sector and Central Government's public sector."

इस घोषणा से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगीकरण क बारे में निजी क्षेत्र और केन्द्रीय सरकार पर इतना अधिक विश्वास करती है कि उसका यह विश्वास है कि प्रदेश की औद्योगीकरण की योजना इन दोनों क्षेत्रों से पूरी हो जायगी। इस संबंध में, श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि मैं निजी क्षेत्र का विरोध नहीं करता हूं और मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि कोई निजी क्षेत्र का विरोध करे और पब्लिक क्षेत्र का भी विरोध करे। केवल मेरा यह अनुरोध है कि निजी क्षेत्र की यह टेंडेंसी होती है यह वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर विकसित होता है जहां पर औद्योगीकरण आरम्भ हो गया हो । ४९०० करोड़ रुपया हमारे हिन्दुस्तान में दोनों योजनाओं में इंवेस्ट किया गया जिसमें से हमारे प्रदेश के हिस्से में केवल ३०० करोड़ रुपया ही आया और इस काल में जितने उद्योग खुने वे सब कलकत्ता, बम्बई तथा मदरास आदि में ही सीमित रह गये । इस तरह से हमारे प्रदेश में जो निजी क्षेत्र में यज्ञ चल रहा है उसमें गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ आदि जगहों में ही घूमता चला आ रहा है और मैं अपने साथी माननीय रामायण राय जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि दो योजनायें बीत गई हैं और तीसरी का भी रुख हमने देख लिया है, लेकिन गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, सुल्तानपुर, और जौनपुर आदि जिलों में कोई भी कारखाने खुलने की आशा हमें दिखाई नहीं देती है और निजी क्षेत्र में हम विश्वास करते ही रह जायंगे । इसलिये हमारा अनुरोध है कि अगर हम पब्लिक सेक्टर में कारखाने खोलने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं तो लाइसेंसीज का औद्योगीकरण करें और उनको प्रोत्साहित करें जो इन पिछड़े इलाकों में कारखाने खोलने के लिये तैयार हों । इससे भी काम चल जायगा ।

निजी क्षेत्रों के उद्योग में एक और खतरा है । एक तरफ तो उत्पादन बढ़ता है और दूसरी तरफ औद्योगिक वस्तुओं के भाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं । पिछले पांच सालों में चीनी का उत्पादन देखिये कि १०८० टन से १,४०४ टन बढ़ा यानी ४०० टन की वृद्धि हुई और दामों में ११ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । इसी तरह से वनस्पति तेल में ३१८६ टन से उत्पादन ४११५ टन हो गया और दाम २६ प्रतिशत बढ़े । सीमेंट में १६,७७१ टन से १९,१९५ टन उत्पादन हो गया, लेकिन दामों में ४६ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । इससे मालूम होता है कि एक तरफ हमारा उत्पादन बढ़ा है तो दूसरी तरफ वस्तुओं के दामों में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है । इसी अवधि में गेहूं का भाव २४ प्रतिशत गिरा, चावल का २२ प्रतिशत, जौ का १९ प्रतिशत और मक्का का दाम ८ प्रतिशत गिरा । इससे मालूम होता है कि वस्तुओं के भावों पर भी सरकार का अधिक नियंत्रण नहीं है ।

आज जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इन बढ़ते हुए भावों को देखते हुए और पिछड़े इलाके म औद्योगीकरण की आवश्यकता को देखत हुये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के युग में प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण के युग का प्रारम्भ हुआ है तो उसमें अपनी औद्योगिक नीति में उलट-फेर करके ऐसी व्यवस्था करें जिससे पिछड़े इलाके में भी २/४ कारखाने मिल जायं । यदि ऐसा हो जाय तो हम लोगों को महान प्रसन्नता होगी । इस के साथ साथ मैं औद्योगिक अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यहां के अधिकतर रहने वाले व्यक्ति देहातों में ही रहते हैं और कहना यह चाहिये कि मुश्किल से १०/१२ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं बाकी लोग देहातों में ही रहा करते हैं और किसी प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं । यदि हमें अपने प्रदेश का उत्थान करना है तो हमें देखना होगा कि हम उन स्थानों पर अधिक उद्योग खोलें जहां पर जनता अधिक संख्या में रहती है, परन्तु जैसा कि अन्य भाइयों ने कहा कि यह उद्योग अधिकांश बड़े-बड़े शहरों में जहां पर पहले से उद्योग विकसित थे, विकसित होते जा रहे हैं । वहां पर ही सरकार ने निजी उद्योग चलाने वालों को प्रोत्साहन दिया है या सरकार की ओर से उद्योग चाल किये गये हैं, परन्तु उन क्षेत्रों में जहां देहाती जनता अधिक रहती है उनको बिलकुल दुर्लक्ष्य किया गया है ।

गांधी जी ने कहा था कि हमें शहरों से देहात की तरफ जाना होगा । विनोबा जी ने भी इस प्रकार का नारा लगाया, परन्तु आज पूज्य महात्मा गांधी के पद-चिन्हों पर चलने वाले यद्यपि नारा यह लगाते हैं कि हमें पूज्य राष्ट्रपिता के आदर्शों पर चलना चाहिये, परन्तु आज

[श्री दयाराम]

बजाय शहरों सेदेहातों की तरफ जाने के देहातों से शहरों की तरफ जाते दिखाई देते हैं। पहले सरकार ने बड़े उद्योग चालू किये, परन्तु सौभाग्य से कुछ समय से सरकार चेती है। उसने सोचना शुरू किया है कि कुटीर उद्योगों से ही देश का भला हो सकता है। आज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेट्स सभी नगरों में खोली जा रही हैं। उनमें हमारा लाखों करोड़ों रुपया बरबाद जा रहा है। हमारे शहर फर्रुखाबाद में भी इंडस्ट्रियल इस्टेट खुलने जा रही है। वहांके इंडस्ट्रियल आफिसर से मैंने बातचीत की कि यहां क्या-क्या उद्योग चलाये जायेंगे। वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता सके कि क्या-क्या उद्योग चालू होंगे। उन्होंने बताया कि नागरिक स्वतः वहां उद्योग चलायेंगे। जमीन लेंगे, पावर हम दे देंगे। और कारखाना चालू करेंगे। कहा जाता है कि हम विभिन्न स्थानों पर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स चालू करके जनहित करेंगे, लेकिन स्पष्ट नक्शा न होने के कारण इससे जनहित होगा, इसमें संदेह है।

फर्टिलाइजर फैक्टरियां कई स्थानों पर सरकार खोल रही है। आगरा और फर्रुखाबाद में भी सर्वे किया गया था। होते-होते गोरखपुर में खोली जा रही है, लेकिन ऐसे कारखाने खोलते समय यह देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर उन कारखानों में बनने वाली चीज की ज्यादा मांग है। फर्रुखाबाद ऐसा नगर है और उसके आसपास जो जिले हैं, वहां पर खाद की बहुत मांग रहती है। वहां के लिये जो कोटा खाद का अलाऊ किया जाता है वह बहुत कम पड़ता है। वह खाद आसपास के जिलों से लाते हैं जिसके कारण उनका चालान और सजा होती है। खाद भी जब्त हो जाती है। ऐसे स्थान जहां पर खाद की कमी है वहां पर फर्टिलाइजर फैक्टरियां खोली जायं तो अच्छा होगा। सबसे अधिक फर्रुखाबाद से तम्बाकू की इक्साइज ड्यूटी से इनकम होती है, परन्तु उस तम्बाकू की उपज में जो फर्टिलाइजर काम आता है, उसकी डिमांड पूरी करने के लिये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हर साल बराबर मांगें पेश की जाती हैं, जनता की ओर से भी बातें रखी जाती हैं, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। छोटे-छोटे उद्योग चालू करने की बात कही जाती है लेकिन जो पहले से ही उद्योग चालू हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। फर्रुखाबाद में तांबा और पीतल के बर्तन बहुत पुराने जमाने से बनते चले आ रहे हैं। बहुत पुराना उनका यह उद्योग है। पंजाब तक उनके बर्तन सप्लाई होते थे, लेकिन आज वह उद्योग समाप्त हो रहा है। चाहिये यह कि जिन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है उनमें जो चीजें उत्पादित होती हैं उनका उत्पादन बड़े-बड़े कारखानों में रोकें। तभी हम उनका संरक्षण कर सकते हैं अन्यथा यह एक मजाक सा रहता है, यह कहना कि हम कुटीर उद्योगों को चालू करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। उनके लिये अधिक से अधिक अनुदान दिया जाय। एक उद्योग ऐसा जरूर है जिसके लिये अधिक से अधिक अनुदान दिया जाता है और वह है खादी उद्योग, परन्तु ऐसे उद्योग जिनसे देश का हित अधिक हो सकता है उनको पैसा नहीं दिया जाता।

फर्रुखाबाद में तांबा और पीतल का कोटा जनसाधारण को, जो उसका काम करते हैं, नहीं दिया जाता। जनता की ओर से अनेक बार मांग रखी गई, समाचार-पत्रों में निकाला गया, परन्तु कोटा उन्हीं को दिया जाता है जो कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं और इससे पहले वह विधायक भी रह चुके हैं और भी ऐसे ही कुछ व्यक्ति हैं जिनके हाथ में उसका कोटा है, जो उससे पैसा प्राप्त करते हैं, उससे मुनाफा उठाते हैं, और जो साधारण कार्य करनेवाले मजदूर वगैरह हैं उनको यह कोटा नहीं दिया जाता। ऐसे ही कोयले का जो कोटा है वह भी बड़े-बड़े लोगों को जिनकी पहुंच है या जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं, उन्हीं को मिला हुआ है। उन व्यक्तियों को जो कोयले का कार्य करते हैं उनको वह कोटा नहीं दिया जाता है।

इसी तरह फर्रुखाबाद का कपड़े की छपाई का काम है। श्रीमन्, दो मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--जल्दी समाप्त कीजिये । बहुत से लोग बोलने वाले हैं ।

श्री दयाराम--वह काम विदेशों से लाखों और करोड़ों की तादाद में स्टर्लिंग्स और डालर्स लाता है और उस काम में वह बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी ओर भी दुर्लक्ष्य किया जा रहा है । उसके संरक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । उसके ऊपर किसी प्रकार का उत्पादन कर नहीं लगाया जाना चाहिये, लेकिन उस पर भी उत्पादन कर प्रारम्भ कर दिया गया है और उसको संरक्षण नहीं मिला है । ऐसे अनेकों उद्योग हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं जिनका संरक्षण सरकार को करना चाहिये, परन्तु कहने के लिये तो कहा जाता है भाषणों में कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसी प्रकार का कोई संरक्षण और कोई प्रोत्साहन उनको दिया नहीं जाता है, और जो अनुदान उनको दिया जाना चाहिये वह अनुदान भी उनको नहीं दिया जाता है । इंडस्ट्रीज विभाग की ओर से कहा जाता है कि अनेक ऐसे कार्य लोगों को दिये जा रहे हैं, अनेक ऐसी धनराशियां लोगों को दी जा रही हैं जिससे लोग अपने उद्योग चालू कर सकें, लेकिन वहां पर देखने में आता यह है कि जो छोटे-छोटे साधारण व्यक्ति हैं जो हजार, दो हजार, चार हजार रुपये से उद्योग चालू कर सकते हैं, वह उस रुपये को नहीं पाते हैं । वहां के इंस्पेक्टर्स उनसे कहते हैं कि दो परसेंट, तीन परसेंट आप उसमें से हमको दें और वह भी पहले दे दें तब हम आपको वह रुपया मंजूर करायेंगे । वह बेचारे उतना रुपया उनको दे नहीं पाते हैं और इस तरह वह ऋण उन्हें मिल नहीं पाता और वह उस उद्योग को चालू नहीं कर पाते हैं । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और छोटे-छोटे उद्योग चालू करके इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित करना चाहिये, यह मेरा सरकार से निवेदन है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, कितना समय आप हर एक मेम्बर को दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--सात आठ मिनट ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, यह बहुत कम है । यह डेढ़ दिन का विवाद है, दस मिनट हर एक को दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--देखिये, कितने लोग खड़े हैं । बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है । हमारे देश के लिये उद्योग आवश्यक है । उद्योगों के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देश के औद्योगीकरण की कोई विशाल योजना नहीं बनाते हैं और उसको ताकत के साथ, व्यापकता के साथ और लगन के साथ कार्यान्वित नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जायेंगे । जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं वे कई कामों में हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं जैसे बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, लेकिन मुझे यह कहना है कि हमारा प्रदेश कुछ दिन पहले तक सब प्रदेशों से आगे बढ़ा हुआ था लेकिन चन्द दिनों से हमारा प्रदेश घटिया किस्म का प्रदेश बनता चला जा रहा है । इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश के नागरिकों की उन्नति औद्योगीकरण के द्वारा ही हो सकती है । इस दिशा में हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब आगे है, जहां आज घर-घर में कोई न कोई कुटीर उद्योग खुला हुआ है जिससे वहां के नागरिकों की उन्नति हो रही है और उन लोगों की बेरोजगारी भी दूर होती चली जा रही है । वह प्रदेश उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है । यों ही दूसरे प्रदेश भी हैं, जो अपने कौशल में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में भी वह अपना कौशल बढ़ा रहे हैं । उन प्रदेशों से हमको कोई ईर्ष्या नहीं है, लकिन दुख अवश्य है और यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि हम दिन ब दिन पीछे होते चले जा रहे हैं ।

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

मुझे तो यह कहना है कि हमें मिल जुलकर ऐसा यत्न ढूंढ़ना है कि जिससे हमारा प्रदेश दिन ब दिन उन्नति के पथ पर आगे बढ़े और हमारा प्रदेश उन्नत प्रदेशों की टोली में शामिल हो सके । हमें केन्द्रीय सरकार से और योजना आयोग से यह प्रार्थना करनी है कि जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी उपेक्षा न की जाय । हम केन्द्रीय सरकार के और योजना आयोग के आभारी हैं जिनकी सहायता से ऋषिकेश में रूसी विशेषज्ञ हमसे मिल-जुलकर १५ करोड़ रुपये की लागत से एक कारखाना खोल रहे हैं । उसमें ऐन्टी बायोटिक्स दवाइयां तैयार की जायेंगी । इसी प्रकार से ज्वालापुर के पास दूसरा कारखाना लगभग ४० करोड़ रुपये की लागत से खुल रहा है जो बिजली का भारी सामान बनायेगा । इसी तरह से गोरखपुर में ३० करोड़ रुपये की लागत से "नत्रजन उर्वरक" कारखाना खुल रहा है । इसी प्रकार से वाराणसी में एक डीजल इंजिन बनाने का कारखाना भी खुल रहा है । इस प्रकार से हमारी सरकार कई कारखाना खोल रही है । इस प्रकार से तीसरी योजना के अन्तर्गत ४,४८ लाख रुपये की लागत के बड़े तथा मध्यम उद्योगों के अतिरिक्त लगभग १०० करोड़ रुपये की लागत से ये ३, ४ कारखाने भी खुलेंगे जिनको अभी सदन के सामने बतलाया है । इन उद्योगों को चालू हो जाने पर प्रदेश के कई हजार लोगों को रोजी मिलेगी और समूचे प्रदेश की तथा यहां के नागरिकों की आय भी उससे बढ़ेगी । हमारा प्रदेश इससे आगे बढ़ जायगा ।

हमारे यहां लघु उद्योग की स्थापना की जो बात चल रही है उसके लिये १७ करोड़ ७४ लाख रुपया रखा गया है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जायगा । इसमें आधी रकम बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने पर खर्च की जायगी । लेकिन प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी और आय और आजीविका के सीमित साधनों को देखते हुये मानना पड़ेगा कि यह सब नहीं के बराबर है । वित्तीय वर्ष ६२-६३ के बजट की ओर यदि हम आंख उठाकर देखते हैं तो मालूम होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हम केवल दो फैक्टरियों का ही विस्तार कर सकते हैं । उनमें एक फैक्टरी मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्टरी है और दूसरा सूक्ष्म यंत्र कारखाना लखनऊ का है । इससे हमारी जो नये उद्योग स्थापित करने की कल्पना है वह पूरी नहीं हो सकती । आप जानते हैं कि हम इन दो उद्योगों पर जो खर्च कर रहे हैं वह काफी रकम है लेकिन इससे केवल १३३० व्यक्तियों की ही रोजी तथा रोटी का प्रबन्ध हो सकता है । ५ लाख रुपया केवल उद्योग निदेशालय में बढ़े उद्योग संबंधी विभाग के संगठन पर ही खर्च करने की व्यवस्था है । केवल रेयन, सूत व लुगदी के उद्योग में हमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहारनपुर और लखनऊ को कागज की मिलों का जो विस्तार हो रहा है उनमें लोगों के लिये अतिरिक्त रोजगार की गुन्जायश कम है । उसमें सब कुछ उद्योगपतियों के हाथों में ही केन्द्रित रहेगा । सहारनपुर को मिल की बाबत इस सदन में कई बार प्रश्न उठ चुका है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने पर्वतीय प्रदेश के लोगों की भावनाओं का समुचित आदर नहीं किया है । स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के विरुद्ध पर्वतीय लोगों में एक व्यापक असंतोष है ।

भारत सरकार की वन नीति के अनुसार यह स्पष्ट है कि जहां जो चीज पैदा होती है उसका लाभ वहां के लोगों को मिलना चाहिये, लेकिन हमारे यहां यह बात नहीं है । लीसा या तो हमारे यहां से बाहर भेजा और बेचा जाता है या बरेली की टरपनटाईन फैक्टरी को ३० रुपये प्रति मन के हिसाब से मिलता है जब कि वह ऋषिकेश और कोटद्वार की सहकारी लीसा फैक्टरियों को ३८ रुपये प्रति मन के हिसाब से दिया जाता है । इसी प्रकार से अल्मोड़ा जिले में चीड़ के पेड़ सहारनपुर की फैक्टरियों को दिये जाने की सरकार की योजना है । वहां के लोगों की मांग है कि उन पेड़ों की खपत वहीं के किसी उद्योग में की जानी चाहिये, लेकिन सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है । बिड़ला जी की ओर से एक बड़ा कारखाना अखबारी कागज का

गढ़वाल में खुलने जा रहा है । श्रीमन्, यह एक अच्छी बात है और इससे देश में एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हो सकेगी । लेकिन गढ़वाल में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं क्योंकि सहारनपुर की फैक्टरी से अल्मोड़ा जिले को कोई लाभ नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में पहले तो जो नान-एग्रीकल्चरल आकूपेशन में आदमी लगे हुये हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है और प्रदेशों के मुकाबले में । मैं इसके कुछ आंकड़े देता हूं । वेस्ट बंगाल में १५.४ परसेंट है, बंबई में १३.८ परसेंट है और मद्रास में १२.३ परसेंट हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ८ परसेंट लोग उद्योग में लगे हुये हैं । इतना कम परसेंटेज होने पर भी देहातों के आदमी शहरों की ओर भाग रहे हैं । और वे आज प्रदेश के लिये भुखमरी और बेकारी की समस्या बन रहे हैं । यहां उद्योग कम होने के बाद भी देहात के लोग शहरों में आते हैं । जब तक प्रदेश के ग्रामों में छोटे-छोटे उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है । प्रदेश में आप जिन बड़े उद्योगों को पैसा दे रहे हैं उसमें पब्लिक सेक्टर में जी० पी० आई० एफ० है, उसे आपने मनोपोलाइज उद्योग का रूप कर रखा है । उसमें कुशल उद्योग की भावना नहीं रह गयी है क्योंकि वहां के कर्मचारी डेली और मंथली बेसिस पर काम करते हैं और वह कंट्रैक्ट बेसिस पर काम करना नहीं जानते, उनके अन्दर एफीशियेन्सी नहीं रही । इस के लिये मैं आगे चल कर मिसाल दूंगा । कर्मचारी हुकूमती तौर पर काम करते हैं, एक कुशल उद्योगी की तरह नहीं । यही कार्य यदि बिड़ला के पास होता तो आमदनी भी बढ़ी होती और सामान भी अच्छे किस्म का तैयार होता ।

घूंट उद्योगों के लिये जो रकम दी जाती है वह सब बेकार चली जाती है । उस रकम के वितरण बहुत भ्रष्टाचार है । या तो वे रकमें अपनी जगह तक तक पहुंचती ही नहीं या बीच में हजम हो जाती हैं और उनके लिये कोई निरीक्षण की व्यवस्था भी नहीं है । इसकी मैं एक मिसाल देता हूं । हलद्वानी आयरन ऐंड स्टील वर्क्स, नैनीताल जो इंडस्ट्रियल वर्क करता है उसके लिये सरकार के पास पैसा नहीं है । उसको कोई सहायता नहीं दी जाती । तमाम अप्लीकेशन्स दी जाती हैं, लेकिन अफसरान किसी को भी फारवर्ड नहीं करते, लेकिन जो रुपया वहां उद्योगों को दिया जाता है बड़े या छोटे उद्योगों में, उसका क्या उपयोग होता है, यह कोई नहीं देखता ।

उद्योग का रुपया लेकर कोई परचून की दूकान कर लेता है, कोई और दूकान रख लेता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं होता है । उसके लिये मेरा सबसे पहला सुझाव यह होगा कि आप जगह जगह क्षेत्रीय पत्रों में उसका जोरदार पब्लिकेशन करायें ताकि हर एक यह जान जाय कि कितना पैसा आपने उसको काटेज इंडस्ट्रीज के लिये दिया है । एक आपकी इंडस्ट्रियल कमेटी या बोर्ड होना चाहिये जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जांच करे कि उद्योग आफिसर लोगों को पूरा-पूरा रुपया देते हैं या नहीं और प्राप्तकर्त्ता उसे अन्य जगह इस्तेमाल तो नहीं करते हैं । क्योंकि वहां पर अक्सर सत्यनारायण की बात छोड़ कर लक्ष्मीनारायण की ओर लोग चल देते हैं, रिश्वत के रुपया का परसेन्टेज बढ़ता जा रहा है । अगर भ्रष्टाचार की चेकिंग नहीं होगी तो बजाय उन्नति के उद्योगों की बरबादी होगी ।

खेतिहर मजदूरों के पास खेती के अलावा जो टाइम बचता है उसमें अगर औद्योगिक छोटे-छोटे काम उनको नहीं मिलेंगे तो वह बेकार हो जायेंगे, तभी वह मजदूर शहर की ओर भागते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में ही छोटे छोटे या बड़े बड़े उद्योगों की उन्नति होती आई है, जैसे पहले हमारे यहां तलवारें बनती थीं, वह आयरन स्टील का काम था । वह क्या बड़ी बड़ी फैक्टरियों में बनती थीं? उस समय तो छोटे-छोटे घरों की भी भट्टियों में इस्पात तैयार होता था जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती थी । बनारस की साड़ियों का क्या कोई मिल है ? यह भी हाथ का काम है । ढाके की

[श्री विजयसिंह]

मलमल, जो संसार में प्रसिद्ध है क्या किसी मिल में बनती थीं ? आज इन उद्योगों की उपेक्षा की गयी है। इससे तो हमारी पुरानी कला भी बरबाद हो सकती है। आज हमें बड़ी-बड़ी मशीनों के स्थान पर छोटी-छोटी मशीनों को Small Scale and Cottage Industries में प्रयोग में लाना है। राज्य का कार्य प्रावैधिक शिक्षा को बहुत बड़े अधिक रूप में बढ़ाकर ग्राम में पहुंचाना है। श्रम का विभाजन कर उसमें कुशलता पैदा करना है।

एक इंटरनैशनल लेबर आर्गेनाइजेशन की बैठक जेनेवा में हुई थी। उस समय इंडिया ने अप्रोच किया था कि मेजर व ऐडवांस किस्म की मशीनें यहां न आयें वरना ९-१० लाख कारीगर बेकार हो जायेंगे। इसी के आधार पर मैं जोर देकर कहता हूं कि पंजाब प्रान्त ने भी जो छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाया—उनके साइकिल उद्योग को लीजिये, जो आज बड़े पैमाने पर है गांवों में जिसकी एक-एक प्रकार की चीजें लोग बनाते हैं और उनमें स्पेशलाइज करते हैं और फिर उन विभिन्न पुरजों को फैक्टरीज में भेजकर जहां वह असेम्बिल कर ली जाती हैं उनको ग्रामों में ही शिक्षा तथा मशीनें व रुपया देकर पनपाया है। अब हमारी लखनऊ की प्रिसिजन इंस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी देखिये, जिसमें वाटर मिटर और प्रेशर वाल्व बनते हैं और जो माल तैयार होता है उसके संबंध में दूसरे प्रदेशों के लोग यह समझते हैं कि वह अच्छा माल होगा, दूर दूर के लोग आर्डर से मंगाते हैं। लेकिन पायोनियर अखबार में एक कम्पलेन्ट निकली थी कि यहां के बने हुये ७५ फीसदी मीटर्स बेकार हैं, काम नहीं देते हैं और म्युनिसिपैलिटीज में वाटर टैक्स का लाखों रुपया बेकार पड़ा रह जाता है, मिलता नहीं। बड़ी व छोटी म्युनिसिपैलिटीज के लोग शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि वह भय खाते हैं कि कहीं रिपोर्ट न हो जाय। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपके ८ मिनट हो चुके हैं, २ मिनट और हैं।

श्री विजयसिंह—अब मैं थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाओं के उद्योग के संबंध में कहूंगा कि देहातों में किस तरह से आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स को पनपाया जा सकता है। गांव गांव में, किसी न किसी प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है। उनसे ग्रामों में छोटे लोगों को काम मिल सकता है, यदि वहां पर कोई दवा का कारखाना खुल जाय। प्रदेश के हिल रिजन्स में और विंध्याचल रेंज में जो फल तथा जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं उनको यहां से ले जाकर इंगलैण्ड तो भेज दिया जाता है और वहां से पेटेन्ट मेडिसिन्स तैयार होकर आ जाती हैं, पर उस स्थान पर कोई ग्रामीण उद्योग नहीं पनपाया जाता। मिसाल के लिये सर्पगंधा है जो एक जड़ी है, यहां ८ आने सेर बिकती है और उसी से इंगलैण्ड में दवा तैयार हो जाती है। उसका नाम "सर्पेसीन" हो जाता है। वहां पर सर्पगंधा ८० रुपये सेर बिकती है और उसको वहां टेबलेट्स फार्म में बना लेते हैं। हमारे बुंदेलखंड में यह उद्योग चल सकता है क्योंकि वहां गुड़-मार बूटी पैदा होती है और जामुन का पेड़ बहुतायत से होता है। गुड़ मार बूटी और जामुन का छिलका और गुठली उसको मिलाकर डायबेटिज की बहुत बेहतरीन दवा बनती है। आयुर्वेद का प्रमाण है कि आदिदेव भगवान शंकर ने श्री गणेश के लिये गुड़मारबूटी और जामुन से दवा बनायी थी, क्योंकि वह डायबेटिज के मरीज थे और सभी सिम्टम्स मौजूद थे। साथ ही बुंदेलखंड में रीठा और बबूल पैदा होती है। टाटा ने रीठा से बहुत सी चीजें तैयार की हैं। पाटनवाला ने रीठा से शैम्पू तैयार किया है। जालौन जिले की देहातों में छोटे-छोटे उद्योग खोले जा सकते हैं। सरकार उसके लिये पैसा दे तो कोंच तहसील में, चमड़े की रंगाई, करघे का काम, रीटा से बनने वाले सामान का उद्योग अच्छी प्रकार चल सकता है। बबूल से २ उद्योग चल सकते हैं, छाल से चमड़ा रंगा जाता है और फल से Vitamin 'C' अधिक पैदा हो सकता है। राज्य ने गोवर्धन को ब्युटिफाई किया है, वहां पर, आंवला, अमलतास, व बेल के लाखों पेड़ हैं, उनके फल फूल बेकार चले जाते हैं। वहां पर आंवला से "च्यवन प्राश, अमलतास के फूल से "गुलकन्द" तथा बेल पत्र से अन्य दवाईयां बनाई जा सकती हैं इस प्रकार राज्य को तमाम दवाइयां बनाने को Raw materials मिल सकते हैं। अगर एक Research कमेटी बने तो मैं

बड़े प्लान भी दे सकता हूं । मैं समझता हूं कि उससे देहात के लोग अधिक लाभ उठा सकते हैं और उससे हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं । आपके यहां आज हिन्दी के टाइप-राइटर्स आदि की आवश्यकता है । उनके बनाने की फैक्टरीज आप शहरों में भी खोल सकते हैं । देहातों में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज के लिये दवायें आदि भी आप बना सकते हैं । उन दवाओं की शुद्धता देखने को हर जिले में आपके वैद्य अस्पतालों में मौजूद रहते हैं । इसमें सरकार का थोड़ा सा पैसा अवश्य खर्च होगा, मगर इससे देहात के लोगों को रोजगार मिलेगा । आपने हल्द्वानी में मशीनें लगाकर कत्था फैक्टरी को वहां खोल दिया है, अब वहां गृह उद्योग बेकार हो जायगा । अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि आप देहातों में छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाये, उसी से आपके देश और प्रदेश की तरक्की होगी । इन शब्दों के साथ मैं श्री रामायण राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये तथा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन को यह बताना चाहता हूं, कि मेरा यह खयाल है वे उद्योग जिनको आप हैवी इन्डस्ट्री कहते हैं, शहरों में ही लगाये जाते हैं या शहरों के करीब लगाये जाते हैं, उसके कारण हमारे देहात के आदमियों को जो समुचित लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है ? हमारी सरकार की तरफ से जो योजनायें अब तक विकास क्षेत्र के आधार पर की जा रही है उनमें, ब्लाक स्तर पर, ट्रेनिंग के लिये तो आदमी रखे जाते , उनका अगर इस प्रकार का संगठन किया जाय कि जो सामान देहातों में बनाया जाय उससे ठीक-ठीक विक्रय की व्यवस्था हो सके तो मैं समझता हूं कि जो आक्षेप आज हमारे खिलाफ होता है उसको करने का मौका किसी को न मिले और उन लोगों को जिन्हें देहातों में कोई नयी चीज दिखाई नहीं देती, एक नयी चीज दिखाई देने लगेगी । आज हमारे सामने सब से बड़ी समस्या इस बात की है कि हम देहात में जो लोग बेकार हैं उनको काम दिलावें । उनको काम देने के लिये सिवाय इसके कि हम वहां पर घरेलू उद्योग धन्धे लगायें, और कोई रास्ता नहीं है । यह बात सही है कि एक ही प्रकार के उद्योग सब जगह नहीं चल सकते हैं । जहां पर रा मैटिरियल, कच्चे साधन हों, वहीं पर उद्योग चल सकते हैं । यह विचार तो उन लोगों को करना है जो उद्योग को संगठित करेंगे । साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना है कि गांवों में स्वतः उद्योग मौजूद हैं । कुछ तो ऐसे हैं जो खुद ब खुद अपने स्थान पर सूखते जा रहे हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा । मैं और स्थानों की बात तो नहीं जानता लेकिन हमारे बनारस जिले की जन-संख्या (पौपूलेशन) इतनी अधिक है कि प्रति वर्ग मील पर करीब हजार बारह सौ पड़ती है । वहां परती जमीन बहुत कम है । एक बात यह है कि गांवों में हरिजन जहां मरे हुये जानवरों की खाल निकाला करते थे उन स्थानों का प्रायः बन्दोबस्त हो गया है । इस प्रकार से एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसकी व्यवस्था सरकार को करनी है कि इस तरह के जो स्थान हों उनको सुरक्षित रखा जाय । साथ ही देहातों में ऐसे उद्योग भी हैं जैसे तेली लोग जो तेल पेरा करते थे उनके स्थान पर अब तेल निकालने की छोटी-छोटी मशीनें लग गई हैं जिससे तेली समुदाय बेकार हो रहा है । उनके लिये भी काम की व्यवस्था करनी है । साथ ही उनके द्वारा जो शुद्ध कोल्हू का तेल मिला करता था उसके मिलने में भी दिक्कत हो रही हैं । इसी प्रकार से कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, खास तरह का सामान मिट्टी से बनाते हैं वह एक खास मिट्टी से ही तैयार होता है, हर मिट्टी से सामान नहीं बन सकता । वे जिन स्थानों से मिट्टी लिया करते थे उनका भी बन्दोबस्त हो गया है । उनके लिये भी हमको सोचना है कि मिट्टी के पात्र बनाने के लिये उनको कहां से मिट्टी उपलब्ध कराई जाय । इस तरह की कठिनाईयों को हमें दूर करना होगा । हमें यह मालूम है कि हमारी सरकार देहातों के उजड़े हुये उद्योगों को बसाने और आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है, वह हर प्रकार से सहायता देने के लिये तैयार है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही यह कठिनाइयां दूर हो जायंगी । मैं समझता हूं कि जो उद्योग नये सिरे से लगाये जा सकते हैं उनके लिये उद्योग विभाग ने सर्वे कर लिया है कि कहां-कहां कौन-कौन उद्योग चल सकते हैं और

[ऋषिनारायण शास्त्री]

उनकी सूची बना ली है । यदि सही मानों में उद्योग को चलाया जाय तो जो आक्षेप आज दिये जाते हैं वह समाप्त हो सकते हैं । समय की कमी के कारण कटौती के प्रस्ताव का जवाब देने के लिये मौका नहीं है । एक बात अवश्य मुझे कहनी है कि जिस उद्योग के लिये जो पैसा दिया जाय वह उसी में उपयोग होना चाहिये । इसी प्रकार से सरकार, जनता और इस देश का कल्याण हो सकता है ।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं श्री रामायण राय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । दुनिया में जो कहा गया है, सच है, कि शेर जो होता है वही शर कहलाता है । आज सरकार की पार्टी के लोग देश की स्थिति को करीब-करीब जानते हुये भी जिसे वह सदन में कहना चाहते हैं, अनुशासन के कारण कह नहीं सकते कि कहीं कांग्रेस पार्टी उनको निकाल न दें । वे जनता के बीच से चुन कर आते हैं और गुट बनाकर सरकार की बात करते हैं । जन-कल्याण वे भूल जाते हैं । आज देश में उद्योगों की बात हो रही है । कहीं मोटर में मशीन फिट करके गांवों में तस्वीरें दिखाई जा रही है । मैं तो इलाहाबाद जिले की बात कहता हूं । वहां बीड़ी का एक कारखाना खोला गया जिसमें लाखों आदमी क्षय रोगी होते जा रहे हैं, ३२,००० रिक्शा वहां चल रहे हैं । कराची अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास हुआ था कि आजादी मिलने के बाद छोटे-छोटे उद्योग धंधे खुलेंगे, दूध और दही की नदियां बहेंगी, घर-घर बिजली लगेगी, देश में कोई बेकार नहीं रहेगा । लेकिन आज १५ साल की आजादी के बाद दूध-दही के बजाय मट्ठा भी खाने को नहीं मिल रहा है । घी की जगह डालडा हो रहा है । शहरों में बड़े-बड़े लोग कोआपरेटिव सोसाइटियां कायम करके सभी दूध देहातों का शहरों में लाकर बेचते हैं । उसी का मक्खन निकाल कर बेचा जाता है । मैं अभी ४ महीने पहले बम्बई गया था । वहां यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि लाखों की तादाद में हमारे उत्तर भारत के लोग वहां होते हुये भी और मेहनत करने के बावजूद भी फुटपाथ पर सोकर अपनी गुजर करते हैं । वहां से लोग कमा कर लाते हैं और यहां टैक्स के रूप में अदा करते हैं । हमारी बिजली अगर बिड़ला को न दी गई होती और उत्तर भारत के लोगों को दी गई होती तो उत्तर भारत के लोगों को बाहर जाकर नहीं भटकना पड़ता, बल्कि गांवों में वे अपने उद्योग-धंधों में लगाकर बेरोजगारी को दूर करते ।

आज कल ट्रैक्टर चल रहे हैं, कुट्टी काटने की मशीनें काम कर रही हैं । देहातों में लोग बेरोजगार होकर शहरों की ओर भाग रहे हैं । सरकार उद्योगों की बात करती हैं और कहती हैं कि वह कर्जा देती है । यह कर्जा कैसे दिया जाता है ? यह उनको दिया जाता है जो सरकार की चापलूसी करत हैं । व कोई कल कारखाने नहीं खोलते बल्कि उनका काम सरकार का पिट्ठूपन करना है और ४, ६ महीने के बाद वह स्कीम फेल कर दी जाती है । हमने देखा कि कमलानगर, तहसील फूलपुर में २ सघन क्षेत्र खोले गये । लाखों रुपये की बिल्डिंग वहां बनी । ४००, ५०० रुपये का वहां का एक पेड़ बेचा जा सकता था जबकि सैकड़ों पेड़ वहां के कटवाये गये । कुछ दिन वह स्कीम चली, उसके बाद गबन का केस चला और हमारे एक कांग्रेसी नेता जो नीचे की अदालत से सजा पा गये थे ऊपर की अदालत से बरी हो गये । वहां लाखों रुपये की इमारत बेकार पड़ी हुई हैं । वहां टाटपट्टी का कारखाना भी बेकार रहा । मैं हंडिया की बात बतलाता हूं । वहां एक तालाब के लिये रुपये मंजूर हुए । उसकी नींव भी नहीं डाली गई, कागज पर तालाब खुद गया । बाद में कह दिया गया कि गांव में मलेरिया आ गया है, वह तालाब बन्द कर दिया जाय । इस प्रकार कागज पर तालाब खुद कर बन्द भी हो गया ।

आज मजदूरों की बात यहां कही जाती है । मैं एक मजदूर की बात बतलाऊं । वह हरिजन है और फतुहा गांव का रहने वाला है । उसकी औरत को बच्चा हुआ । उसके खाने के लिये कुछ नहीं था और गांववालों से सेर, २ सेर मांग कर मैंने उसके बच्चों को दिया । गांधी जी की बात भी सभी करते हैं परन्तु उनके बताये हुये मार्ग पर कितना चलते हैं ? खादी सभी पहनते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं परन्तु कितने ऐसे हैं जो अपने हाथ से कातकर तैयार करते हैं ? गांधी जी ने कहा था कि उद्योगधंधा अपने हाथ से करो ताकि छोटे लोग आपकी नकल करें । जिसके यहां झोपड़ी थी आज उनके यहां बड़ी बड़ी इमारतें हो गई हैं । जो साइकिलों पर चलते थे उनके यहां मोटर कारें हो रही हैं । आप कहते हैं कि देश की गरीबी दूर करने जा रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ाना चाहते हैं । सरकार उन पर टैक्स लगाती हैं लेकिन लोग डबल हिसाब रखकर सरकार को धोखा देते हैं । अपनी उपज वे कम से कम दिखाते हैं । क्या सरकार इन बातों पर विचार नहीं कर सकती ? पहले हम अपने को सुधारें । हम आलोचना करते हैं, जनता के बीच में जाकर बड़ी-बड़ी डींग हांकते हैं । अगर आधा भी उसका कार्यरूप में परिणत किया जाय तो बड़ा सुधार हो सकता है ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुदान रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें सन्देह नहीं कि यदि किसी देश या प्रदेश को धन-धान्य से समृद्ध करना है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वहां हमारे उद्योग-धन्धे बढ़ने चाहिये । हमारा प्रान्त कृषि प्रधान है और जब तक यहां कृषि करने वालों की संख्या कम नहीं होगी, छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगाकर उनकी आमदनी नहीं बढ़ाई जायगी, तब तक हमारा प्रान्त समृद्धिशाली नहीं हो सकता । आंकड़ों के अनुसार ऐसा बतलाया गया है कि एक कारखाने में काम करने वाला कर्मचारी १ घंटे में जितना कमा लेता है ठीक उतना ही खेती में काम करने वाला मजदूर ४ घटे काम करके कमाता है । इसका यह मतलब है कि खेती में चारगुनी मेहनत उसे करनी पड़ती है । इसलिये यह मानना पड़ेगा कि यदि हम अपने प्रान्त को ऊंचा उठाना चाहते हैं और आप जनता की हालत को सुधारना चाहते हैं तो आपको बहुत से उद्योग-धंधों को लगाना होगा । जसा कि रिपोर्ट में बताया गया है पहली पंचवर्षीय योजना से दूसरी योजना में दुगुना रुपया खर्च किया गया और तीसरी में फिर हम दूसरी योजना से दुगुना खर्च कर रहे हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भी हमारे प्रान्त के ऊपर बड़ी कृपा की है और ४--५ बड़े बड़े उद्योग-धंधे हमारे प्रान्त में लगाये जा रहे है जिनसे हमारे प्रान्त में रोजगार और समृद्धि बढ़ेगी । ज्वालापुर में एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया जा रहा है । ३५--४० करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा । इसी तरीके के और भी कारखाने लगाये जा रहे हैं । इसके लिये हम प्रान्तीय सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परिश्रम करके और अपनी कार्यकुशलता से काफी फैक्ट्री अपने यहां लगाने का काम चालू किया ।

गांवों में कुछ ऐसी भी फैक्ट्रियां लगायी गयी हैं जिनमें किसानों के लिये औजार बनते हैं लेकिन वे इतने सुधरे हुए नहीं हैं कि किसान उनका अच्छा उपयोग कर सकें । अगर कोई गांव वाला ट्रैक्टर लेना चाहता है तो वह ८--१० हजार रुपये से कम का नहीं आता है । यदि इस प्रकार का ट्रैक्टर दो-ढ़ाई हजार रुपये की लागत का बनाया जा सके तो दो-तीन किसान मिल कर उसको खरीद सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं । ग्राम लघु उद्योग धंधों में यह समझा जाता है कि केवल खादी का उत्पादन ही लघु उद्योग है । यह बात सही है कि खादी से भी लोगों को बहुत सहायता मिलती है । लेकिन इसी से हमें संतोष नहीं होना चाहिये । ऐसे और भी बहुत से कल कारखाने लगाये जा सकते हैं जिनमें खाली समय में ठंडी हवा में गांव का आदमी काम करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकता है । एक किसान औसतन ७--८ घंटे काम करता है । खाली समय में उसको कोई छोटा ऐसा काम दिया जा सकता है । इसमें काम करके क तो उसको संतोष होगा, दूसरे सरकार को भी संतोष होगा कि उसने किसान को उसके घर पर काम देकर उसकी समृद्धि को बढ़ाया है । इस तरह का कोई भी कदम हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के द्वारा ही उठा सकते हैं ।

हमारे सारे प्रान्त में ब्लाक्स बने हुए हैं । हर जिले को ब्लाक के स्तर पर बांट दिया गया है । कोई ऐसी स्कीम बनायी जाय कि ब्लाक के स्तर पर उद्योगों को खोला जाय तो उस क्षेत्र के किसानों को काफी सहायता मिल सकती है और उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है । उदाहरण के लिये हर जिले में दो-तीन स्थान छांटे जायं, जहां छोटे-छोटे उद्योग-धंधे शुरू किये

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

जावे और उसके बाद भी कोई गलती हो या कोई भूल हो तो उसको सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जावे। कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया कि गवर्नमेंट ने जहां फैक्ट्री लगायी वहां नुकसान हुआ, वहां घाटा हुआ। मैं समझता हूं कि कोई भी उद्योगपति या कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सब जगह जहां वह रुपया लगावे, खाली उसे लाभ ही लाभ हो, हानि न हो। कोई भी व्यक्ति हो या सरकार हो उसे दोनों बातों के लिये तैयार रहना पड़ेगा, हानि के लिये भी और लाभ के लिये भी। लेकिन हम घाटे की बात को तो आगे रखें और जहां तरक्की हो उसे आगे न लाया जाय, तो मैं समझता हूं यह न्याय नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हम लोगों के सामने जो अनुदान रखा गया है, लघु कुटीर उद्योगों को, उसके सम्बन्ध में हम अपने अपने सुझाव दें कि किस तरह से छोटे-छोटे उद्योग धंधे हम गांवों में कायम कर सकते हैं। हम यह सुझाव दें कि गांव वाले इतने समय तक खाली रहते हैं और उस बीच में घंटा, दो घंटे, तीन घंटे जितना भी समय हो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये कोई काम करें। कोई गलत बात हो तो उसे गलत कहना ठीक है, लेकिन जो ठीक बात हो उसमें भी, आलोचना करने के खयाल से केवल बुराई ही बुराई देखना, यह सही आलोचना नहीं है। इन शब्दों के साथ जो यह अनुदान माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और अपने माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि वे ठोस सुझाव सदन के सामने रखें।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अवसर दिया अपने विचार व्यक्त करने का उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह सदन में मेरा पहला मौका है। काफी लम्बे अरसे के बाद कि मैं अपने थोड़े से विचार सदन के समक्ष रखूंगा। मान्यवर, जो अनुदान की मांग सरकार की ओर से पेश की गयी है और विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव सदन में आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो अनुदान की रूपरेखा है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, विरोध करने का लक्ष्य केवल इस बात पर है कि जितने भी अनुदान और धनराशि नियुक्त की जाती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये, किसी भी उद्योग को पनपाने के लिये, तो इस बात पर जरूर गौर करना चाहिये कि उस क्षेत्र में धन का उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं यदि यही क्रम रहा तो हो सकता है कि निकट भविष्य में हमारे यहां कोई भी प्रगति ही न हो। आज भारतवर्ष के अलावा दूसरे मुल्क जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हिन्दुस्तान उतनी ही तेजी के साथ पिछड़ता चला जा रहा है और उसका प्रमाण यह है कि हर वर्ष हमको किसी न किसी देश से कर्जा लेना पड़ता है। सबको यही बतलाया जाता है कि हमारा देश गरीब है और इसके विकास के लिये हमें कर्जे की आवश्यकता है। उस कर्जे का स्वरूप भी वही होता है कि हम अपने देश की गरीबी मिटाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र या अपने देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिये कर्जा लेने की कोशिश करते हैं।

मैं और जिलों की बात न करके केवल आगरा जिले की बात करना चाहता हूं जहां बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज हैं। आगरा जूते के उत्पादन के मामले में सबसे पहला स्थान रखता है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां इसके मुकाबले में अच्छी क्वालिटी के जूते बनते हों। इस उद्योग को पनपाने के लिये बार-बार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह जब आगरा आये थे तो उन को बताया गया कि अन्य उद्योगों के अलावा आगरा क्षेत्र की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये आप पूरा प्रयत्न करें। उनको इसका दूसरा पहलू यह भी बताया गया कि हमारे यहां जूता उद्योग के न बढ़ने के ४ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जूतों को सन्तुलित दामों पर बेचने की ठीक व्यवस्था नहीं है जिससे कि उस क्षेत्र में जूतों का उद्योग पनप सके और जो शोषण होता है उस पर सरकारी नियन्त्रण किया जाय। यह नियन्त्रण आज भी नहीं है। मैं आप को यह बताता हूं कि आगरा में किस तरह से जूते का उत्पादन होता है और कैसे वह उत्पादन किया हुआ जूता बेचा जाता है। अगर आप उस तरीके को देखें तो आप को बड़ा भारी क्षोभ होगा। वह उत्पादन

करने वाले गरीब भाई छोटी-छोटी गलियों में मेहनत से काम करते हैं लेकिन जब वह अपने जूतों को मार्केट में बेचने के लिये जाते हैं तो वहां पर जूते नीलाम किये जाते हैं। इस तरह इन गरीबों का माल बुरी तरह से कम दामों पर लिया जाता है, उस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये और किसी प्रकार का नियन्त्रण होना चाहिये, बगैर सरकारी नियन्त्रण के इस व्यवस्था में किसी तरह के सुधार की कोई आशा नहीं है।

दूसरा कारण यह है कि इन कारीगरों को वाजिब कीमत पर कच्चा माल नहीं मिलता। जैसे लेदर सोल, काफ, क्रूम और टिंगल आदि सामान है–यह सब चीजें इन को बड़ी अव्यवस्थित ढंग से और मनमानी कीमत पर बेची जाती हैं और जो इस सामान के व्यापारी हैं वह इन लोगों को बुरी तरह से चूसते हैं और परेशान करते हैं, मनमाने पैसे उन से चीजों के लेते हैं और इसी कारण से आज वहां का यह भारी उद्योग पतन के रास्ते पर जा रहा है और जाता रहेगा अगर इस पर ब्रेक न लगाया गया।

तीसरे "बिक्री कर की व्यवस्था बड़ी दूषित है। यह हम नहीं कहते कि टैक्स नहीं लगना चाहिये, टैक्स तो हर सरकार जो भी होगी वह लगायेगी, वह लगना चाहिये लेकिन उस की सीमायें निर्धारित होनी चाहिये। यह बिक्री कर केवल उन्हीं इकाइयों पर लगना चाहिये कि जिनका कम से कम ३६ जोड़ों का प्रोडक्शन होता है। आगरा में प्रति वर्ष ६० लाख जोड़ी जूते बनाने की तादाद है किन्तु केवल लघु उद्योगों के रूप में छोटी-छोटी इकाइयां काम करती हैं। पूरे देश के प्रोडक्शन की क्षमता १० करोड़ जोड़ों की है जिसमें से केवल आगरा में ६० लाख की है। आंकड़ों से यह भी जाहिर है कि वहां पर उत्पादन गिरता जा रहा है। इस का कारण यही है कि जो जूते का उत्पादन करने वाले हैं वे आज भय खाते हैं कि कहीं सेल्स टैक्स अधिकारी धावा न बोल दें। इसलिये अगर कोई उचित सीमा निर्धारित कर दी जाय, अगर कोई फर्म एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करती है या दूसरे सूबों में जहां पर कि जूतों की खपत होती है या वहां से उसका सम्बन्ध है तब तो उस पर सेल्स टैक्स लगना चाहिये, वर्ना वह इकाई जो घरेलू स्तर पर उत्पादन करती हैं और जो ३६ जोड़े से कम का प्रोडक्शन करती हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिये। इस से उन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उद्योग भी पनपेगा और उत्पादकों की क्षमता भी बढ़ेगी और जो हाहाकार आज मचा हुआ है वह न मचेगा।

मान्यवर, एक और क्राइम बड़ा भारी वहां होता है, मैं तो उस को अपराध (क्राइम) ही कहूंगा। होता यह है कि जब यह जूता बनाने वाले जूता बनाकर जाते हैं तो व्यापारी उन को केवल एक पर्ची दे देते हैं और नकद पैसा नहीं देते। इस तरह से उन लोगों ने एक नया सिस्टम ईजाद कर रखा है, एक अपनी पर्सनल करेंसी स्थापित कर रखी है, मैं तो उस को अपराध मानता हूं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को बड़े ऊंचे ढंग पर और जल्द ही कोशिश करनी चाहिये इस अपराध को रोकने की। वह पर्ची देते हैं जिसको ले कर जूता उत्पादक जब मार्केट में जाता है कोई चीज खरीदने के लिये तो सेल्स टैक्स तो रा मैटीरियल पर देता ही है इसके अलावा उसको उस पर्ची का प्रतिशत के हिसाब से व्याज देना पड़ता है। इस शोषण को सरकार को रोकना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बनवारीलाल विप्र––मान्यवर, मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं इसलिये मुझे ५ मिनट और दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष––२ मिनट आप और बोल लीजिये।

श्री बनवारीलाल विप्र––अभी १९५९–६० में बहुगुणा कमेटी बनी थी जिसके दो सदस्यों को मैं यहां देख रहा हूं, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री उग्रसेन, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़े नजदीक से देखा वहां लोग किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर इसी तरह से उनका जीवन चलता रहा तो एक आन्दोलन हो सकता है क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति

[श्री बनवारीलाल विप्र]

हमने जनता के बीच में देखी है। वहां मार्केटिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये या कोआपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना होनी चाहिये जिससे सरकार और उनमें सम्बन्ध स्थापित हो सके। जिस प्रकार से बाटा और फ्लेक्स की कम्पनियां स्वतन्त्र रूप से काम करती हैं उन पर हैवी ड्यूटी लगनी चाहिये जिससे आगरे का जूता गृह उद्योग पनप सके। मान्यवर, जो सोसाइटीज स्थापित हों उनका सरकार से इस तरह सम्बन्ध होना चाहिये जिस तरह से जनसेवक काम करते है। जनसेवक का उत्पादन लक्ष्य २,३२,००४ रहा है। यदि जनसेवक उचित रूप से काम करे तो हो सकता है कि इसमें और वृद्धि हो। अगर मार्केटिंग व्यवस्था सरकार अपनी देखरेख में करे तथा वह मार्केटिंग सोसाइटीज में अपने एजेन्ट मुकर्रर करे जो बाहर के आर्डर लायें और मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये प्रोडक्शन कराया जाय तो उन लोगों का शोषण क सकता है तथा उन्हें उनके माल का उचित दाम भी नगद मिल सकता है।

अभी तक बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ है लेकिन सरकार को जूतों के मामले में इस बात को ध्यान में रखना चाहिये जिस उद्योग पर ४०,००० परिवार अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी समय उनको भूखे रहना पड़ जाता है, उधार ले कर खाते हैं, वह उद्योग समाप्त न हो जाय।

क्वालिटी मार्किंग स्कीम चालू है उसके अन्तर्गत आंकड़े दिये गये हैं कि ब्राउन डरबी जोड़े १,०४० बेचे गये जिनका मूल्य १२,७८० पया हुआ, लेडीज के ऐंकिल बूट २२,४३२ बने जिनका मूल्य ३,८९,०१८ पया हुआ, इसी तरह से ब्राउन आफिसर्स बूट बने। तो यह जो सरकार की क्वालिटी मार्किंग स्कीम है, उसको चाहिये जिस प्रकार से हमारे यहां उक्त स्कीम में २९ सोसाइटीज स्थापित हैं, वह नग्न रूप में काम करती हैं क्योंकि उसके चेयरमैन को कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है। जब उन्हें टेक्निकल ज्ञान ही नहीं तो किस तरह से वह रिप्रेजेन्टेशन कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं कि क्या कार्य जूते के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक है? इसलिये जब तक किसी बोर्ड की स्थापना यहां नहीं की जायगी जो जांच करे कि क्या कारण हैं जिससे फैक्टर्स का शोषण होता है और उसको किस प्रकार से रोका जाय, तब तक आगरे का जूता उद्योग बराबर अवनति की ओर ही जायगा। जब तक इस तरफ शान्तिपूर्वक विचार नहीं होगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारा राष्ट्र और प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में गिरता ही जायगा और हम बराबर भिखमंगे की तरह कर्जा मांगते रहेंगे, हमारा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से कभी भी स्वतन्त्र नहीं होगा, ऐसा मुझे यकीन है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। मैं तो अपने सभी भाइयों से यह निवेदन करूंगी कि गम्भीरतापूर्वक हमको इस बात पर विचार करना चाहिये क्योंकि यह अनुदान जो है इस पर हमारे भविष्य का निर्माण निर्भर है। ७ करोड़ जनता के जीवन-मरण का प्रश्न है। हमको मालूम है कि १९६० तक हम कृषि को ही महत्व देते थे। जितने कार्यक्रम थे ८० फीसदी उनमें कृषि से सम्बन्धित थे। पर सरकार ने इस पर पुनः विचार किया और इस निर्णय पर पहुंची कि सिर्फ कृषि से इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती, इस निर्णय पर पहुंची कि कोशिश यह की जाय कि ६० फीसदी कृषि से और ४० फीसदी उद्योग धन्धों से लोगों को रोजगार दिया जायगा तभी हमारे प्रदेश की उन्नति हो सकेगी।

मैं आप लोगों से एक बड़ा नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि मैं दोनों तरफ से बहुत गौर से यह सुन रही हूं कि हम लोगों ने बड़ी आसानी से यह मंजूर कर लिया है कि उत्तर प्रदेश जो है बड़ा बैकवर्ड है, बड़ा इकोनामिकली बैकवर्ड है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि "बैकवर्ड" शब्द जो है उससे अपने स्वाभिमान को ठेस लगती है। मैं यह निवेदन करूंगी कि हम सब एक हो कर इस "बैकवर्ड" शब्द को समाप्त कर दें। आज वह समय आ गया है जब इस संसार से उड़ कर आप बाहर अन्तरिक्ष में पहुंच जाते हैं और एक चांद की जगह दूसरा चांद पहुंचा देते हैं। तो क्या यह जो बैकवर्ड प्रदेश है एक हो कर अपने देश की प्रगति में हाथ बटा कर हम इसको

बदल नहीं सकते ? मैं एक मामूली स्त्री हूं। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे आब्जेटिव, हमारे लक्ष्य ऊंचे हों, कांस्ट्रक्टिव हों जिन्हें हम अपने सामने रखें। अभी कुछ भाइयों ने यहां एक किताब के सिलसिले में जिक्र किया "टेन इयर्स आफ बैकवर्ड यू० पी०" उन्होंने कुछ आंकड़े उसमें से रखे थे । एक मामूली सी चीज, मैं भी आंकड़ों के सम्बन्ध में रखना चाहती हूं और निर्णय आप पर छोड़ती हूं। कुछ जिक्र यह किया गया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कुछ न करने के कारण हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं और इस तरह से हम लोग भविष्य में कहीं के न रहेंगे। उसके जवाब में कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। १९५० और १९६० के बीच में उत्तर प्रदेश में जो प्रगति हुई है वह इस प्रकार है :--

	१९५०-५१	१९६०-६१
सूती कपड़े (गज में) ..	२८,२८,९४,०००	३३,३६,८०,०००
सीमेंट (टन में)	..	२,४०,३९०
लोहा और इस्पात (टन में) ..	२२,५९६	३२,५२९
दियासलाई (रु० में)	१,१५,८८,०००	१,७९,३६,०००
चीनी (टन में)	५,९३,०००	१४,०४,०००
कागज (हंडरवेट में)	१,१८,५७७	२,२१,९४५

इस तरह से आप देखगें कि इस तरह प्रदेश में उन्नति हुई है जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है। किसी भाई ने यह सजेस्ट किया कि अगर अनिमिया हो तो ब्लड ट्रान्सफ्यूज किया जाय । मैं मानती हूं कि अगर अनिमिया हो तो ब्लड ट्रान्सफ्यूज किया जाय और अगर कैंसर हो तो रेडियम ट्रीटमेंट किया जाय लेकिन इस पर भी अवश्य ध्यान दिया जाय कि जो रोग है उसे अवश्य दूर किया जाय।

एक भाई ने जिक्र किया कि हम भीख मांगते हैं अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये। मैं यह निवेदन करूंगी कि मान लीजिये हमारा बच्चा बीमार है और हमारे पास पैसा न हो तो क्या हमारा धर्म नहीं हो जाता कि हम उसका ठीक से इलाज करायें। यह प्रदेश जो पिछड़ा कहा जाता है सारे देश का एक अंग है, एक टुकड़ा है। अगर सारा भारतवर्ष स्वस्थ रहे और उसका एक हिस्सा बीमार रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी लाजिक के आधार पर मैं यह कहूंगी कि अगर प्रदेश की उन्नति के लिये भीख मांगना पड़े और बड़ी-बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज कायम करने के लिये हमको बाहर के देशों से ऋण लेना पड़े तो वह कोई भीख नहीं है जब कि हम यह अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें उसे वापस करना है और करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो हमारे देश के ऊपर आक्षेप आ जाता है। मैं अपने भाई से सहमत हूं कि हमको पहले छोटे-छोटे उद्योग कायम करने चाहिये और यह भी बात सही है कि अगर भारी इंडस्ट्रीज हम स्थापित करते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है और अन्य देशों से ऋण लेने के लिये हमको कागजी घोड़े काफी दौड़ाने पड़ते हैं और आज जो बीसवीं शताब्दी है मैं तो जानती हूं कि इस समय एक-एक सेकेंड हम लोगों के लिये कीमत रखता है और हमारे जितने भाइयों को रोजगार देना है, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। इसलिये बड़ी इंडस्ट्रीज से लाभ तुरन्त नहीं दिखायी देता लिहाजा लघु उद्योगों को स्थापित करना अनिवार्य है। सरकार ने इस तरफ काफी कदम उठाया है भी लेकिन फिर भी हमको इसमें जल्द से जल्द उन्नति की जरूरत है।

आप लोगों को शिकायत है प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों से सरकार को खास प्रेम है। इत्तिफाक से मैं ऐसे शहर से आयी हूं जहां पूंजीपति एक नहीं अनेक हैं और कई एक से मेरी निजी जान-पहचान भी है। आखिरकार वे भी इसी प्रदेश के व्यक्ति हैं। एक आकांक्षा होती है हर एक को। अगर आप छोटे दायरे में खुश हैं तो वे बड़े दायरे में खुश हैं। अगर आप को एक तरफ शौक है तो

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

उनको दूसरी तरफ शौक है। मैं पूंजीवाद को जस्टिफाई करने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं। अगर जब एक पूंजीपति कोई उद्योग स्थापित करता है तो अपने साथ-साथ वह सैकड़ों परिवारों को भी फायदा पहुंचाता है। भूलिये मत, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स को खत्म करते हैं तो टाटा, बिड़ला, सिंघानिया, सूरजमल, नागरमल और जो उग्रसेन साहब ने एक बहुत लम्बी लिस्ट नामों की रखी थी कि वह कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो मैं तो कानपुर क बारे में जानती हूं कि लाखों आदमी वहां लगे हुए हैं। यह सही हो सकता है कि २०वीं शताब्दी में जो उन लोगों को सुविधा रोजगार में मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह आदमियों को आदमियों की तरह रहने की सुविधायें द।

जहां तक कानपुर टैनरी का सम्बन्ध है, वहां अनेक टैनरीज हैं और वहां पर जो हमारे भाइयों की दुर्दशा है मैं उसको किसी तरह से आपके सामने नहीं कह सकती। मैं तो कुछ ही दिन वहां गयी हूं और मैं जानती हूं कि उनके छोटे-छोटे फूल की तरह बच्चे वहीं पैदा होते हैं और उनका दिल मर जाता है। तो क्या यह समाजवाद है? (व्यवधान) जो लौ आपके दिल में है वही लौ हमारे दिल में भी है। पर मैं आप ही के मास्टर कार्ल मार्क्स के शब्दों में बताती हूं। आप भी समाजवाद चाहते हैं और हम लोग तो खैर, चाहते ही हैं। हम लोगों का निरन्तर प्रयत्न यही है कि समाजवाद हम लोगों के सामने इस देश में स्थापित हो। पर मैं यह कहना चाहती हूं कि कार्ल मार्क्स ने जो परिभाषा समाजवाद की की है उसको आप समझ लें। उन्होंने कहा है —

"In an underdeveloped country the expansion of industry should be accelerated strictly according to the nation's potentialities. For the sake of speed, it is dangerously bad to stake the national resources for nothing."

इस का मतलब मैं यही कहूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि समाजवाद इस देश पर लायें तो हम सब लोग एक हो कोशिश करें और जो यह आलोचना व्यक्ति विशेष के वि द्ध हम लोग कर रहे हैं उसको भुला कर हम लोग एक हो कर अपना सहयोग दें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में जो रामायण राय जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में अपने विचार रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इधर ध्यान देंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और पिछड़ा हुआ मुल्क है। यदि हम चाहते हैं कि साईंटिफिक तरीके से हमारा मुल्क तेजी के साथ तरक्की करे तो देश का औद्योगीकरण करना होगा और इसी के साथ साथ यह भी हमें सोचना होगा कि किस दिशा में अपने देश का औद्योगीकरण किया जाय यानी अपने देश में बड़ी इंडस्ट्रीज खोली जायं या छोटी इंस्ट्रीज खोली जायं। हमारा देश गरीब है, पिछड़ा हुआ है और हमारे पास पैसे की बहुत कमी है और अगर रुपया है भी तो चन्द लोगों के पास है जो निजी तौर पर कारखाने चलाते हैं परन्तु राज्य के पास और देश के आम लोगों के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। पैसे के अभाव में हमें चाहिये कि हम इधर ध्यान दें कि हमारे मुल्क से बेरोजगारी किस तरह से दूर हो सकती है। पैसे के अभाव में यही हो सकता है कि छोटे पैमाने पर घरेलू उद्योगों को तरक्की दें और सुविधायें प्रदान करें जिससे उनको बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिले।

मैं इस सिलसिले में दो-तीन सनअतों के नाम लेना चाहता हूं और उन की कसौटी पर सरकार की नीति जानना चाहता हूं। पिछले दस वर्षों में हमारी दो योजनायें खत्म हो चुकी हैं और तीसरी चालू है और इसका भी एक साल खत्म हो चुका है। आज हमें यह देखना है कि सरकार ने छोटे उद्योगों के लिये क्या काम किये हैं और कितना पैसा लगाया है और इन उद्योगों को करने वाले लोगों को कितना प्रोत्साहन दिया है। मैं मुरादाबाद की

खूबसूरत सनअत की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसकी शोहरत हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर रूस और अमेरिका के देशों में भी है। मुरादाबाद के कलई के बर्तन, गुलदस्ते और सिगरेट केस वगैरा इतने खूबसूरत होते हैं कि वे विदेशों में भी शोहरत पाये हुये हैं। इस सनअत के ऊपर भी हमारी सरकार, जो अपने को सोशलिस्ट सरकार कहती है, टैक्स लगाये हुये है। यह सनअत छोटे पैमाने पर की जाती है। सरकार ने इसके ऊपर बिक्री कर एक अजीब तरीके से लगाया है। बर्तन की सनअत ऐसी है कि इसमें अलग-अलग तरीके से बर्तन बनते हैं। एक जगह बर्तन ढाले जाते हैं, दूसरी जगह छोले जाते हैं, तीसरी जगह उन पर कलई होती है और चौथी जगह उन पर नक्काशी की जाती है। हमारी सरकार ने सनअत पर हर जगह टैक्स लगाकर इसका दम निकाल दिया है और इसकी कमर तोड़ दी है जिसे रोजाना बहुत से लोग बेकार हो रहे हैं इसलिये कि इस पर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि इस बर्तन की सनअत से जो फारेन एक्सचेंज मिलता है वह भी बन्द हो जायगा। इसलिये कि मुरादाबाद के बने बर्तन बाहर जाते हैं और उनसे हमें पैसा मिलता है। इस दृष्टि से भी सरकार को विशेष रूप से मुरादाबाद के बर्तनों की सनअत के ऊपर ध्यान देना चाहिये और बिक्री कर हटा लेना चाहिये। हर तरीके से इसकी तरक्की की कोशिश होनी चाहिये।

दूसरी चीज मैं आपके सामने ऐसी सनअत रखना चाहता हूं जो देहाती सनअत कहलाती है। वह सनअत गुड़ और खांडसारी की है। इसमें जाड़ों में गांव-गांव में काम किया जाता है। इसके बाद शहरों में भी काम होता है, गांव में खांडसारी लाकर शहरों में साफ की जाती है और उसकी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। इस सनअत में दस लाख से ज्यादा आदमी काम करते हैं और यह इतनी बड़ी सनअत है कि घरेलू उद्योग धन्धों में इसका पहला नम्बर है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जो अपने को समाजवादी नीति पर चलने का दावा करती है उसने पिछले ३-४ साल से चीनी मिल मालिकों के दबाव में आकर उसके ऊपर टैक्स लगाकर इसकी कमर तोड़ दी है और इसको इस काबिल बना दिया है कि लोग अपनी पूंजी इस सनअत में लगाने से घबराते हैं। इसलिये बहुत से लोगों ने इस पेशे को छोड़ दिया है और दूसरे धंधों को अपना लिया है और लोग गांव छोड़कर शहरों में आबाद हो गये हैं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि आपकी इस पालिसी से घरेलू धंधे पनप नहीं रहे हैं और जो महत्वपूर्ण सनअत हैं वे टैक्स के कारण ह्रास की ओर बढ़ती चली जा रही है। अगर यह पालिसी आपके मिल मालिकों के दबाव की वजह से है तो इसका खैरमकदम नहीं कर सकते हैं, हम इसका स्वागत करने के लिये तैयार नहीं हैं। आपने गुड़ खांडसारी और गन्ने पर एक आना रुपया टैक्स लगाया है जब कि गांव वाले दिन रात गन्ना पेरकर गुड़ वगैरह बनाकर अपना गुजारा करते हैं। तो किस तरह से यह उचित था कि इस पर टैक्स लगा कर उसको तबाह और बरबाद कर दें?

अब मैं आपको ध्यान तीसरी सनअत की ओर ले जाना चाहता हूं और मन्त्री जी से कहूंगा कि वह भी सोचें कि उनकी पालिसी की वजह से यह धंधा भी बरबाद हो रहा है। अगर आपने तवज्जह नहीं दी तो वह दिन दूर नहीं कि वह बिलकुल तबाह हो जायगा।

हाथकरघा उद्योग विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, का एक प्रमुख उद्योग है। उसमें लाखों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। औरत मर्द, बच्चे सब लोग कर, घर में बैठ कर कपड़ा बुनते हैं। इस धंधे को भी सरकार की निकम्मी टैक्स लगावा पालिसी ने तबाह कर दिया है। क्या लोगों को जगह-जगह पर सूत मिल रहा है? क्या उनके कपड़े की बिक्री का इन्तजाम किया गया है? आज भी जब वह कपड़ा बुन कर बाजारों में ले जाते हैं तो उनका कपड़ा कोई लेने वाला नहीं। सरकार ने एक यूपिका बना रखा है जिसका दफ्तर कानपुर में है।

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

वह रात दिन झगड़े में लगे रहते हैं और कोई ध्यान नहीं देते। लाखों रुपये का जो सामान पड़ा हुआ है उसके बिकवाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं करते।

आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट जो बहुत बड़ा जिक्र किया है, मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वहां पर नहीं खुली हैं जहां पर खुलनी चाहिये। मुरादाबाद में तीसरे दरजे की इंडस्ट्रियल स्टेट खोली है, जहां पर इतनी बड़ी बर्तन के सनअत है और लाखों मजदूर काम करते हैं। देवबन्द में जहां मजदूरों के लिहाज से आबादी में कम हैं, वहां पहले दरजे की इंडस्ट्रियल एस्टेट खोली है। मुरादाबाद जैसे सनअती शहर में आपको फुलफलेज्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट खोलना चाहिये।

मुरादाबाद में संभल के कंघे की सनअत और अमरोहा में छपाई और लकड़ी की सनअत की तरफ भी मैं तवज्जह दिलाता हूं। मैं अमरोहा से जीत कर आया हूं, अमरोहा में लकड़ी की बहुत बड़ी सनअत है। लोग घर बैठ कर खिलौने बनाते हैं। वहां पर बार-बार मुरादाबाद से सेल्स टैक्स अफसर जाते हैं और सेल्स टैक्स लगाने के लिये कहते हैं। इस तरफ आप तवज्जह दें कि इस तरह की बेहूदा और गलत बात वहां के कारीगरों से जा कर न कहें वरना यह लकड़ी की सनअत बरबाद हो जायगी और उसकी वही दशा होगी जो कि खांडसारी और बर्तन सनअत की मुरादाबाद में हो रही है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी आपके सामने माननीय जगदीश शरण जी ने छोटे उद्योगों के बारे में जिक्र किया। मैं उनकी राय से पूरी तरह से सहमत हूं। एक दूसरी राय हमारे एक साथी ने और पेश की। मैं उससे भी सहमत हूं। जो छोटे-छोटे उद्योग हैं वे कारखानों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर सरकार की तरफ से उनको संरक्षण नहीं दिया जायगा तो उससे बेकारी बढ़ेगी। आप यह अच्छी तरह जानते होंगे कि सेकेंड फाइव इयर प्लान में हमें ६ लाख बेकार मिले हैं और थर्ड फाइव इयर प्लान में अन्दाजा यह लगाया गया है कि हमारी बेकारी १२ लाख हो जायगी। अगर हम चाहते हैं कि यह बेकारी दूर हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम छोटे धन्धों को तरक्की दें। हमारे यहां यह काम खादी बोर्ड भी करता है। इससे भी दस्तकारियां चलती हैं। मैं उन दोनों साथियों की राय से इत्तफाक करता हूं और इसके बारे में एक दूसरी राय और रखता हूं और वह यह है कि खादी बोर्ड की दस्तकारी को संरक्षण देने के बावजूद हम मिलों से कम्पीटीशन नहीं कर सकते। तो मेरा सुझाव यह है कि हमें इन छोटे उद्योगों के लिये यह तय कर देना चाहिये कि कौन से सामान छोटे उद्योगों के जरिये से बनेंगे और कौन से मिलों के जरिये से बनेंगे। जितने ये छोटे उद्योग हैं इनमें मजदूर को दो रुपये रोज की आमदनी होती है जो लिविंग वेज नहीं है और यह बेकारी को दूर नहीं करता बल्कि अर्द्ध बेकारी पैदा करता है। तो अगर पूरी बेकारी को दूर करना है तो इनको कम्पीटीशन से निकाल देना है और उसका तरीका यह है कि हम यह तय कर दें कि जैसे हैंडलूम है, हैंडलूम में हम चादरें बनायेंगे, परदे बनायेंगे, तौलिये बनायेंगे, मेजपोश बनायेंगे, यह चीजें मिलें नहीं बनायेंगी। इस तरह यह दस्तकारी कम्पीटीशन से बाहर हो गई। तो इसमें एक कारीगर १०० रुपये महीना कमा पायेगा। और अगर एक कारीगर १०० रुपया महीना नहीं कमा पाता तो वह बेकारी दूर नहीं करता, बल्कि अर्द्ध बेकारी पैदा करता है और उससे बेकारी की समस्या हल नहीं होती और परचेजिंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ती।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो पांच हजार, दस हजार का इंवस्टमेंट करना चाहते हैं और उनकी पोजीशन यह होगी कि वह कारीगर और कारखानेदार दोनों एक ही में कम्बाइंड होंगे और छोटी सी एक यूनिट होगी। लेकिन जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर के पास जाते हैं तो वह हमें इस सूबे

की सरकार और केन्द्रीय सरकार की छपायी हुई कुछ किताबें दे देते हैं और जिसमें बड़े लम्बे लम्बे लफ्जों में इंडस्ट्रीज लिखी होती हैं और प्रेचोदगी उनमें ऐसी होती है कि २५ हजार से लेकर ५ लाख तक की कास्ट उनकी होती हैं। उनका बर्त्ताव हमारे साथ ऐसा होता है गोया कि हम उन्हें काटने के लिये आये हों और वह डडे से मारकर भगा देना चाहते हैं। वह हमसे कहते हैं जाओ, पढ़ो और जो चाहो ले लो और यह लोन का तरीका भी इसमें लिखा हुआ है। तो यह रुख और व्यवहार मुनासिब नहीं है। मेरे भाई पंजाब का जिक्र कर रहे थे। पंजाब और यू० पी० के अन्दर क्या फर्क है, वह मैं आपको बताऊं। यू० पी में दस्तकारी खोल लिया तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की गुलामी कर ली। रोज बस्ता लेकर उनके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। पंजाब में दस्तकारी अगर खोल ली तो इंसपेक्टर रोज घर पहुंचा हुआ है, कि बोलो क्या चाहिये। इसलिये अगर यहां पर दस्तकारी को तरक्की देनी है तो यह नीति बदलनी होगी।

अब जो दूसरी बात हमारे आगरे वाले साथी ने कही, उसके बारे में भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर जूते की इंडस्ट्री को जिन्दा रखना है तो उसकी पर यूनिट कास्ट आफ प्रोडक्शन लाजमी ज्यादा होगी और सेल्स टैक्स की माफी के बावजूद भी ज्यादा होगी। तो आप यह तय कर दीजिये कि चप्पल, स्लीपर, फुल स्लिपर, यह हाथ की दस्तकारी में बनेंगे और बूट, फुल बूट और दूसरी चीजें मिलों में बनेंगी जिनमें कुछ ज्यादा टेक्निकल नालेज की भी जरूरत है। इस तरह से हम उस दस्तकारी को कम्पीटीशन से निकाल कर पनपने का मौका दे सकते हैं।

रा मैटीरियल की सप्लाई का भी दस्तकारी के ऊपर असर पड़ता है। मैं अपने जिले की बात बताऊं। मेरे यहां स्टार पेपर मिल है। उसके लग जाने से १० करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज बचता है। वह रेपिंग पेपर तैयार करेगा। मगर पिछले तीन सालों से वह सरकार के पीछे बस्ता लिये फिर रहे हैं कि उन्हें ट्विस्टेड पाइन का कांट्रेक्ट दे दिया जाय। पहले दो आना क्यूबिक फुट दिया जाता था, अब वह ६ आना क्यूबिक फुट तक देने को तैयार हैं। लेकिन कांट्रेक्ट नहीं मिला, जबकि वेस्टर्न घाट पेपर मिल को बम्बई की सरकार ने बैम्बू बड़े सस्ते रेट पर दे दिया।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां म्युनिसिपल बोर्ड की चुंगी चार गुना, छः गुना और ८ गुना कर दी गई है। उस का नतीजा यह है कि अभी-अभी पेपर मिल वाले उसकी माफी सरकार से कराकर ले गये हैं। लेकिन इसकी वजह से जितनी मिलें वहां हैं उन सबके उजड़ जाने का डर है अगर यह चुंगी बन्द नहीं होती। हालांकि डाइरेक्टली सरकार से इसका ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इंडस्ट्रिअल एस्टेट्स की बात कही गई। मेरे करीब देवबन्द में एक इंडस्ट्रिअल एस्टेट लगी है। ३० यूनिट उसकी बनी हैं जिसमें से अभी ११ आकूपाई की गई हैं। ९ की और उम्मीद है। लेकिन उन ११ की भी क्या हालत है कोई जाकर देख सकता है। बिलकुल फिज्वी की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रिअल एस्टेट्स के अन्दर बिल्डिंग बनाकर देने की पालिसी गलत है। लैंड डेवलप करके दे देना चाहिये। और मैं तो समझता हूं कि पंजाबी तरीका ज्यादा अच्छा है। दो तीन बल्लियां लगा दीं, छप्पर डालकर काम चलता किया। जब पैसा हो जायगा तो बिल्डिंग भी बन जायगी।

पहलो मकान की शर्त रखने के माने यह हैं कि उसमें पैसा निकल गया और उसको काम करने के लिये पैसा चाहिये। उसके पास उसकी गुन्जाइश नहीं रही।

दूसरी बात यह कि इंडस्ट्री को अगर ढंग से मैनीपुलेट किया जाय तो ५ हजार से २५ हजार रुपये का काम होता क्योंकि शिड्यूल बैंक रा मैटीरिअल और फिनिश गुड्स के ऊपर ३० से ७० परसेंट तक लोन देता, परन्तु उसके अन्दर आमतौर पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को

[श्री जयगोपाल]

मदद को जरूरत होती है जो कभी नहीं मिलती है और इसके न मिलने से बड़ी दिक्कत है। मैंने अपने एक साथी को अपने जिले की कमेटी से, जिसका मैं मेम्बर हूं, लोन दिलवाया था। वह लोन होजरी के लिये था और दो हजार रुपया का था। उसमें सब से बड़ी दिक्कत यह आई कि तहसीलदार साहब ने यह कहा कि भूमिधर को जमानत के लिये लाओ। वह बेचारा शहर का रहने वाला भूमिधर कहां से लाये ? मकान लेने के लिये कहा गया तो उस तहसीलदार ने कहा कि मकान की वैलूएशन उनको निकालना नहीं आता है। फिर पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर से कहा गया तो उन्होंने बहुत चक्कर कटवाये। उसके बाद उन्होंने कहा कि वैलूएशन काफी है। इसके बाद पता चला कि वह रुपया ही नहीं रह गया है और जब नई ग्रांट आयेगी तो रुपया मिलेगा। २ हजार का लोन होजरी के लिये लेना था तो उसमें वह जाड़ा निकल गया और अब जून में कहीं मिलेगा, तो ६ महीने तक वह रुपया बेकार पड़ा रहेगा और फिर सरदी में जाकर वह यूटिलाइज हो सकेगा।

कोआपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट बनाने की बात कही जाती है। सरकारी अफसरों का तरीका बिलकुल उनके साथ स्टेप मदरली होता है। वह अपनी एस्टेट को इंडस्ट्रीयल एस्टेट को चलाने के लिये ज्यादा ध्यान देते हैं। उनके अन्दर खर्चा ज्यादा होता है और कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने में कम खर्चा होता है। वे उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अपनी एस्टेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। यह पालिसी गलत है। जहां तक हमारी प्राइवेट सेक्टर की अन्डरटेंकिंग का प्रश्न है वह कामयाब नहीं चलती है। उसके अन्दर एक्जिक्यूटिव अफसरों को रखा जाता है जिनको इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं होता है और न वह लेबर साइकोलोजी को समझते ह। बिजनेस में किस तरह का व्यवहार होता है यह भी उनको पता नहीं होता है। उसका नतीजा यह होता है कि खर्चा ज्यादा होता है। और हर शख्स के ऊपर वह हुकूमत करने की मनोवृत्ति से काम लेना चाहते हैं। तो उसके अन्दर जितना अनुभव उनको होना चाहिये उतना नहीं होता है। मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि हमें ऐसे परसोनेल ट्रेन करने चाहिये जो बिजनेस में, इंडस्ट्री में लेबर साइकोलाजी में कि लेबर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इसमें दक्ष हो ताकि हमारी इंडस्ट्री इकानामिक बेसिस पर ढंग से चल सके।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सब से बड़ा सूबा है और उद्योग धन्धे के खयाल से, इंडस्ट्री के खयाल से यह सब से पिछड़ा हुआ सूबा कहा जा सकता है। मैं तो समझता था कि अगर उत्तर प्रदेश में, जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा सूबा है, आजादी के बाद हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े कारखाने खुले उनमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा रहता और एक सब से बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में खुलता। हमारे उद्योग मन्त्री ने बतलाया कि तीन तरह के कारखाने ह। हवी, मीडियम और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जहां तक बड़े उद्योग धन्धों का सवाल है, जो कि टेक्नीकल लोग हैं, इंडस्ट्री के जानने वाले इंजीनियर हैं उनकी दृष्टि से विचार किया जाय तो हैवी इंडस्ट्री का कारखाना, बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं लगा है क्योंकि हैवी इंडस्ट्री की परिभाषा में हम हैवी इंडस्ट्री उसको ही कह सकते हैं जिस पर १०० करोड़ रुपये अधिक खर्च होता है और और देश के आजाद होने के बाद जो ३,४ बड़े कारखाने खुले वह दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला में तथा दक्षिण भारत में जहाज बनाने के कारखाने विजागापट्टम में खुले हैं लेकिन उस तरह का कोई कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं हुआ। सवाल उठ सकता है कच्चे माल का या लोहे का या अन्य सवाल पैदा किये जा सकते हैं लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का कच्चा लोहा जापान में जाता है और वहां से फौलाद बनकर हिन्दुस्तान के बाजारों में आता है और वह हिन्दुस्तान के फौलाद से सस्ता पड़ता है। आज इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुये राजस्थान की सरकार बिहार से कोयला और लोहा मंगा कर बहुत बड़े उद्योग अपने यहां खोलने की स्कीम तैयार कर रही है। तो यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यहां लोहा और

कोयला नहीं पैदा होता इसलिये बड़े कारखाने यहां नहीं स्थापित किये जा सकते। मैं इस सिलसिले में चीन का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दस सालों में उसका फौलाद का उत्पादन १० लाख टन से बढ़ कर १ करोड़ टन हो गया है जब कि यहां हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमान म फोलाद का उत्पादन १२ लाख टन था और आज दुर्गापुर और भिलाई के कारखानों के पूरी तरह स काम करने के बाद भी कुल उत्पादन ६० लाख टन हो पाया है। आप सोचें कि वहां, चीन में एक भी दुर्गापुर या भिलाई जैसा कारखाना न होने के बाद भी कैसे फौलाद की पदावार १ करोड़ टन हो गई है। हमारे विद्युत मन्त्री कहा करते हैं कि हमारे यहां बिजली को अधिकता है और इससे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में अगर हम छोटे कल कारखाने खोल कर विद्युत और लुहारों से फौलाद बनाने का काम शुरू करें तो उससे बहुत से लोगों को काम मिल सकता है और किसानों को कृषि के औजार मिल सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि सन् १९५५ में कलकत्ते की नुमायश म श्री टी० टी० कृष्णमचारी जी के सामने बिहार के एक इंजीनियर ने एक ओटोमोबाइल इंजिन का प्रदर्शन किया था। उसने दिखाया था कि किस प्रकार उस छोटे से इंजिन से एक ट्रैक्टर चल सकता है, उससे किसान अपनी सिंचाई भी कर सकता है और उसके जरिये से लोग अपने ईख पेरने का काम भी निकाल सकत ह। उसकी लागत लगभग १,५०० रुपये आती थी। तो इस प्रकार से कैसे लोगों का टेक्निकल नो हाऊ बढ़े इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने औद्योगीरण का कोई नक्शा नहीं है। यह सब काम केन्द्रीय सरकार क तरफ से चलता है और वह जहां चाहती है अपने कारखाने स्थापित करती है। उन के लिये एक सिद्धान्त है। वह यह कि जहां-जहां कांग्रेस की अधिक हार होती हो वहां वहां बड़े कारखाने खोले जायं। बंगाल में, बिहार में और दक्षिणी हिन्दुस्तान के उन क्षत्रों में जहां यह कारखाने खोले गये हैं क्योंकि कांग्रेस को करारी हार खानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश आज भी उद्योग के मामले में इसीलिये पिछड़ा हुआ है और यहां बेकारी समस्या बढ़ती जा रही है। एक मोटी सी किताब छाप कर आप बाहरी लोगों पर यह असर डालना चाहते हैं कि आप उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेकारी दिनों दिन हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है।

पावर लूम का जिक्र करते हुये उद्योग मन्त्री जी ने कहा कि इसकी व्यवस्था इसलिये नहीं की जा सकती है इससे बेकारी फैलेगी। अगर आप जापान का उदाहरण लें या दूसरे देशों का उदाहरण लें जहां बिजली की सहायता से छोट-छोटे कल-कारखाने चलाये जाते हैं तो आपकी धारणा उसके विपरीत बन जायगी। एक बुनकर एक करघा चलाता है। अगर पावर लूम कर दिये जायं तो वह बेरोजगार नहीं होगा और उस एक करघे के साथ अन्य ५, ७ करघे भी वह चला सकता है। लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि हम यह निश्चत कर दें कि मिलों में कौन चीजें तैयार होंगी और इन पावर लूम्स पर कौन चीजें तयार होंगी। लकिन आज ऐसा लगता है कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और यह छोटे उद्योग धंधों को तरजीह नहीं देना चाहती, उनको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती। इस समय सब से प्राथमिक आवश्यकता है कि लोगों के प्रैक्टिकल नो हाऊ को बढ़ाया जाय। इसके लिये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में आर्ट्स की पढ़ाई को बन्द कर के टेक्निकल पढ़ाई शुरू की जाय। सरकार के जो रिसोर्सेज आर्ट्स के पढ़ाई में लगे हुये हैं उनको बन्द कर के स्कूल के बाद बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई उनके द्वारा दिलाई जाय।

एक बात मैं खादी बोर्ड के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। खादी बोर्ड का मसला एक गम्भीर मसला है और उसके नाम पर उत्तर प्रदेश में काफी पैसा खर्च किया जाता है। अगर खादी बोर्ड को करप्शन बोर्ड कहा जाय तो गलत न होगा। जो लोग इसमें सूत कातते ह, जो बेवा औरतें सूत कातती हैं, उनको ८ आना रोज मजदूरी मिलती है मगर जो खादी की दूकानों पर काम करते हैं वे उससे कहीं अधिक पाते हैं। हमने बम्बई में देखा, लखनऊ में हजरतगंज में देखा है, कलकत्ता और पूना की दुकानों में देखा है, वहां पर माल को बेचने का जो ढंग है वह करोड़पतियों की चीजें बेचने जैसा है। तो उस माल को पैदा करने में और

[श्री काशीनाथ]

उसके बेचने में काफी विरोधाभास है। जो छट तीन आने रुपये की दी जाती है वह सारा पैसा विभाग में काम करने वाले लोगों को भ्रष्टाचार में चला जाता है। सामान को बेचने वाले लोगों की आमदनी एक तरफ १० रुपये रोज हो, दूसरी तरफ उस सामान को पदा करने वाले ८ आने रोज पर काम करें, यह कहां तक उचित है? खादी बोर्ड में बिचवई का यह शोषण समाप्त होना चाहिये। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। जो और उद्योग जैसे गुड़ वर्द्धा, तेल घानी इसके अन्तर्गत चल रहे हैं वे केवल कागज पर चल रहे हैं और उसमें भी पैसे को लूट है। जिलों में जो इंडस्ट्रीज दफ्तर खुले हुये हैं वे करीब करीब ९९ फीसदी रिश्वत के आधार पर चलते हैं। बलिया जिले के बारे में मैंने पहले जिक्र किया था जहां के बारे में कांग्रेसी एम० एल० एज० और एम० पीज० ने भी शिकायत की थी कि वहां के अधिकारी खुले आम रिश्वत ले रहे हैं। उस बारे में एक प्रश्न के रूप में भी यहां मैंने पूछा था और उसके जवाब में माननीय मन्त्री जी ने बताया भी था कि उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि यह अधिकारी आज तक बलिया जिल म कायम है। मरी यह समझ म नहीं आता कि यहां का सचिवालय मन्त्रियों के अधीन कार्य करता है या मंत्री सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं। मेरा निवेदन है कि इन छोटे-छोटे उद्योगों में जो चोर बाजारी चल रही है उस ओर आप का ध्यान देना चाहिये। इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सदन की एक कमेटी बनायें जो सारे जिले के छोटे-छोटे उद्योगों की जांच करे.....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, किसी भी देश अथवा प्रदेश की समृद्धि के लिये उद्योग धन्धों का होना अति आवश्यक है। छोटे-छोटे उद्योगों-धन्धों से लोगों को रोजगार मिलता है, धन मिलता है और देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है तथा दूसरे देशों को सहायता भी कर सकता है। श्रीमन्, तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में १९ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और योजनाकाल में २१ लाख बेरोजगारों की वृद्धि हो जायगी। अब प्रश्न यह है कि इन ४० लाख लोगों को रोजगार कैसे मिले? इस विकट प्रश्न पर प्रत्येक प्रान्त के निवासी को सोचना है। योजना के अनुसार ४० लाख व्यक्तियों को काम मिलना आवश्यक है, जबकि उद्योगीकरण के द्वारा और केन्द्रीय सरकार के उद्योग और उद्योगपतियों के द्वारा ३१ लाख को काम दिया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार ने ४ बड़े कारखाने दिये हैं, उसमें एक अरब की पूंजी लगेगी और निजी पूंजी डेढ़ अरब की लगेगी और आशा है कि १० लाख आदमियों को काम मिल सकेगा। फिर भी सवाल है कि २१ लाख को काम कैसे मिले। पिछले वर्षों में केन्द्रीय सरकार इस प्रान्त की उपेक्षा करती रही है। भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति के ऊपर ८८ रुपया व्यय होता है, जबकि इस प्राप्त में ५८ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च होता है। हमारी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वह ५-६-अरब रुपया और खर्च करें तो हमें आशा है कि हमारे प्रान्त की बेकारी दूर हो और कुछ उद्योग-धंधे यहां चालू हो सकें।

मेरा विशेष सुझाव यह है कि प्रत्येक जिले को हैंडलूम और खादी के द्वारा स्वावलम्बी बनावें उससे लोगों की अधिक आर्थिक दशा सुधरेगी। यहां छोटे छोटे उद्योग खोले जांय और बड़े कारखाने खोले जांय तो सूत कातने के खोले जांय और बुनने के छोटे-छोटे धन्धे गांव में खोले जांय, जैसा कि पंजाब और मद्रास के अन्दर व्यवस्था है। वहां प्रत्येक किसान के घर में मशीन लगी हुई है। हमारे यहां भी ऐसी स्कीम चालू होगी तो यहां भी उसी अनुपात से आर्थिक दशा सुधरेगी। आप अपने कर्मचारियों को भी ठीक करें, उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश भक्त होना चाहिये, नौकरशाही नहीं होनी चाहिये। उनका यह ध्येय होना चाहिये कि जब तक छोटे-छोटे उद्योग न फैला दें तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। यहां दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दी जाती हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और मिल-ओनर्स की दरख्वस्तों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिकारियों को आदेश दिये जांय कि जिसका प्रार्थना-पत्र आये उसके घर जाकर मालूम करे कि किस उद्योग में किस सामग्री की आवश्यकता होगी। लोन का तरीका गलत और व्यर्थ है। मशीन वाले को मशीन और कच्चे माल वाले को कच्चा माल दिया जाय और सरकार का नियन्त्रण हो तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि बेकारी शीघ्र से शीघ्र दूर होगी और देश की माली हालत अच्छी होगी। सरकार ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वह बड़े उद्योगों तक ही सीमित है, छोटे उद्योगों में नहीं। कर्मचारी आप चाहे दूने रख दें, लेकिन बे ट्रेंड हों और यह समझें कि हमें अपने प्रान्त की आर्थिक दशा सुधारनी है। चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सब का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे देखें कि हमारे क्षेत्र में क्या उद्योग धन्धे फैलाये जा सकते हैं। लोन की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये क्योंकि लोग रुपया लेकर खा जाते हैं और आपस में एक कटुता भी उत्पन्न होती है और वह रुपया ठीक समय पर और पूरा मिल भी नहीं पाता। जैसा कि दूसरी प्रान्तीय सरकारों ने किया है वैसा इस प्रदेश की सरकार को भी करना चाहिये कि बजाय लोन देने के मशीनरी और कच्चा माल दिया करें और बने हुये माल की बिक्री का प्रबन्ध करें।

श्रीमन्, एक बात मुझे और कहनी है कि हरिजनों का जो १८ फीसदी का रिजर्वेशन है वह इस विभाग में पूरा नहीं हुआ है। जो चमड़े की इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं उन स्थानों पर भी हरिजन अधिकारी नहीं रखा जाता। मंत्री महोदय यह १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा करने की ओर विशेष ध्यान दें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग में जातिवाद बहुत चल रहा है, जो हरिजन रखे भी जाते हैं उनको बाद में निकाल दिया जाता है। मंत्री जी को चाहिये कि वे इस विभाग से इस जातिवाद को समाप्त करें और १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा करें और छोटे-छोटे उद्योगों को फैलावें ताकि देश की माली हालत सुधर सके।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने जितने विस्तार में तथ्यों को रखा है, जो प्रमाण दिये हैं, मैं समझता हूं कि उतने ही पर्याप्त थे। अन्य सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये हैं और सरकारी पक्ष की ओर से भी विचार व्यक्त किये गये हैं। कांग्रेसी पक्ष की ओर से ही जो बातें स्वीकार की गई हैं, मैं समझता हूं इस कटौती के प्रस्ताव को पास हो जाने के लिये वे ही काफी हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां की व्यवस्था ही कुछ दूसरी है। मैं कहता हूं कि इस सदन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको यदि किसी जज के समक्ष रख दिया जाय और उसको निर्णय देने के लिये कह दिया जाय तो वह कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में ही अपना निर्णय दे देगा। लेकिन यहां तो हाथ उठाने की बात होती है यद्यपि उधर से बोलने वाले सदस्यों का पूरा का पूरा भाषण कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में ही होता है। यह एक विचित्र बात है।

जहां तक आज की बहस का संबंध है, सरकार की तरफ से यहां पर जो आंकड़े और तथ्य रखे गये हैं, उनके द्वारा यह सिद्ध है कि यह प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इस प्रदेश का विकास होना चाहिये। मंत्री महोदय ने स्वयं ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है कि अनुदान और ऋण के रूप में जनता के बीच में जो पैसा दिया जाता है उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पाता। इस संबंध में उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों के सुझाव भी मांगे हैं। यह सत्य बात है कि उद्योग की दिशा में सरकार की जो नीति रही है उसमें खामियां हैं, प्रदेश का आर्थिक विकास जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। अभी उधर से एक बहन ने बोलते हुये कहा कि पिछड़ा कहने में शर्म लगती है। यह बात कांग्रेस पक्ष के लिये सही हो सकती है कि एक गलत बात को सही कहें, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने

[श्री रक्षपालसिंह]

कुछ आंकड़े दिये और कह दिया कि कुछ करोड़ गज कपड़ा बच गया इसलिये विकास हो गया, लेकिन अन्य प्रदेशों के मुकाबले में जो उन्नति होनी चाहिये थी उसका उन्होंने हिसाब नहीं लगाया । आज यह हर प्रकार से सत्य है कि इस प्रदेश की जो औद्योगिक नीति रही है वह ठीक नहीं रही है, उसमें सुधार और परिवर्तन होने की आवश्यकता है ।

जो रुपया सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाता है उसमें से अधिकांश बड़े उद्योगों को दे दिया जाता है जब कि छोटे उद्योगों को दिये जाने वाले धन की संख्या केवल सैकड़ों में ही होती है; बड़े उद्योगों को बड़ी-बड़ी रकमें दे दी जाती हैं । मेरा सुझाव इस बारे में यह है कि जो रुपया सरकार की ओर से दिया जाता है वह छोटे उद्योगों की सहकारी समितियां बनाकर उनको दिया जाय । इससे विकास की दशा में कदम बढ़ाया जा सकता है । बड़े-बड़े उद्योगों को बहुत कम रुपया दिया जाय और यदि सम्भव हो सके तो बिलकुल भी न दिया जाय ।

बड़े-बड़े और छोटे-छोटे उद्योगों का मुकाबला अगर हो तो वे (छोटे उद्योग) ठहर नहीं सकते हैं और न इस प्रकार से छोटे उद्योग पनप ही सकते हैं, जैसे कपड़े का उद्योग है । उसमें उत्पादन के ऊपर हमें चैक लगाना होगा, यानी मिलें कौन सा कपड़ा बनायें और कुटीर उद्योग वाले कौन सा कपड़ा बनायें । मिलों को अगर मारकीन बनाने का काम दिया जाता है तो कुटीर उद्योगों को चादर, तौलिया आदि बनाने का काम दिया जाय । तभी दोनों की अलग-अलग तरक्की हो सकती है ।

कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हमें एक काम और करना होगा कि जो लोग हाई स्कूल और इंटरमीडियेट पास हैं उनको टैकनीकल ऐजूकेशन तथा वहां होने वाले उद्योगों के बारे में ट्रेनिंग दी जाय । फिर कोई भी, किसी काम के करने में न हिचकेगा और कुशलता-पूर्वक काम करेगा ।

हमारे जिले फतेहपुर में चावल बहुत होता है । मने सुना है कि चावल निकाल कर जो भूसी बचती है उसको कागज की लुगदी बनाने के काम में लाया जा सकता है जिसके लिये जिलों के कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विषय में विशेष ध्यान दें और संभव हो सके तो वहां एक कागज की मिल खोलने की योजना बनायें ।

हमारे जिले में इतना बड़ा बाजार लगता है कि जितना बड़ा कोई मेला भी न लगता होगा । वहां पर हजारों की तादाद में जानवर आते हैं तथा बहुत सा चमड़ा भी आता है । सबका सब चमड़ा कानपुर आदि के लोग सस्ते दामों पर ले जाते हैं, जब कि उसी टैन किये हुये चमड़े को वहां (फतेहपुर) के लोग मंहगे दामों पर खरीदते हैं ।

फतेहपुर में सनई भी बहुत होती है । लखनऊ, कलकत्ता आदि के बड़े-बड़े व्यापारी उसको बहुत सस्ते दामों पर ले जाते हैं । इसके लिये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से वहां के लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है ।

इसी प्रकार से हमारे यहां गन्ना भी बहुत होता है और उसके पेरने के लिये वहां पर गन्ने की फैक्ट्री भी खोली जा सकती है । इसी प्रकार हमारे यहां खागा में छोटे-छोटे उद्योगों के लिये बिजली की बड़ी भारी आवश्यकता है माननीय मंत्री जी बिजली देने की कृपा करें ।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब से मैं यहां पर बैठा हूं तब से देखता हूं कि हमारे सामने के भाई हमेशा एक ही नारा लगाते हैं कि मिर्जापुर जिले में बड़े-बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं जिससे उसको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है । श्रीमन्, उन उद्योग धंधों से हमारा कितना लाभ हुआ है वह मैं बतला देना चाहता हूं । हमारे समाजवादी भाई हमेशा

नारे लगा लगाकर कहते हैं कि मिर्जापुर जिले में बड़े-बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं जिससे उस जिले को बहुत लाभ हो रहा है । श्रीमन्, हमारी बातों को सुन कर जरा वे सोचें कि रिहन्द डैम बनने से वहां की बिजली से हमें कितना लाभ पहुंच रहा है ? रिहन्द डैम बनने से हमारे १०८ गांव उजड़ गये और उस डैम के अन्दर आ गये । इसी तरह से ४५ हजार गांवों के रहने वाले अपनी झोपड़ियों से निकल कर आज पेड़ों के नीचे रह रहे हैं । क्या यही हमारे उद्योग हैं जिनसे हमें लाभ हो रहा है ? हमारे यहां बड़े-छोटे बंधे बने हैं जिससे वहां वालों को कोई लाभ नहीं है । हमारे यहां जो चुर्क सीमेंट फैक्टरी बनी है वह तो सारे प्रान्त की है । वहां की सीमेंट वहां की झोपड़ियों में तो लगेगी नहीं, वह तो पक्के मकानों में ही जो शहरों में हैं लग सकती है । आज तो उस फैक्टरी की हालत यह है कि उसमें जो बड़े-बड़े आफिसर साहब लोग हैं वे भी बाहर के ही हैं और अपने साथ छोटे-मोटे नौकर, चौकीदार को भी बाहर से ही लाकर रखे हुये हैं । इनकी इनक्वायरी करा ली जाय कि कितने कर्मचारी किस-किस जिले के हैं । अक्सर ऐसा होता है कि साहब लोग अपने साथियों के लड़कों को या अपनी जान पहचान वालों को इस फैक्टरी में छोटे-मोटे पदों पर भी रखवा देते हैं जिससे वहां वालों को अपने घर-बार उजाड़ देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती । मिर्जापुर जिला करीब १५० मील लम्बा चौड़ा है जिसके दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में बुन्देलखण्ड और पूर्व में बिहार के पालामऊ जिले का पहाड़ी क्षेत्र है । मिर्जापुर का करीब १००-१२५ मील पहाड़ी क्षेत्र है और बाकी २५ मील मैदानी क्षेत्र पड़ता है । वहां सीमेंट के सामान मौजूद है जिससे सीमेंट की फैक्टरी वहां लगायी गयी है और जिसे हम प्रान्त को, प्रान्त के बाहर भी सप्लाई करते हैं । एक तो हमारे यहां के लोगों को अपने घरों से निकाला गया जिससे वे पेड़ों के नीचे रह रहे हैं फिर और भी हमारे ऊपर एहसान दिखलाया जाता है कि वहां पर हमने बड़े-बड़े उद्योग खोल दिये हैं । वहां खेतिहर मजदूर और किसान दो ही किस्म के लोग रहते हैं । जब उनको अपने घरों से निकाल दिया गया तो कम से कम इस बात की व्यवस्था तो होनी चाहिये कि उनके स्थानीय पहाड़ी लड़कों को उन उद्योगों में नौकरी तो दी ही जाय जिससे वे अपनी जिन्दगी गुजर कर सकें ।

नहरों से जो पानी मिलता है वह भी समय से नहीं दिया जाता । उसे भी वाराणसी और इलाहाबाद को दिया जाता है । हमारे प्राइमरी स्कूल खुले हैं । सवासौ मील के अन्दर एक भी कालेज नहीं हैं, डिग्री कालेज की तो बात ही क्या, वहां के लड़के पढ़ने के लिये इलाहाबाद और बनारस जाते हैं वहां पर कोई भी डिग्री कालेज या इंटर कालेज नहीं है । ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि कम से कम वहां पर स्कूल तो अवश्य खोले जायं । देहात में एक कहावत है कि कम पढ़ा तो हर से गया और ढेर पढ़ा सो घर से गया । घर से तो उसके जाने का प्रश्न ही नहीं है जो अधिक पढ़ जायगा, लकिन आप वहां कालेज न खोलें तो कम से कम स्कूल तो खोल ही दें, वहां पर आप कृपा कर के टेक्निकल और कृषि के स्कूल खोल दें, वहां पर सवा सौ मील के क्षेत्र में केवल ४ जूनियर हाई स्कूल हैं । इसको सत्य माना जाय कि सारे प्रदेश में जो हरिजन और परिगणितों की दशा है वही हमारे यहां के सारे इलाके की दशा है और हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से समाजवाद का हनन हो रहा है । जो समाजवाद, समाजवाद यहां रोज चिल्लाते हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह सरकार से कहकर यहां के लिये एक कमेटी बनवायें कि जो इस इलाके के लोगों की दशा का मनन करे । इस इलाके के सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि वहां के लोग यहां तक नहीं जानते कि पानी पीने के कुयें होते कैसे हैं । वहां पर जंगली बांस के जो खाली पोरे होते हैं उनको काटकर उनसे गन्दे पहाड़ी नालों का पानी भरकर लोग पीते हैं । एक बार वहां सन् ५२ में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे तो उन्होंने कहा था कि वहां ३ कुयें बनायें जायेंगे और ५-५ हजार का उनका ठेका भी हुआ था, लेकिन बाद में केवल एक कुआं ही बन कर रह गया और उसमें से २ कुयें फेल हो गये । वहां के लोग जैसे कि मैंने कहा आज भी गन्दा पानी पी कर जीते हैं । अगर आप उस इलाके में जायं तो आपको पता लगेगा कि वहां कैसी उन्नति हुई है । इस इलाके में पचासों मील तक सड़कें भी नहीं हैं । हमारा पहाड़ी इलाका है और जंगल

[श्री रामनाथ पाठक]

का किनारा है, वहां पर तमाम जंगली जानवर खेती को बरबाद करते हैं । पहले खेती को बचाने के लिये लोग उन जंगली जानवरों को भगाने के लिये मारते थे, लेकिन अब जंगल विभाग ने उनके मारने पर भी रोक लगा दी है, अब हम अपने खेत भी नहीं बचा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

श्री रामनाथ पाठक--केवल २ मिनट और दे दें । आप हमारी दशा देखें और उद्योग के नाम पर यह न कहें कि वहां बड़ी तरक्की हो रही है । उद्योग यह हो रहा है कि जो था वह भी छिना जा रहा है । और नये उद्योगों को वहां सूबे भर के लिये खड़ा किया जा रहा है और हम दधीचि की तरह अपनी हड्डियां देकर सूबे का भला कर रहे हैं । हम पर मिर्जापुर में बड़ा उद्योग बढ़ रहा है, यह कहकर कोई अहसान नहीं किया जा रहा है । यह उनकी गलत भावना है जो ऐसा कहते हैं उनको मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हम सब लोग प्यासे हैं, बड़े प्यासे हैं, पानी के बम्बों में पानी खत्म हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

***श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे मंत्री जी ने उद्योग के संबंध में कहा कि हमारा सूबा ही नहीं बल्कि हमारा देश ही पिछड़ा हुआ है । हमारे देश की राष्ट्रीय आय की ४२ प्रतिशत आय उद्योग से है । कोई भी देश, चाहे अमरीका हो या जापान हो इतना उद्योग में पिछड़ा हुआ नहीं है जैसा कि हिन्दुस्तान है । इस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि पिछड़ा पन जो उद्योग में है वह आसानी से दूर नहीं हो सकता । हमारी २ योजनायें समाप्त हुईं और अब यह तीसरी योजना का आरम्भ है और हमारी प्लान इस प्रकार की होनी चाहिये कि हमारी आय उद्योग से बढ़े । इसके लिये आपका कोई फिक्स कोटा हो, कोई स्टेटिस्टिकल डेटा होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश जो भारत के सब सूबों में पिछड़ा हुआ है इसके छोटे उद्योगों की आमदनी ज्यादा बढ़े, एक ऐसा भी स्टेटमेंट आपकी तरफ से आये ।

यू० पी० अभी तक पिछड़ा रहा इसके बहुत से कारण हैं । माननीय जगदीश शरण जी ने काटेज इंडस्ट्रीज की बात कही । पिछले १५ साल से कहा जा रहा था कि हमारे पास पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है इसलिये औद्योगीकरण यहां का नहीं हो सकता । आज जब हमारे पास पावर है तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है । जब यू० पी० के लोग सेन्टर से रुपया लेने जाते थे तो वहां पूछा जाता था कितना कोटा आपकी इंडस्ट्रीज के लिये चाहिये, आप बताते थे कि इतना चाहिये । लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जायगा इसका कोई नक्शा भी पेश नहीं किया गया । लेकिन आज जब आपके पास बिजली है तो आगे १० साल में जो इंडस्ट्रीज पनपेंगी उनकी भी तो कोई योजना होनी चाहिये ।

अभी मंत्री जी ने कहा हमको फारेन मशीनरीज की जरूरत है, फारेन ऐक्सचेंज के बारे में कहा, लेकिन उसकी कोई कम्पलीट पिक्चर सरकार के पास नहीं है जिससे अंदाज लगाया जा सके कि कितने फारेन ऐक्सचेंज की जरूरत है तथा किन किन मशीनों की और कहां के लिये जरूरत है । मेरा ऐसा खयाल है कि कानपुर में इंडस्ट्रियल एस्टेट खोल रहे हैं, २७० प्लांट्स भी बन गये और इंडस्ट्रीज के लिये रुपया भी देने जा रहे हैं, लेकिन किनको पैसा देंगे ? जिनके पास आलरेडी पैसा है, जो फारेन कंट्रीज से मशीनें मंगा सकते हैं, उन्हीं को आप पैसा देंगे । कानपुर में एक सज्जन हैं, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने एक रेशम मिल खोली है, ८५,००,००० रुपये आपने उनको दिया है, ५५,००,००० रुपये आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे सज्जन को दे रहे हैं, और यह सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज नहीं दिये, सेल्स टैक्स नहीं देते उन्ही को सरकार पैसा देने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, जिनके प्लाटस भी हैं, उनको सरकार पैसा नहीं देगी । इसलिये मैं चाहूंगा जिनके पास एस्टेट नहीं है उनको भी कुछ पैसा सरकार दे । कानपुर में इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिये जितना पैसा जा रहा है वह ज्यादातर उन्हीं को जा रहा है जो लखपती और करोड़पती हैं । इसलिये सरकार की नीति हो कि जो सरकार के ड्यूज न दें उनको सरकार को लोन्स और ग्रान्ट्स देना बन्द कर देना चाहिये । इंडस्ट्रीज का उद्देश्य है "फौर हूम ऐंड फौर व्हाट (For whom and for what) । इस देश की ४४ करोड़ जनता की जो जरूरियात की चीजें हैं वही यहां बनें । लेकिन ऐसा न हो कर आज नायलान बन रहा है जिससे एक सेठ को कानपुर २५,००० रुपये रोज की आमदनी हो रही है, जिनका उद्देश्य ही मुनाफा कमाना है । आज डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज यहां बैठे हुये हैं उनका भी उद्देश्य यह है कि किसी तरह से सरकार का पैसा बांटा जाय । लेकिन जिन्हें जरूरत है उनको देने की नीयत नहीं है ।

एक चीज मुझे यह कहनी है कि यह कहा जाता है कि जिंक नहीं है, लेड नहीं है, कापर भी नहीं है यू० पी० में । क्या आपने इन चीजों के लिये सर्वे कराया है ? जो ठेका है वह प्राइवेट कम्पनियों को दिया जाता है । अगर सरकार की तरफ से सर्वे कराया जाय तो यह मालूम हो सकता है कि जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कौन कौन से रा मेटीरियल हैं जिनकी आज की इंडस्ट्रीज के लिये जरूरत है । हिल एरियाज में काफी सामान है इसलिये गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे कराइये ।

आपने एक सीमेंट फैक्टरी खोली चुर्क में और दूसरी सीमेंट फैक्टरी देहरादून में खोलने का वायदा किया गया था । मुझे उम्मीद है कि देहरादून की फैक्टरी हमारे सूबे के लिये बहुत फायदेमन्द साबित होगी और आप लोगों की जो सीमेंट की शिकायत है वह दूर हो जायगी । इसके साथ ही साथ बेसिक इंडस्ट्रीज भी खोलिये ।

(इस समय ४ बजकर २१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

यह शिकायत आई कि यू० पी० में लोहा नहीं है । लेकिन हिन्दुस्तान में हर जगह लोहा नहीं है और न यह जरूरी ही है । इसलिये कानपुर, गोरखपुर और आगरा कहीं भी बेसिक इंडस्ट्रीज खोली जायं । साथ ही रूरल इंडस्ट्रीज भी खोली जायं । जापान में साइकिल इंडस्ट्री भी काटेज इंडस्ट्री में है । स्विटजरलैंड में वाचेज काटेज इंडस्ट्रीज में हैं । यूरोप भर में, खास कर जापान और चीन में काटेज इंडस्ट्रीज से ही ज्यादा आमदनी होती है । लेकिन यहां आमदनी का खास जरिया कृषि है । इंडस्ट्री में आप अमेरिकन पेटर्न पर चल रहे हैं । बड़ी बड़ी मिलें खोलने की बात आप सोचते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान गरीब है । फिर हर साल यहां १ करोड़ आदमी पैदा हो जाता है । १ करोड़ से ज्यादा अनएम्पलायमेंट थर्ड फाइव ईयर प्लान में हो जायगा । यहां हर ५ आदमी पर १ आदमी बेकार है और तीन घंटे से ज्यादा काम यहां नहीं है । इसलिये लोगों को काम देने के लिये, देश की दौलत को बढ़ाने के लिये काटेज इंडस्ट्रीज की जरूरत है । इसके लिये कोई जांच कमेटी बनाइये । आपने अभी तक कोई जांच कमेटी नहीं बनाई । प्राविन्शियल जांच कमेटी हो, डिस्ट्रिक्ट की हो और गांव के लेविल तक हो और वह यह देखे कि जमीन और इंडस्ट्री का क्या संबंध हो सकता है, कहां पर काटन है, जूट है और उससे संबंधित कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती है । तब जा कर इस पिछड़े प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है ।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)---अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से यह मुल्क जराअती मुल्क रहा है और आज भी जराअती मुल्क है । यह कहना गलत न होगा कि

[बेगम किश्वर आरा]

हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हजारों गांवों में हमारे देश की आत्मा बसती है जब खेत लहलहाता है, जमीन सोना उगलती है, हमारे देश के किसानों की जिन्दगी में बहार आती है तो हमारे देश की आत्मा मुस्कराती है । लेकिन कहत पड़ जाता है तो किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और हमारे देश की आत्मा मुरझा जाती है ।

लेकिन आज सब मुल्कों की तामीर नये तरीके से हो रही है । उसे देखते हुये हिन्दुस्तान भी जराअत पर ही इकतफा नहीं कर सकता । सनअती तरक्की कर के जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक हम खुशहाल नहीं हो सकते । जरूरत है कि आज यह देश सनअती तरक्की करके आगे बढ़े और सनअती तरक्की पर गामजन हुए बगैर हमारे ख्वाब शर्मिन्दे तामीर नहीं हो सकते, जिन्हें हमने एक नये और उभरते हुए हिन्दुस्तान के बारे में देखा है और देख रहे हैं । मैं यह कहने में जरा भी तसाहुल नहीं करूंगी कि हमारी हुकूमत ने पिछले चन्द सालों में सनअती मैदान में काफी तरक्की की है और अपनी पांच साला स्कीमों के जरिये सनअती मैदान में काफी इजाफा किया है । हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस तरक्की की दौड़ में बहुत नुमायां हिस्सा लिया, लेकिन उसका रकबे और आबादी के लिहाज से अभी वह उतना नहीं बढ़ पायी है जितना कि उसको बढ़ना चाहिए । हम अपने मुल्क में समाजवाद की बुनियाद पर एक वेलफयेर स्टेट कायम करना चाहते हैं और उसके लिये जरूरी है कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज की बागडोर हुकूमत के हाथ में हो और छोटी इंडस्ट्रीज एक मरकज में जमा न होकर हर गांव और हर कस्बे में फैलायी जाय और हर गांव को उसके कस्बे की जिन्दगी से बराहरास्त ताल्लुक हो । लेकिन इस तरह का निजाम कायम करने में अभी काफी अरसा लगेगा । हम अपने मुल्क की मखसूस जरूरियात को देखते हुये प्राइवेट सेक्टर के भी मुखालिफ नहीं हैं और हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को बड़े-बड़े कारखाने खोलने में मदद दे रही है । लेकिन यह मैं जरूर कहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर को जहां स्टेट मदद देती है वहां उस पर वह पूरी नजर रखें और एक मुनासिब जद्दोजहद तक उस पर कंट्रोल करें । खासतौर पर मिल-मालिकान और मजदूरों का ऐसा महौल पैदा किया जाय जिससे मिल मालिक और मजदूर शाना-ब-शाना देश की तरक्की के मैदान में आगे बढ़ सकें । अगर मजदूरों और मिल-मालिकान का कोई झगड़ा हो तो मेरे खयाल से उन गरीब मजदूरों के हक में ही फैसला होना चाहिये चूंकि आजकल मजदूरों की दुनियां है ।

छोटे-छोटे घरेलू सनअतों के बारे में अलग-अलग जिलों में एक-एक कमेटी बनाकर जो कर्जा देने की स्कीम बनायी गयी है वह निहायत मुनासिब है । लेकिन जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है उन कमेटियों के जरिये इत्मीनानबख्श तरीके से काम नहीं हो रहा है । कुछ सियासी लोग उन कमेटियों को अपने मफायद का जरिया बनाये हुये हैं । मैं यह हुकूमत से उम्मीद करूंगी कि जब वह कर्ज देती है तो उसको उन पर अच्छी तरह से कंट्रोल रखना चाहिये । अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को पावर नहीं मिलती है । इसलिये जब हुकूमत कर्जा दे तो पावर का भी इंतजाम करना चाहिये ।

मैं यह समझती हूं कि चूंकि हाउस का वक्त निहायत कीमती है, लेकिन यह भी जहन में रखते हुए कि इसकी रवायत उससे भी ज्यादा शानदार है और इस हाउस के लीडर प्रदेश की जनता के सबसे बड़े लीडर और हर दिल अजीज इन्सान हैं, लेकिन मैं निहायत अदब से अपने जिले की तरफ हुकूमत की तवज्जह मबजूल कराना चाहती हूं । रामपुर जिले के हालात सूबे के दूसरे जिलों के हालात से जुदा हैं । यह एक छोटा-सा जिला है, लेकिन मखसूस मसाईल के एतबार से काफी अहम जिला है । सनअती एतबार से मेरे खयाल से स्टेट के मर्ज होने से पहले कानपुर के बाद दूसरा नम्बर रामपुर का था । लेकिन रियासत मर्ज होने के बाद वहां जो बेरोजगारी फैली है और वह काफी तकलीफदेह है ।

जब मैं अपने बूढ़े बुजुर्गों को रिक्शा चलाते और जंगल से लकड़ी काट के लाते हुए देखती हूं तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है । मैं तो समझती थी कि कतरा समुद्र में मिलने से समुद्र के मफाद उसको हासिल होंगे, लेकिन वह हुआ नहीं । नाफिजशुदा

इन्कमटैक्स ऐक्ट रियासत में न लागू होने की वजह से जो छूट सनअती इदारे में वहां मिलती थी वह मर्ज होने के बाद खत्म हो गयी और उसका असर यह हुआ कि बहुत सी इंडस्ट्रीज उस महौल में न ठहर कर बन्द हो गयीं, जैसे माचिस और चमड़े के कारखा वगैरह। रियासती ढांचे में एकदम से तब्दीली हो गयी। रियासती फौज खत्म हो गयी जिससे बेरोजगारी बढ़ गयी। बहुत से उर्दू पढ़े लिखे लोग बेकार हो गये और जो लोग रियासत की नौकरी में लगे हुये थे, वे बेकार हो गये। इसके साथ जो फैक्टरियां बन्द हो गयीं उसकी वजह से बेरोजगारी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, लेकिन कतरे ने अपने फवायद से हाथ धो लिये, मगर उसको समुद्र के फवायद हासिल न हो सके और १२ साल की चीख पुकार के बाद भी सरकार ने कोई अमली कदम इधर नहीं उठाया है जिससे रामपुर की गरीब रिआया यह महसूस कर सके कि उसको समुद्र के फवायद हासिल हो रहे हैं। मेरी शिकायत यह नहीं है कि हुकूमत रामपुर की रिआया के मफायद चश्मपोशी कर रही है। मैं यह भी नहीं कहूंगी कि रामपुर की रिआया के साथ इम्त्याजी सलूक किया जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगी कि रामपुर के अवाम को इस जेल में काफी शिकायत है और रामपुर की रिआया की बेरोजगारी की वजह से रामपुर के अवाम ऐसा महसूस करता है कि जितनी मुहब्बत, खुलूस और इनायत उनको मिलनी चाहिये थी उतनी नहीं मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर माननीय मुख्य मंत्री जी और दीगर साहबान ने जो रामपुर के मसाइल से दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने उम्मीदें दिलायी है कि बंद कारखाने खोल दिये जायेंगे और नये कारखाने कायम किये जायेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अमली कदम नहीं उठाया गया। मैं रामपुर के अवाम की तरफ से हुकूमत से पुरजोर अपील करती हूं और यह मेरी ही अपील नहीं है, बल्कि रामपुर की जनता की आवाज है। आखिर हाउस का वक्त कीमती है इसलिये मैं उसे ज्यादा नहीं खराब करना चाहती हूं। इतना ही अर्ज करना चाहती हूं कि कम से कम जो कारखाने बंद हो गये हैं उनको खोल दिया जाय और माचिस फैक्टरी का काम खादी कमीशन के जरिये चलाया जाय जिसमें एक शक्स की मजदूरी डेढ़ रुपये हो सकती है।

हैंडलूम इंडस्ट्री जो रामपुर में है उसको और इम्दाद चाहिये लैदर कोआपरेटिव सोसाइटी और दूसरे चमड़े के काम करने वालों की पूरी इम्दाद देना चाहिये। हैंडमेड पेपर की इंडस्ट्री रामपुर में कायम की जानी चाहिये। खादी की तरक्की की स्कीम को ज्यादा फैलाया जाय। स्वींग मशीन हायर परचेज सिस्टम पर दी जाय और लेडी इंस्ट्रक्टर्स का इन्तजाम किया जाय। वे औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और बाहर मरदों के साथ काम नहीं कर सकती हैं उनके लिये मैं पुरजोर मतालबा करूंगी कि ऐसे धंधे कायम किये जायं जिससे औरतें घर में बैठ कर काम कर सकें और अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। जिन औरतों को कोई सहारा नहीं है उनकी परवरिश इस तरह से हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूं कि जिन बातों के लिये मैंने कहा है हुकूमत उनको पूरा करेगी।

"मानो न मानो जाने जहां अखतियार है।
हम नेको बद हुजूर को समझाये जाते हैं।"

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हमारे साथी माननीय रामायण राय जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वास्तव में वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह मानी हुई बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की जो हद है पैदावार के दृष्टिकोण और रोजगार दोनों से वह उस हद पर पहुंच चुकी है कि इसमें और ज्यादा गुंजायश नहीं रह गई है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

और आदमियों को रोजगार इससे दिया जा सके। जब कृषि का बजट माननीय कृषि मंत्री जी पेश कर रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा था कि हमारे पास न ज्यादा जमीन है और न साधन हैं, इन्हीं पर हमें निर्भर करना है और उन्होंने ठीक ही कहा था कि अब जो हमारी आजादी हो उसे धीरे-धीरे इंडस्ट्री पर जाना है। इसलिये मैं खास तौर से अपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पहलू पर उनको बहुत संभल कर कदम रखना चाहिये। यह आखिरी कदम है। अगर हम लोग गफलत में रह गये तो बहुत बुरा नतीजा होगा।

हमारी जो इडस्ट्रीयल पालिसी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार और मंत्री महोदय का दिमाग भी इस तरफ साफ नहीं है। एक तरफ वह चाहते हैं कि इंडस्ट्री को ले चलें। लेकिन दूसरी तरफ समाजवाद, समाजवाद की चर्चा किया करते हैं। अस्पताल है तो उसमें समाजवाद, सड़क है तो उसमें समाजवाद। एक फैशन-सा हो गया है कि इंसान समझने लगा है कि अगर समाजवाद न करेंगे, प्रोग्रेसिव न बनेंगे तो इंसान ही नहीं रह जायेंगे। देखना यह है कि समाजवाद हम को कहां ले चल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना आयी, हमें एक आशा मिली, प्रेरणा मिली। लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना में अपना कुछ लक्ष्य पूरा किया। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य लक्ष्य थे वह बहुत अंश तक पूरे नहीं हुए और कम रह गये। वजह महज यह है कि जो इंडस्ट्री में लैंड, लेबर, और मनी की जरूरत है, इनके अलावा इंसेंटिव और परसोनैलिटी की भी जरूरत हुआ करती है। जिस तरह की हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी चल रही है इसमें बहुत बड़ी खामी होती चली जा रही है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप बिलकुल कैपिटलिज्म कायम कर दें। मगर आपको यह जरूर सोचना है कि जो नीति आप अपना रहे हैं इससे गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। यह आंकड़े सरकार की किताबों से मिले हैं। १९५०–५१ में ५० प्रतिशत आदमियों की औसत आमदनी २०० रुपये से कम थी और आज १०–१२ बर्ष के बाद नतीजा यह है कि ७० प्रतिशत आबादी की औसत आमदनी २०० रुपये से कम हो गयी है। वजह यही है कि आप की पालिसी का नतीजा यह हो रहा है। कैपिटल धीरे-धीरे कुछ लोगों के हाथ में सिमटता चला जा रहा है। उसके अन्दर धनिक वर्ग ज्यादा लाभ उठा रहा है। आप को साफ नीति निर्धारित करनी चाहिये। आज मैं समाजवाद का दावा करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि वजह क्या है कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, वेस्ट जर्मनी सारे देशों ने जो प्रगति की है, वहां की हालत क्या है ?

हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हम इन सब के कर्जदार होते चले जा रहे हैं। वहां समाजवाद का आधार नहीं है। वहां पर व्यक्तिवाद का सिद्धान्त है। इन्सान को बढ़ने का अवसर दिया जाय, लेकिन हमने समाजवाद को एक घूंटी समझ ली है जिसके पिलाते ही सब कल्याण हो जायगा। अगर समाजवाद का मतलब यह है कि सरकार को लाभ हो तो जरूर समाजवाद अच्छा है। आज धीरे-धीरे स्टेटिज्म कम हो रही है। कंट्रोल, परमिट, लाइसेंसिंग के द्वारा आज इन्सान का गला सरकार के हाथ में पहुंचता चला जा रहा है। लेकिन अगर समाजवाद का लक्ष्य जनता को लाभ पहुंचाना है तो यह लाभ हुआ है कि हमारी व्यक्तिगत आमदनी धीरे-धीरे गिरती जा रही है। अभी यू० एन० ओ० की रिपोर्ट निकली थी। मैंने अखबारों में पढ़ा। दस वर्ष के अन्दर जापान ऐसे देश ने जो बरबाद हो चुका था दस प्रतिशत तरक्की की, वेस्ट जर्मनी ने ७.५ प्रतिशत तरक्की की। साउथ अफ्रीका जैसे देश ने सात प्रतिशत तरक्की की। ईरान जिसको जाहिल कहा जायगा सात प्रतिशत तरक्की की, लेकिन हमारे भारतवर्ष ने, जो समाजवाद में फूला जा रहा है, केवल तीन प्रतिशत तरक्की की है।

श्रीमन् यह सब सोचने की बात है। मैं नहीं कहता कि टोटेलिटैरियनिज्म के रास्ते पर आप जायं। एक रास्ता है जो गांधी जी ने बतलाया था। उन्होंने ट्रस्टीशिप का रास्ता बताया था। आप पूंजीपतियों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करें कि वह धन लगावें। आप रोकें कि उनके हाथ में और धन न जाने पावें, लेकिन उनके अन्दर प्रेरणा पैदा कीजिये, उनको अवसर दीजिये कि वह धन लगा सकें। इसके बाद जो समाजवाद का नक्शा है और जिसको कि वह कहते हैं कि बड़ा प्रोग्रेसिव

है उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मैं आपकी आज्ञा से देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वह भाई गफलत में हैं, हम लोग वैसे रूढ़िवादी हैं जो और दुनिया छोड़ती जा रही हैं उसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं; जो बृटिश पार्लियामेंट है उसके अन्दर एक ग्रूप को फिगर्स इस प्रकार हैं---२० से लेकर २९ वर्ष तक कंजरवेटिव और ९ लेबर पार्टी का एक जो कि समाजवादी पार्टी समझी जाती है। ३० से ४० वर्ष तक ६२ कंजरवेटिव और १८ लेबर पार्टी के; ४० से ५० तक १४० हैं कंजरवेटिव और ५५ श्रीमन् हैं लेबर पार्टी के; ५० से ६० तक ११८ कंजरवेटिव और १०६ लेबर पार्टी के । ६० वर्ष से ऊपर ३५ कजरवेटिव और ५७ लेबर पार्टी के; और ७० वर्ष के ऊपर कंजरवेटिव और २० लेबर पार्टी के । इससे अन्दाजा यह लगता है कि जो पद्धति है इसको दुनिया छोड़ती जा रही है जिसको कि समाजवाद आप समझ रहे हैं । पुराने आदमी जो रूढ़िवादी हो गये हैं जो यह समझते हैं कि हम कैसे समाजवाद को वापस ले लें वह भले उसमें फंसे रहें जैसे कि हमारे गांव मंडल के उस ग्रूप के लोग हैं, उनको जरूर अपने को समाजवादी कहने में सन्तोष हो सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो नवजवान लोग बैठे हुये हैं वह इस बात को सोचेंगे कि महज यह कहने से कि हम समाजवादी हैं देश तरक्की करने वाला नहीं है ।

इसके बाद मैं थोड़ा बहुत और कहना चाहता हूं । जहां तक इंडस्ट्रियल पालिसी का सवाल है वह बिलकुल क्लीअर कट होनी चाहिये। कुछ चीजें आपको तय करनी चाहिये कि कौन कौन सी चीज काटेज इंडस्ट्री में हम पैदा करेंगे, कौन-कौन स्माल स्केल इंडस्ट्री में पैदा करेंगे और कौन सी चीजें किस इंडस्ट्रीज को हम देंगे। जो चीज काटेज इंडस्ट्री में पैदा हो सकती है उससे लाखों करोड़ों लोग फायदा उठा सकते हैं । लेकिन अगर वही चीज मशीन के जरिये से कोई पूंजीपति पैदा करना शुरू कर दे तो वह काटेज इंडस्ट्री चल नहीं सकती है । मैं भी श्रीमन् एक खेतिहर हूं। मैं सोचता था कि फल संरक्षण इंडस्ट्री का काम आगे बढ़ेगा। जगह-जगह मटर है, फल है, इसके संरक्षण का काम शुरू किया जायगा। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने स्टेट की तरफ से बड़ी-बड़ी फैक्टरियां खोलने का काम शुरू कर दिया, वहां छोटे-छोटे लोगों की कोई गुंजायश नहीं है । बिरला साहब ने नैनी स्टेट में करोड़ों रुपये की फैक्ट्री खोल दी । उनके सामने काटेज इंडस्ट्री वाले कहां पनप सकते हैं ।

यही नहीं, स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में भी आपको अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिये और सोच लेना चाहिये कि हम इन सब चीजों को इस सेक्टर के अन्दर देंगे। अगर काटेज इंडस्ट्री में एफिशिये सी पैदा हो सकती है तो उसे काटेज इंडस्ट्री को ही देना चाहिये। मुमकिन है कि उसमें लाभ कम हो, लेकिन उसके लाभ का वितरण होगा । वैसे गान्धी जी ने खद्दर का प्रयोग किया था तो उन्होंने कहा था कि खद्दर से बोने वाले से लेकर बेचने वाले तक सबको लाभ होता है। तो यह उसका लाभ है और इसलिये ऐसी चीजें काटेज इंडस्ट्री को देनी चाहिये । उससे काम न चले तो स्माल स्केल इंडस्ट्री को दीजिये ।

अब श्रीमन्, दो चार मिनट और हैं, मुझी को दे दीजिये, इतने समय के लिये किसको बुलाइयेगा । उसके बाद बिग इंडस्ट्रीज बचती हैं । तो वह इंडस्ट्रीज जो एसेंशियल हैं जैसे स्टील इंडस्ट्री है यह स्टेट के अन्दर रहनी चाहिये जहां कि बड़ी-बड़ी पूंजी की जरूरत है और जो कि प्राइवेट सेक्टर से पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं, देंगे, उसको पूरा-पूरा प्रोत्साहन नहीं देंगे और कम्पेटीटीव स्पिरिट नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप एक मनोपोली करके और चुर्क सीमेंट फैक्टरी की रंगीन तस्वीर दिखाकर देश का कल्याण नहीं कर सकेंगे। जब तक हमें उसके हानि और लाभ को कम्पेयर करने का साधन नहीं है, तब तक हम क्या जानें ? उसी के साथ-साथ एक प्राइवेट फैक्ट्री भी होती तब हम उसके हानि और लाभ को इससे मिलाकर देखते और इसका वास्तविक फायदा उठाते।

श्रीमन्, यह सिद्ध बात है कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ही कम वह इम्पलायमेंट देगी। हमारे यहां अनइम्पलायमेंट की समस्या बनी हुई है। इस तरफ भी हमें ध्यान देना है । जितनी बिग इंडस्ट्री होगी उससे समस्या हमारी सुलझती नहीं

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]
है । जितनी छोटी इंडस्ट्री होगी वह ज्यादा इम्पलायमेंट देगी । हमारे यहां स्टील प्लान्ट है । यह बिग इंडस्ट्री है । अगर उस पर १८० करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है तो यह केवल ८ हजार लोगों को इम्पलाय करती है । वही काम अगर स्माल स्केल इंडस्ट्री में किया जाय तो वह ज्यादा आदमियों को इम्पलायमेंट देती है । इसमें हमारे १२ गुना आदमी ज्यादा इम्पलाय होते हैं । इस बात को हमें अपने दृष्टिकोण में रखना चाहिये ।

हमारे मंत्री महोदय ने बड़ी साफ बातें बतलाईं और बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र किया कि जो लोग इस तरफ अपना रुझान करेंगे उनको लोन और सबसिडी दी जायगी । मगर मैं अभी देखता हूं कि उसमें जिस तरह से रुपये का वितरण किया जाता है वह सन्तोषजनक नहीं है । अभी हमारे भाई बलवानसिंह जी ने जिक्र किया कि कानपुर में केवल एक व्यक्ति को ८६ लाख रुपया दिया गया कर्जे के तौर पर । मैं अपने ही सदन में रोज सुनता हूं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बकाया उन पर है और सेल्स टैक्स का बकाया है । इस तरफ भी ध्यान देना है । एक सीमा बनानी चाहिये कि एक आदमी को इतना रुपया देंगे । एक आदमी के पास इतना रुपया पहुंच जाय तो उससे अधिक लाभ नहीं हो सकता है । अगर यही रकम छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के लिये व्यय की जाती और उससे छोटे-छोटे काम किये जाते तो इससे ज्यादा लोगों को लाभ होता और ज्यादा लोगों को इम्पलायमेंट मिलता, क्योंकि वे लोग, जो बड़े आदमी कहलाते हैं, वह मेरा खयाल है कि इस लोन से दूसरा काम भी लेते हैं और फायदा उठाते हैं । मैं इसके लिये बहुत से उदाहरण दे सकता हूं । इसी सिलसिले में एक बात यह भी है कि लोन देने में राजनीतिक दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिये । मैं देखता हूं कि बहुत से लोन और कर्जे राजनीतिक दृष्टिकोण से दिये जाते हैं । उसका नतीजा यह होता है कि जिस काम के लिये वह लोन दिया जाता है उस काम के लिये वह इस्तेमाल नहीं होता है ।

जो इंडस्ट्रीयल एस्टेट बनाई जा रही हैं उसके विषय में हमारे भाई ने कहा है कि यह एस्टेट ज्यादातर पुरानी एस्टेट के ऊपर ही बनाई जा रही है । जैसे कानपुर, मुरादाबाद और इलाहाबाद में जहां पर पुराने मकान हैं उनके ऊपर ही यह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि यह समझा जाय कि ये नये मकान हैं और नई इमारत है । आपको चाहिये कि देहातों के अन्दर हमारे पूर्वी जिलों में गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के अन्दर आप नई नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनावें और लोगों को वहां पर प्रोत्साहित करें तब हम समझेंगे कि उन गरीब लोगों के लिये ऐसे कदम उठाये गये हैं जो उनके लिये उत्थान की बात हो सकती है । आपको नई कालोनी बनानी चाहिये । पुराने टाउन्स को बनाने की कोई खास बात नहीं है ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिलों में जो आपके इंडस्ट्रीज अफसर हैं वह अभी इस योग्य नहीं हैं कि वे ठीक सुझाव दे सकें । उनके पास जो सामग्री है उससे काम नहीं चलता है । अगर कोई जानकारी उनसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि हमें इंडस्ट्री में सलाह दी जाय तो उनके पास जो चन्द किताबें हैं वही पकड़ा देते हैं । वह किताबें हमको लायब्रेरी से भी मिल सकती हैं । वहां पर इस बात की रिसर्च होनी चहिये कि वह परटीकुलर लोकेलिटी के लिये विशेष सलाह दे सकें कि रा मैटिरियल क्या प्राप्त है और किस काम में फाइनेन्स अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है । इन बातों के लिये आप योग्य आदमियों को लायें तो यह काम सही ढंग से चल सकता है ।

श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इस अनुदान का समर्थन करने से पहले माननीय मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—अब ५ बज गये हैं । आप कल अपना भाषण जारी रखियेगा ।
(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२५ मई, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर]

१/२ मई सन् १९६२ की रात को ११ बजे कस्बा हसायन में बहुत जोर से आग लगी। आग श्री बदन सिंह के मकान से, जो कस्बे के दक्षिण में है, शुरू हुई। रात का समय था। हवा तेजी से चल रही थी और आंधी का रूप लिये थी जिसके कारण आग काबू के बाहर हो गयी और आस-पास के मकान व दुकानों को भी लपेट में ले लिया। पुलिस इलाके में मौके पर पहुंच गई और आग के बुझाने व माल की हिफाजत में मदद की। अग्नि अपना भयंकर रूप धारण किये थी और किसी प्रकार भी काबू में नहीं आ सकी जिसके कारण ४ भैंसे, ४ बछड़े, ४५ दुकाने, ९५ रहने के मकान और ३ किसानों के खलियान जल गये। नुकसान अन्दाजन १,५०,००० रुपये का है।

आग लगने की खबर पाते ही १/२ बजे रात को तहसीलदार मौके पर पहुंच गये। ३ बजे नगरपालिका अलीगढ़ का फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया और आग बुझाना शुरू किया। तब बड़ी कठिनाई के साथ सबने २/३ हिस्से को बचाया। इस आग से किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई। हाकिम परगना तथा जिलाधीश मौके पर पहुंच गये और निरीक्षण किया, और सहायता के लिये आवश्यक आदेश दिये। दी गई सहायता प्रश्न संख्या २ के उत्तर में बता दी गयी है।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर]

कुमायूं में नई सड़कों के निर्माण की सूची

क्रम-सं०	सड़क का नाम	कोमत रुपयों में (लाख)	स्वीकृत लम्बाई मी० फ०	मार्च, १९६२ के अन्त तक रुपयों का व्यय	विवरण
१	२	३	४	५	६
	अल्मोड़ा जिला				
१	अल्मोड़ा बागेश्वर रोड (कापरखान बागेश्वर सेक्शन)	१५.००	३७—००	१५,०१,७२१	
२	गनई पनवासल ..	१०.२६	१०—७	८२,६८०	
३	फीडर रोड जागेश्वर को ..	०.८१४	२—१	७५,३९९	
४	अल्मोड़ा पौधार ..	३.८०	८—००	३,८०,०६८	कार्य पूर्ण हो चुका है।
५	चौकेरी बेरीनाग मोटर मार्ग ..	१.९६	५—००	१,९५,९८९	
६	भारचुला मनीला	२२.५०	२५—००	१,२५,३१३	
७	रामेश्वर गंगोलो हट ..	१६.५०	२६—००	१,६४,७१९	
८	लोहाघाट मायावती	१.००	५—२	१,०२,४६०	
९	कापकोटा-तेजम ..	१३.६८	३३—००	१३,२७,१६३	
१०	किच्छा सितारगंज	७.२०	१५—४	७,१९,५५६	
११	काशीपुरदार्हियाल ..	२.१९८	५—०५	२,९१,८०१	
१२	खतीमा सितारगंज	५.४०	१८—००	४,९४,९१७	
	नैनीताल जिला				
१३	पहाड़पानी मोरनाला मोटर मार्ग ..	२.००	५—००	१,५५,२१९	
१४	काला ढूंगी नैनी-ताल ..	७.८६४	२२—००	६,७४,७९३	
१५	हल्द्वानी कालाढूंगी	१०.६९	१५—००	३४,३४५	

क्रम-सं०	सड़क का नाम	कीमत रुपयों में (लाख)	स्वीकृत लम्बाई मी० फ०	मार्च, १९६२ के अन्त तक रुपयों का व्यय	विवरण
१	२	३	४	५	७
१६	बचे हुए ३ मील भोम-ताल रामबाग मार्ग के ..	१.२०	३—००	१,०६,०४०	
१७	खैरमा बैतालघाट	८.०८	१६—००	४९,९५८	
१८	चाफो पदमपुरी ..	५.४०	७—००	१,९९,९४३	
१९	द्वारहट गनई मोटर रोड ..	१९.३६	११—०२	३,२०,०००	
२०	बैरोनाग गंगोली हट ..	१७.९७	१७—००	३,००,७७४	
२१	अप्रोच रोड शक्ति-फार्म ..	४.६१	५—००	४,४५,६८७	
२२	इन्टर कालौनी रोड शक्ति फार्म ..	२.४०	७—०२	१,७५,३५६	
२३	गिरगांव मुन्सियारा	१३.६०	१९—००	७,६५,७५४	
२४	तेजम गिरगांव ..	८.४०	१५—००	७,४०,१६५	
२५	अल्मोड़ा-खैराना ..	१३.१९	२०—००	..	कार्य पूर्ण हो चुका है।
२६	अल्मोड़ा-रामेश्वर	३१.६३	५२—००	..	,,
२७	बागेश्वर-कामकोट	२.७४	३—००	..	,,
२८	विकियाशेन-गनई ..	८.५०	२०—००	..	,,
२९	बागेश्वर-कापकोट	४.४१७	१५—००	..	,,
३०	अस्कोट-धारचुला	१२.७२	२६—००	..	,,
३१	पिथौरागढ़-आस्कोट	११.१०९	१६—००	..	,,
३२	नैनीपाताल-कानालीचौना ..	५.९८५	९—००	..	,,
३३	गरौट डंगालीगंवा-ल्डन रोड ..	१.८८	८—००	..	,,

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर]

1. Sri P. C. Gaur is reinstated on probation to his post of Inspector of Sanskrit Pathshalas in the Uttar Pradesh Educational Service Junior Scale, with effect from the date of his taking-over charge of his duties.

2. He will not be allowed any increment during the period of probation or extended period of probation on the post of Inspector of Sanskrit Pathshalas. This deprivation will be permanent.

3. For the period of suspension, Sri P. C. Gaur will, under F. R. 54 (3) of the Financial Handbook, Volume II, Part II, be entitled to the proportionate pay equal to the amount which he has already drawn as subsistance allowance. The period of suspension till the date of taking-over charge on reinstatement will not be treated as period spent on duty.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१–२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४८ पर)

प्रश्न २१ से सम्बन्धित––

(१) जिला गोरखपुर की फरेंदा तथा सदर तहसीलों में ८–५–६२ को विभिन्न चकबन्दी अदालतों में चल रहे मुकदमों की तालिका––

अदालत	मुकदमों की संख्या	
	तहसील फरेंदा	तहसील सदर
(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी की अदालत में	१५,०१५	६१२
(२) चकबन्दी अधिकारी की अदालत में ..	११	१,०३२
(३) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की अदालत में	१८०	४७
(४) उप संचालक चकबन्दी की अदालत में ..	३८	१,०२६

प्रश्न २२ से सम्बन्धित––

(२) जिला गोरखपुर की फरेंदा तहसील में चकबंदी योजना के अन्तर्गत जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों के कर्मचारियों की संख्या––

	संख्या
(१) जौनपुर	५
(२) गोरखपुर	६१
(३) बस्ती	२७
(४) देवरिया	५३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

तहसील देवरिया

१--संडा
२--टेन्दुही
३--महाराजपुर
४--पगरा खास
५--बाघरा महुरी
६--बन्दरहा मरहार पट्टी
७--चकबन्दी उर्फ पारनपुर
८--सिखोनिया
९--पकटवानिया
१०--चकिया
११--परसिया अहीर
१२--वोदिया अनन्त
१३--हरया
१४--सकौती
१५--गसजिदिया
१६--मदरापली
१७--माधौपुर
१८--विरवा
१९--रामलक्षन
२०--देवकाली
२१--मालकौली
२२--मालघोट विरैवा
२३--चौराहा
२४--बेलवा
२५--घुरोकुण्ड कला
२६--रामपुर
२७--मुजहना घाट
२८--महुवा खुर्द
२९--एहरौली
३०--दला
३१--हरया
३२--हरपुर
३३--छितही
३४--सिमारो
३५--सराव
३६--नरउरी
३७--भैसा दावर
३८--पोखर भिन्डा
३९--वरियारपुर
४०--भोमपुर
४१--मेहाहाड़गंपुर
४२--रामपुर-खानपुर
४३--गौनारिया
४४--तेम्दुही
४५--उधौपुर
४६--पहारी छपरा
४७--हरियापार
४८--छितरुवा
४९--भिसामपुरा
५०--जगदीशपुर
५१--सिरसिया
५२--बलिया
५३--कोरार

तहसील सलेमपुर

१--अहरौली
२--वीरसिंह
३--पिपरा देवराज
४--कोला
५--तुलसीवारा
६--लार
७--पायसी
८--रौतपार पांडेय
९--बलदेव छपरा
१०--भाटनी खास
११--गरौना
१२--वागही
१३--साहुपार
१४--मउना गड़ुवा
१५--मझुवा
१६--अलावलपुर
१७--इटावा चन्दौली
१८--छोरदिया
१९--वनकटा मिसिर
२०--अहरौली वाधेल
२१--सोहनपार
२२--कुकुरघाटी
२३--रारी
२४--रानीघाट

तहसील सलेमपुर

२५--छतरपुरा
२६--रामपुर
२७--मझौली
२८--कोला
२९--नूनखार
३०--तेलिया अफगान
३१--हाता

तहसील हाटा

१--शुक्रौली
२--कुरमौता
३--धरनीपटी
४--रामपुर वगहा
५--कोला
६--कतई भारपुरवा
७--राम्वर बुजुर्ग
८--परसिया
९--बुलहवा
१०--सुकरौली
११--मोतीपक्कर
१२--पदरई
१३--पटना मिसरौली
१४--लेहानी
१५--विन्डवर
१६--मंगलपुर
१७--पाटन
१८--नौतार जंगल
१९--कुरहवा
२०--खड्डा काला
२१--कतई भारपुरवा
२२--वनचारा
२३--कुसमही
२४--पत्था
२५--पिपरा कपूर
२६--पाटनी
२७--परवारपर
२८--सौराहा बुजुर्ग
२९--खुताही
३०--मेहरा
३१--मन्सा छपरा
३२--मदरहा
३३--नरायनपुर
३४--खुताही
३५--मेन्दिहारी
३६--मंगलपुर
३७--करमही
३८--भटगांव
३९--कोहारगड्डी
४०--शिवपुर मथिया
४१--अग्या
४२--अदरौना

तहसील पडरौना

१--बासडिला
२--पकरोपर पुरावपट्टी
३--गौरी जगदीश
४--रामपुर पट्टी
५--परसादपुर
६--अरनहवा
७--मोगलपुवा
८--चाफ
९--डुमरा खुर्द
१०--डुमही टोला खास
११--सगलवा
१२--भटवालिया
१३--नादाह
१४--अमवा
१५--नाथा पट्टी
१६--भरौली
१७--हरिया बुजुर्ग
१८--अकबरपुर
१९--नथिया प्रसिद्ध तिवारी
२०--कंथिया छापर
२१--सुकलाही
२२--पटेरा खुर्द
२३--मथिया माफी
२४--चाफ
२५--अमवा खास
२६--बांस गांव
२७--खजुरिया
२८--तिनफेरिया
२९--सरिया खुर्द
३०--गौरी शुकुल
३१--वकुलाहा
३२--वरौना
३३--सुखपुरा
३४--जंगल नौगांव
३५--अमवा खास

तहसील पडरौना

३६—बेलाहिया बनवारी खुर्द
३७—मनकौरा
३८—पुरवा उर्फ इलीपनगर
३९—बन्दराहा पुराव पट्टी
४०—सापहा
४१—अकबरपुर
४२—बैंक खास
४३—शिवपुर बुजुर्ग
४४—कोकिल पट्टी
४५—सिधवा बंगर घाट
४६—सिकाटिया
४७—मदनपुर
४८—बभनाहा बंबीरपुर
४९—भरसरवां
५०—अमवा दिगार
५१—थयोभर
५२—गौरा श्री राम तोला माधौपुर
५३—हरपुर
५४—मकुवा
५५—हरपुर
५६—जोगना
५७—सलेमगढ़
५८—नौतन हरदो
५९—गोपाल गढ़
६०—गुड़वालीया
६१—विरवत कोनवालिया
६२—गोरैता श्री राम
६३—नरचोचवा
६४—विशुनपुर विरिया पट्टी
६५—पादरौन मारोराही
६६—अमवादिगार
६७—दादौपुर
६८—महवा बुजुर्ग
६९—साहबगंज
७०—सेमरा हरदो
७१—माथिया श्री राम
७२—वालीवा
७३—महुवा
७४—अमरवा खुर्द

सत्यमेव जयते

नत्थियां

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पष्ठ १७५ पर)

अनुदान संख्वा २५--उद्योग

(लेखा शीर्षक : ३५ उद्योग)

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यादवेन्द्र दत्त	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्रीमती विनय लक्ष्मी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--पर्वतीय जिलों में औद्योगिक अस्थान सन्तोषपूर्ण ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । आवश्यकता इस बात की है कि जहां जिस उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो वहां वही उद्योग संगठित एवं विकसित किया जाय ।
३	श्री रघुवीर राम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--समाजवादी समाज के ढांचे के अन्दर राजकीय क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करना, प्रमुख उद्योग शकर व बिजली का राष्ट्रीयकरण करना व अन्य सुझाव तथा शिकायतें करना ।
४	श्री विपिन बिहारी तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--ग्रामोद्योग की ओर दुर्लक्ष ।
५	श्री कृष्णानन्द राय	मद--औद्योगिक विकास के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--राजकीय त्र में बड़े एवं माध्यम उद्योग खोलने पर विचार करना, विशेषताय उद्योग विहीन जनपदों में ।
६	श्री राम प्रसाद देशमुख	मद (क) (ग) औद्योगिक विकास के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--साधारण विवाद करना तथा सुझाव देना ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
७	श्री शिव सम्पति शर्मा	मद--लघु उद्योग खादी व ग्राम उद्योग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--(१) उद्योगों का वर्गीकरण नहीं हुआ । (२) बुन्देलखंड का ध्यान इस बजट में नहीं है । (३) लघु उद्योगों की संचालन व्यवस्था उचित नहीं है ?
८	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद (ख) सहायता अनुदान तथा (ग) और (घ) हाथ करघा और खादी उद्योग के विकास के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय कमियों की आलोचन करना एवं सरकार को आवश्यक सुझाव देना ।
९	श्री गेंदा सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
१०	श्री होरी लाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--देहाती क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में कमी, गृह उद्योग की वस्तुओं को सेल्स टैक्स से मुक्त न करके उस व्यापार में लगे छोटे उद्योग करने वालों को अपने कारोबार बन्द करने के लिये विवश होना ?
११	श्री छेदा लाल चौधरी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--प्रादेशिक उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के कुछ भागों में औद्योगीकरण की दिशा में उपेक्षा तथा उदासीनता की नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
१२	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद (क) की उपमद (ग) का भाग (१३) फल संरक्षण और डिब्बाबन्दी योजना तथा (घ) बागवानी और पौध संरक्षण केन्द्र और सचल दल--के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय कमियों की आलोचना करना और सरकार को उचित सुझाव देना ।
१३	श्री चिरंजी लाल	मद (क) की उपमद (ग) का भाग ६२(क) रेशम के सामान तथा जरी बूटे के उद्योग का विकास--के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय कमियों की आलोचना करना एवं सरकार को उचित सुझाव देना ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१४	श्री राम सिंह	मद (क) की उपमद (ग) का भाग ६२ (ख) दरी उद्योग—के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना ।
१५	श्री राम प्रसाद देशमुख	मद-ख—सहायक अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—साधारण विवाद करना तथा सुझाव दना ।
१६	श्री कोतवाल सिंह भदौरिया	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) अधिक धन की मांग करना, (२) छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में उद्योग के लिये, जिससे उस क्षेत्र की तरक्की हो, सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा (३) छिवरामऊ के चमड़े का काम करने वालों को अनुदान देने की मांग करना ।
१७	सर्व श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह भानु प्रताप सिंह, काशीनाथ बहादुर, प्रेम सिंह, मुन्नू सिंह, विजय सिंह, बलबीर सिंह, नवरंग सिंह तथा चैतन्यराज सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ पये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
१८	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग करना तथा ग्राम उद्योग के विस्तार की चर्चा करना ।
१९	श्री होरीलाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—फरूखाबाद में उद्योग विभाग द्वारा उद्योग के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को रुपया कर्जा देना जो उसको व्यापार में न लगाकर अन्य कामों पर लगाते हैं ।
२०	श्री राम सिंह	मद-क-की उप-मद (ग) का भाग (छ) चिकन के काम के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सरकार को उचित सुझाव देना ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
२१	श्री चिरंजी लाल	मद-क-की उप-मद (ग) का भाग ६३—पिछड़े हुये क्षेत्रों में उद्योगों का विकास तथा १ (क)—तार की जाली बनाने का आदर्श उद्योग के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की आलोचना करना एवं सरकार को उचित सुझाव देना ।
२२	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद-क-की उप-मद (ग) के भाग १३ (ज) फल शोध योजना के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की आलोचना करना एवं सरकार को उचित सुझाव देना ।
२३	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद-क-की उपमद (ख) औद्योगिक शिक्षा तथा उसके भाग २ कर्मचारियों के वेतन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की आलोचना करना एवं सरकार को उचित सुझाव देना ।

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

१	श्री यादवेन्द्र दत्त	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री गेंदा सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
३	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की मांग करना ।
४	सर्वश्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, भानु प्रतापसिंह, काशीनाथ बहादुर, प्रेम सिंह, मुन्नूसिंह, चिरंजीलाल, नवरंग सिंह, विजय सिंह तथा बलवीर सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।